

Monthly Current Affairs December 2019

दैनिक सामयिकी यूपीएससी आईएस की तैयारी के लिये

02.12.2019

1. नेवले के बालों के अवैध व्यापार पर कार्रवाई करने हेतु ऑपरेशन 'क्लीन आर्ट'

- हाल ही में, ऑपरेशन क्लीन आर्ट को देश में नेवले के बालों की तस्करी पर नकेल कसने के लिए लागू किया गया था।
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यू.सी.सी.बी.) द्वारा ऑपरेशन क्लीन आर्ट की कल्पना की गई थी जिसका एकल उद्देश्य पूरे देश में नेवले के बालों के ब्रश व्यापार को बंद करना सुनिश्चित करना था।
- नेवले के बालों के ब्रश का प्रयोग मुख्य रूप से चित्रकारों द्वारा किया जाता है।

संबंधित जानकारी

नेवला

- भारत में नेवले की पाई जाने वाली छह प्रजातियाँ- भारतीय ग्रे नेवला, छोटा भारतीय नेवला, लाल नेवला, केकड़ा खाने वाला नेवला, स्ट्राइप-नेकड नेवला और भूरा नेवला हैं।
- भारत में पाई जाने वाली सभी नेवला प्रजातियों को भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची II (भाग II) के अंतर्गत संरक्षित किया गया है, जो इसमें सूचीबद्ध जानवरों के सभी व्यापारों को प्रतिबंधित करता है।
- इसका "आई.यू.सी.एन. दर्जा" सबसे कम चिंतनीय है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 -पर्यावरण

स्रोत- हिंदुस्तान टाइम्स

2. सूर्य किरण युद्धाभ्यास-XIV

- सूर्य किरण युद्धाभ्यास-XIV, भारत और नेपाल के बीच एक संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है जो नेपाल के रूपन्देही जिले के सालझंडी में आयोजित किया जाएगा।

संबंधित जानकारी

युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- यह एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसे नेपाल और भारत में एकांतर रूप से आयोजित किया जाता है।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना और नेपाल सेना के मध्य बटालियन स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण का संचालन करना है।
- यह युद्धाभ्यास जंगल युद्धों और पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों, मानवीय सहायता और आपदा सहायता आदि में अंतरकार्यकारिता को बढ़ाने में मदद करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 -रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

3. हॉर्नबिल महोत्सव का 20वां संस्करण

- हॉर्नबिल महोत्सव का 20वां संस्करण नागालैंड में आयोजित किया गया था।

संबंधित जानकारी

हॉर्नबिल महोत्सव

- इस महोत्सव का नाम "इंडियन हॉर्नबिल" पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागालैंड का राज्य पक्षी भी है।
- नागालैंड सरकार द्वारा आयोजित महोत्सव, एक वार्षिक पर्यटन प्रचार कार्यक्रम है।
- इस महोत्सव का उद्देश्य अंतर-जनजातीय संवाद और नागालैंड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है।

ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल

- ग्रेट हॉर्नबिल को ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल या महान बहुरंगी हॉर्नबिल के रूप में भी जाना जाता है, यह हॉर्नबिल परिवार के बड़े सदस्यों में से एक है।
- यह मुख्य रूप से फल खाने वाला पक्षी है, लेकिन ये एक अवसरवादी पक्षी भी है और छोटे स्तनधारी, सरीसृप और पक्षियों का शिकार भी करता है।
- आई.यू.सी.एन. दर्जा: कमजोर (2018 में संकटग्रस्त से ऊपर सूचीबद्ध)।

- यह सी.आई.टी.ई.एस. के परिशिष्ट I में भी सूचीबद्ध है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- ए.आई.आर.

4. मणिपुर में लोकताक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना

- हाल ही में, शिपिंग मंत्रालय ने मणिपुर में लोकताक अंतर्देशीय जलमार्ग सुधार परियोजना के विकास हेतु स्वीकृति प्रदान की है।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

संबंधित जानकारी

लोकताक झील

- लोकताक झील, मणिपुर के मोइरांग में स्थित पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है।
- यह झील के ऊपर तैरने वाली फुमदिस के लिए प्रसिद्ध है।
- फुमदिस, तैरते हुए द्वीपों की एक श्रृंखला है, जो मणिपुर में लोकताक झील के लिए विशिष्ट हैं।
- कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इस क्षेत्र में स्थित विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
- यह पार्क लुप्तप्राय संगई का अंतिम शरणस्थान है और ये मणिपुर का एक राज्य पशु भी है।
- इसे 1990 में रामसर सम्मेलन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था।
- इसे वर्ष 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत भी सूचीबद्ध किया गया है, " यह रामसर स्थलों का एक रिकॉर्ड है जहां पारिस्थितिक विशेषताओं में परिवर्तन हुए हैं, हो रहे हैं या होने की संभावना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

5. वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020

- संयुक्त राष्ट्र संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आई.ओ.एम.) ने वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2020 जारी की है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- पूरे विश्व में 272 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से (वैश्विक जनसंख्या का 3.5%), 17.5 मिलियन भारतीयों के देश से बाहर रहने के साथ भारत सबसे अधिक हिस्सेदारी हेतु उत्तरदायी है।
- भारत के बाद मेक्सिको (11.8 मिलियन) और चीन (10.7 मिलियन) हैं।
- रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि लगभग दो-तिहाई अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, श्रमिक प्रवासी हैं।
- वर्ष 2018 (2020 की रिपोर्ट) में अंतर्राष्ट्रीय प्रेषण \$689 बिलियन तक पहुंच गया था जिसमें भारत \$6 मिलियन डॉलर के प्रेषण का अग्रणी प्राप्तकर्ता है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए शीर्ष गंतव्य अमेरिका है और उसके बाद जर्मनी, सऊदी अरब, रूसी संघ और यू.के. है।
- भारतीयों के लिए शीर्ष प्रवास गलियारे संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब हैं।
- भारत में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की सबसे अधिक संख्या बांग्लादेश से आती है।
- ओशिनिया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के उच्चतम अनुपात वाला क्षेत्र है और संयुक्त अरब अमीरात, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के उच्चतम अनुपात वाला देश है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

6. ई-कृषि का संवर्धन

- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने राज्यसभा को कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के संवर्धन हेतु विभिन्न पहलों के संदर्भ में बताया है।

ये हैं:

- i. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने देश में 715 कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के.) का एक नेटवर्क स्थापित किया है, जो अपने अनुप्रयोग और क्षमता विकास (टी.ए.डी.ए.-सी.डी.) के लिए प्रौद्योगिकी

मूल्यांकन और प्रदर्शन के साथ अनिवार्य है। के.वी.के. किसानों और कृषक महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और सेवारत विस्तारित कर्मियों के लाभ के लिए प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

- ii. किसानों को विभिन्न सेवा प्रदाताओं और एम.किसान पोर्टल के माध्यम से कृषि-सलाह दी जाती है। एम.किसान पोर्टल, एक ऐसा मंच है जो किसानों का समर्थन करने वाले अनुसंधान संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों से आधुनिक तकनीक के साथ किसानों को वेब-आधारित मोबाइल परामर्श प्रदान करता है।
- iii. कृषि यांत्रिकीकरण पर उप मिशन (एस.एम.ए.एम.), छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देने के साथ कार्यान्वयन हेतु एकल खिड़की दृष्टिकोण प्रदान करके कृषि मशीनीकरण के समावेशी विकास के लिए सभी गतिविधियों को परिवर्तित करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करता है।
- iv. सरकार, प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन बोली प्रणाली के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य की पारदर्शी कीमत की खोज हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एन.ए.एम.) योजना भी लागू कर रही है।
- v. विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (एम.आर.आई.एन.) योजना के अंतर्गत, कृषि-वस्तुओं की आवक और कीमतों पर बाजार की जानकारी के संग्रह और प्रसार के लिए एगमार्कनेट पोर्टल के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने और बनाए रखने की दिशा में राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –कृषि

स्रोत- पी.आई.बी.

7. यू.एन.डी.पी. ने प्रदूषण से निपटने के लिए भारत में एक्सेलेरेटर लैब शुरू की है।

- प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत में एक्सेलेरेटर लैब शुरू की है।

संबंधित जानकारी

यू.एन.डी.पी. एक्सेलेरेटर लैब

- यह यू.एन.डी.पी., कतर सरकार और जर्मनी के संघीय गणराज्य द्वारा आज की जटिल नई चुनौतियों के लिए 21वीं सदी के समाधान खोजने हेतु शुरू की गई एक अभिनव पहल है।
- ये प्रयोगशालाएं स्थानीय कार्यवाहकों के साथ मिलकर जमीनी स्तर के समाधानों की पहचान करना चाहती हैं और विकास में तेजी लाने के लिए अपनी क्षमता की पुष्टि करना चाहती हैं।

भारत में एक्सेलेरेटर लैब

- यू.एन.डी.पी. ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के अटल इनोवेशन मिशन के साथ भागीदारी की है।
- यह भारत के सामने आने वाले कुछ सबसे प्रमुख मुद्दों जैसे कि वायु प्रदूषण, सतत जल प्रबंधन और नवाचार के माध्यम से ग्राहक-आजीविका को संबोधित करने की कोशिश करेगा।
- इसका दृष्टिकोण वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) के महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को पूरा करने में तेजी से प्रगति करने का भी है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

8. गहन मिशन इन्द्रधनुष 2.0

- केंद्र ने 2 दिसंबर, 2019 को देश भर में गहन मिशन इन्द्रधनुष (आई.एम.आई.) 2.0 लॉन्च किया है।
- सरकार की फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य आठ टीका-रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है।
- आई.एम.आई. में डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियोमाइलिटिस, तपेदिक, खसरा,

दिमागी बुखार (मेनिनजाइटिस) और हेपेटाइटिस बी के लिए टीके शामिल हैं।

- चयनित क्षेत्रों में जापानी एन्सेफेलाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के टीके भी प्रदान किए जा रहे हैं।
- आई.एम.आई. 2.0 का लक्ष्य 27 राज्यों में फैले 272 जिलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
- आई.एम.आई. 2.0 का दिसंबर, 2019 से मार्च, 2020 तक संचालन किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –स्वास्थ्य मुद्दे

स्रोत- ए.आई.आर.

9. भारत, संपूर्ण हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है
- भारत, हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला पहला देश बन गया है।
- ऑनलाइन आवेदन, ई-वीज़ा, हज मोबाइल ऐप, "ई-मसीहा" स्वास्थ्य सुविधा, "ई-सामान प्री-टैगिंग" स्वयं भारत में मक्का और मदीना में आवास और परिवहन के बारे में सभी जानकारी प्रदान कर रहा है और इसे 2020 में हज जाने वाले लगभग 2 लाख भारतीय मुसलमानों को प्रदान किया जाएगा।
- ई-मसीहा (विदेश में भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए ई-चिकित्सा सहायता प्रणाली), डॉक्टरों की मिसाल के साथ भारतीय तीर्थयात्रियों के संपूर्ण स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाने और बनाए रखने, चिकित्सा उपचार के साथ-साथ दवा वितरण से निपटने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली है। इसे मक्का और मदीना में कोई भी आपातकाल से निपटने के लिए विकसित किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –स्वास्थ्य मुद्दे

स्रोत- ए.आई.आर.

10. लोकसभा ने सभी 20 तारांकित प्रश्न स्वीकार किए हैं।

- लोकसभा अधिकारियों के अनुसार, वर्ष 1972 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सभी 20 तारांकित प्रश्न स्वीकार किए गए थे।

संबंधित जानकारी

प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्नों के प्रकार (प्रक्रिया के नियमों में उल्लिखित नहीं हैं)

तारांकित प्रश्न:

- तारांकित प्रश्न वह होता है जिसमें एक सदस्य सदन में मंत्री के मौखिक उत्तर की इच्छा रखता है और उसका एक तारांकन चिह्न के साथ उसके द्वारा विशिष्ट होना आवश्यक है।
- ऐसे प्रश्न का उत्तर सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्नों के बाद हो सकता है।

अतारांकित प्रश्न

- एक अतारांकित प्रश्न वह होता है जिसका लिखित उत्तर सदस्य द्वारा वांछित होता है और उसे मंत्री द्वारा सदन के पटल पर रखा जाना समझा जाता है।
- इस प्रकार इसे सदन में मौखिक जवाब के लिए नहीं बुलाया जाता है और कोई भी पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

शून्यकाल के संदर्भ में जानकारी

- यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय है जिसे शून्यकाल कहा जाता है।
- यह दोपहर 12 बजे से शुरू होता है और सदस्य इस समय के दौरान अध्यक्ष को पूर्व नोटिस के साथ महत्व के मुद्दों को उठा सकते हैं।
- प्रक्रिया के नियमों में इसका भी उल्लेख नहीं है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –संविधान

स्रोत- पी.आई.बी.

03.12.2019

1. व्यापार विनियम के समर्थन में उपकरण: एक वस्तु विनियम प्रणाली
- हाल ही में, छह यूरोपीय देशों ने व्यापार विनियम के समर्थन में उपकरण को शामिल किया है जिसे

वस्तु विनिमय प्रणाली भी कहा जाता है, जिसे डॉलर के उपयोग से बचते हुए ईरान के साथ व्यापार के खिलाफ प्रतिबंधों को रोकने के लिए बनाया गया है।

- ये यूरोपीय देश बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन हैं, जो शेयरधारकों के रूप में इंस्टेक्स में शामिल हुए हैं।

व्यापार विनिमय के समर्थन में उपकरण के संदर्भ में जानकारी

- इंस्टेक्स के संस्थापक सदस्य फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन हैं।
- यह कदम यूरोपीय संघ को संयुक्त व्यापक कार्य योजना के अंतर्गत अमेरिका की मंजूरी के बाद ईरान के साथ मानवीय व्यापार को जारी रखने के प्रयास में अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने की अनुमति देगा।
- यह यूरोपीय संघ और ईरान के बीच प्रत्यक्ष वित्तीय लेनदेन पर निर्भर हुए बिना व्यापार की अनुमति प्रदान करेगा।
- इंस्टेक्स को फ्रांस में पंजीकृत किया गया है और इसे जर्मन कॉमर्जबैंक प्रबंधक, पर फिशर द्वारा संचालित किया जाएगा।
- यह पेरिस में स्थित है और एक क्लीयरिंग हाउस के रूप में कार्य करता है, जिससे ईरान को तेल की बिक्री जारी रखने और बदले में अन्य उत्पादों या सेवाओं का आयात करने की अनुमति मिलती है।
- इंस्टेक्स, ईरान के साथ वैध यूरोपीय व्यापार का समर्थन करेगा, जो शुरू में ईरानी आबादी के लिए आवश्यक क्षेत्रों जैसे कि दवा, चिकित्सा उपकरण और कृषि-खाद्य उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- इसका उद्देश्य दीर्घकालिक अवधि में तीसरे देशों से आर्थिक ऑपरेटरों के लिए खुला हुआ होना है, जो ईरान के साथ व्यापार करना चाहते हैं और ई3 यह निरंतर अन्वेषण कर रहा है कि इस उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त किया जाए।

- ई.यू.3 को ई.यू. बड़े तीन, यूरोपीय संघ तिकड़ी या यूरोपीय संघ ट्रायो, के रूप में भी जाना जाता है जो फ्रांस, जर्मनी और इटली को संदर्भित करता है, एक समूह जिसमें यूरोपीय संघ के तीन बड़े संस्थापक सदस्य शामिल हैं।

संयुक्त व्यापक कार्य योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह जुलाई, 2015 में ईरान और P5+1 (चीन फ्रांस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) द्वारा किया गया पांच एनेक्सेस के साथ एक विस्तृत समझौता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 द्वारा परमाणु समझौते का समर्थन किया गया है, इसे 20 जुलाई, 2015 को अपनाया गया था।
- जे.सी.पी.ओ.ए. के परमाणु संबंधी प्रावधानों के साथ ईरान के अनुपालन को समझौते में निर्धारित कुछ आवश्यकताओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आई.ए.ई.ए.) द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

2. राष्ट्रीय आर्थिक अपराध रिकॉर्ड

- केंद्र सरकार आर्थिक अपराधियों पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय आर्थिक अपराध रिकॉर्ड नामक एक व्यापक डेटाबेस तैयार कर रही है।

राष्ट्रीय आर्थिक अपराध रिकॉर्ड के संदर्भ में जानकारी

- यह एक वेब पोर्टल है जो प्रवर्तन और जांच एजेंसियों के जमीनी स्तर के अधिकारियों को सूचना प्रसारित करेगा।
- यह डेटाबेस भ्रष्ट अधिकारियों और वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ कई एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाईयों में मदद करेगा।
- इसे केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सी.ई.आई.बी.) द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो वित्त मंत्रालय का एक अंग है।

- एन.ई.ओ.आर. को एजेंसियों के क्षेत्र निर्माणों के लिए दो-तरफ़ा पहुँच का प्रस्ताव है क्योंकि वे उनके द्वारा उत्पन्न डेटा दर्ज कर सकते हैं और साथ ही साथ जाँच के दौरान ज़रूरत पड़ने पर उनके या अन्य एजेंसियों द्वारा दिए गए डेटा तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो के संदर्भ में जानकारी

- केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो (सी.ई.आई.बी.), एक भारतीय खुफिया एजेंसी है जो आर्थिक अपराधों और युद्ध के लिए आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों की जानकारी इकट्ठा करने और निगरानी करने हेतु जिम्मेदार है।
- केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो की स्थापना जुलाई, 1985 में की गई थी, यह वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के प्रति जवाबदेह है।
- वर्तमान में, सी.ई.आई.बी., एक बंदी डेटाबेस संचालित कर रहा है जिसे सुरक्षित सूचना विनिमय नेटवर्क (एस.आई.ई.एन.) कहा जाता है जो इंटरनेट (ऑनलाइन उपलब्ध नहीं) पर संचालित होता है।
- आर्थिक अपराधियों की जानकारी 13 चुनिंदा केंद्रीय एजेंसियों के मुख्यालय के साथ साझा की जाती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

3. हैंड-इन-हैंड युद्धाभ्यास-2019

- संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के अंतर्गत आतंकवाद विरोधी की थीम के साथ आठवां भारत-चीन संयुक्त प्रशिक्षण युद्धाभ्यास 'हैंड-इन-हैंड 2019' का आयोजन उमरोई, मेघालय में किया जाना निर्धारित किया गया है।

युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- युद्धाभ्यास का उद्देश्य अर्द्ध शहरी इलाकों में संयुक्त योजना और आतंकवाद विरोधी अभियानों के संचालन का अभ्यास करना है।
- युद्धाभ्यास कार्यक्रम आतंकवादी विरोधी विनियमन और एक दूसरे के हथियारों के साथ

गोलीबारी करने, विशेष हेलिबॉर्न ऑपरेशन और आतंकवाद विरोधी वातावरण में किए गए विभिन्न अभियानों के केस स्टडी से संबंधित विभिन्न व्याख्यान और अभ्यास पर यह प्रशिक्षण पर केंद्रित है।

- प्रशिक्षण के दौरान दो सामरिक अभ्यास निर्धारित हैं:

- i. आतंकवाद विरोधी परिदृश्य पर
- ii. अन्य मानवीय एवं आपदा राहत (एच.ए.डी.आर.) संचालन पर

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

4. समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन

- पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री ने समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में राज्यसभा को सूचित किया है।
- ब्लू फ्लैग, समुद्र तट एक पारिस्थितिक-पर्यटन मॉडल है जो पर्यटकों/ समुद्र तटों पर जाने वालों को साफ और स्वच्छ नहाने के पानी, सुविधाओं/ साधन, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण और क्षेत्र का सतत विकास प्रदान करने का प्रयास करता है।

ब्लू फ्लैग कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- इसे समुद्र तटों और समुद्रों पर प्रदत्त अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है जो स्वच्छता और पर्यावरणीय स्वामित्व के कुछ मानदंडों को पूरा करती है और पर्यटकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं से सुसज्जित है।
- यह डेनमार्क के अंतर्राष्ट्रीय, गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन पर्यावरणीय शिक्षा फाउंडेशन संगठन (एफ.ई.ई.) द्वारा संचालित किया जाता है।
- इसे पहली बार फ्रांस में 1985 में शुरू किया गया था और 1987 से यूरोप में लागू किया गया था।

- वर्ष 2001 से इसे यूरोप के बाहर के क्षेत्रों में लागू किया गया है, जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था।

मानदंड

- यह चार प्रमुख क्षेत्रों में 33 सख्त मानदंडों पर आधारित है अर्थात
 - i. पर्यावरण शिक्षा एवं सूचना
 - ii. नहाने के पानी की गुणवत्ता
 - iii. पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण
 - iv. समुद्र तटों पर सुरक्षा एवं सेवाएँ
- स्पेन में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद फ्रांस और तुर्की हैं।
- दक्षिण/ दक्षिण-पूर्व एशिया के केवल दो देश जापान और दक्षिण कोरिया के पास ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं।
- ओडिशा में कोणार्क तट पर चंद्रभगा समुद्र तट, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण (जून 2019 में सम्मानित) प्राप्त करने वाला एशिया का पहला तट था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- पी.आई.बी.

5. पावर ऑफ साइबेरिया की गैस पाइपलाइन चीन-रूस बांड को मजबूत कर रही है।
- चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने "पावर ऑफ साइबेरिया" गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है।

गैस पाइपलाइन के संदर्भ में जानकारी

- यह न केवल चीन की ऊर्जा सुरक्षा का केंद्र है बल्कि बीजिंग और मास्को के बीच विशेष संबंधों को मजबूत करने के लिए एक विशाल सीमा-पार उपक्रम है।
- पूर्वी साइबेरिया में चायंदिंसकोय और कोवित्का के खेतों से गैस का उत्पादन किया जा रहा है और फिर उसे सीमा के रूसी छोर के अंतिम

करबे- ब्लागोवेशचेंस्क से पाइप द्वारा भेजा जा रहा है।

- वहाँ से, यह चीन की तरफ पर हीहे में प्रवेश करने से पहले अमूर नदी के नीचे गुफा से गुजारी जाएगी।
- विश्लेषकों का कहना है कि ब्रांड नई पाइपलाइन, रूस और चीन के प्रमुख सहयोगियों के रूप में यूरेशिया में घनिष्ठ ऊर्जा एकीकरण का प्रतीक है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- द हिंदू

6. संसद ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक, 2019 पारित किया है।
- संसद ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध विधेयक, 2019 को पारित किया है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- ई-सिगरेट का किसी भी प्रकार का उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित), वितरण या विज्ञापन (ऑनलाइन विज्ञापन सहित) एक संज्ञेय अपराध होगा।
- यह पहले अपराध के लिए एक वर्ष तक के कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों के साथ दंडनीय है और इसके बाद किए जाने वाले अपराधों के लिए तीन साल तक के कारावास और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ दंडनीय है।
- इलेक्ट्रॉनिक-सिगरेट के भंडारण पर भी 6 महीने तक कारावास या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है।
- किसी भी व्यक्ति को ई-सिगरेट के किसी भी स्टॉक के भंडारण के लिए किसी भी जगह का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- यह ई-सिगरेट के व्यापार, विज्ञापन, भंडारण और परिवहन पर प्रतिबंध लगाता है क्योंकि अध्ययनों से संकेत मिलता है कि यह निकोटीन

के नए उपयोगकर्ताओं को आकर्षित कर सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के संदर्भ में जानकारी

- इलेक्ट्रॉनिक-सिगरेट, बैटरी से चलने वाले उपकरण हैं जो निकोटीन युक्त घोल को गर्म करके एरोसोल का उत्पादन करते हैं, जो कि दहनशील सिगरेट में नशीला पदार्थ होता है।
- इनमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, हीट नॉट बर्न उत्पाद, ई-हूक्का और इसी तरह के उपकरण शामिल हैं।
- ध्यान दें कि, ई-सिगरेट की परिभाषा में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त कोई भी चिकित्सा उत्पाद शामिल नहीं है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

7. इनर लाइन परमिट प्रणाली

- हाल ही में, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 ऐसे क्षेत्रों और राज्यों को सुरक्षा प्रदान करेगा जहां इनर लाइन परमिट (आई.एल.पी.) लागू है।

इनर लाइन परमिट प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- यह एक दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को आई.एल.पी. प्रणाली के अंतर्गत संरक्षित राज्य में जाने या रहने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह प्रणाली वर्तमान में तीन पूर्वोत्तर राज्यों-अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में लागू है।
- आई.एल.पी. के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक इन राज्यों में नहीं जा सकता है यदि वह उस राज्य से संबंधित नहीं है और न ही वह व्यक्ति आई.एल.पी. में निर्दिष्ट अवधि से अधिक समय तक वहां ठहर सकता है।

लोगो को आई.एल.पी. कैसे मिलेगा?

- यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है।

- इसमें यात्रा की तारीख और राज्य में उन विशेष क्षेत्रों को भी निर्दिष्ट किया जाता है जहां की आई.एल.पी. धारक यात्रा कर सकता है।

पृष्ठभूमि

- आई.एल.पी. की अवधारणा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर विनियमन अधिनियम, 1873 के अंतर्गत औपनिवेशिक क्षेत्र से आती है, ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए नियम प्रवेश और प्रतिबंधित क्षेत्रों में बाहरी लोगों के रहने को विनियमित करने को प्रतिबंधित करते हैं।
- यह "ब्रिटिश विषयों" (भारतीयों) को इन क्षेत्रों में व्यापार करने से रोककर क्राउन के अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा करना था।
- 1950 में, भारत सरकार ने "ब्रिटिश विषयों" को "भारत के नागरिक" के साथ बदल दिया था।
- यह अन्य भारतीय राज्यों से संबंधित बाहरी लोगों से स्वदेशी लोगों के हितों की रक्षा के बारे में स्थानीय चिंताओं को संबोधित करना था।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक का संबंध

- नागरिकता (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाना है।
- यदि इसे आई.एल.पी. शासन के अंतर्गत राज्यों को इसके दायरे से बाहर करने के प्रावधानों के साथ लागू किया जाता है, तो इसका मतलब है कि सी.ए.बी. के अंतर्गत लाभार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे लेकिन इन तीन राज्यों में बसने में सक्षम नहीं होंगे।
- वास्तव में, मौजूदा भारतीय नागरिकों पर भी यही प्रतिबंध लागू है।
- जिन तीन राज्यों ने सबसे अधिक प्रवासन देखा है वे हैं असम, त्रिपुरा और मेघालय हैं, जिनमें से किसी में भी आई.एल.पी. प्रणाली नहीं है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –आंतरिक सुरक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

8. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

- हाल ही में, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम पी. बर् ने अपने ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई समकक्षों के साथ मिलकर मैसेंजर और इंस्टाग्राम जैसी सेवाओं में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन एम्बेड करने की योजना को छोड़ने के लिए फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग पर दबाव बनाया है।

एन्क्रिप्शन कैसे काम करता है?

- एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन संदेशों को इस तरह से स्कैम्बल करता है कि उन्हें केवल प्रेषक और इच्छित प्राप्तकर्ता द्वारा ही समझा जा सकता है।
- जैसा कि लेबल का तात्पर्य है कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन संचार के किसी भी एक छोर पर होता है।
- किसी संदेश को किसी प्रेषक के डिवाइस पर एन्क्रिप्ट किया जाता है, जो प्राप्तकर्ता के डिवाइस को अपठनीय प्रारूप में भेजा जाता है, फिर प्राप्तकर्ता के लिए डिकोड किया जाता है।
- एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी संदेश की सामग्री पर कोई बदलाव नहीं कर सकता है जब वह पारगमन में होता है।
- यह गुप्त संदेश की सामग्री को पढ़ने के लिए जासूसी या प्राप्तकर्ता को सीधे भेजने/ प्राप्त करने के लिए जासूसी या स्नूप को मजबूर करता है।
- या उन्हें सीधे प्रेषक या प्राप्तकर्ता के डिवाइस में हैक करना चाहिए, ऐसा कुछ जो "बड़े पैमाने पर" करना कठिन हो सकता है और बड़े पैमाने पर निगरानी को और अधिक कठिन बना देता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

04.12.2019

1. राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम

- राज्य मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) ने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में

लोकसभा में एक लिखित जवाब में सूचित किया है।

राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी

- स्थायी वित्त समिति द्वारा 12वीं एफ.वाई.पी. के दौरान राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई थी।
- यह राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन की छतरी के अंतर्गत लागू होने वाली एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- कार्यक्रम के दो घटक हैं
 - i. मानव घटक
 - ii. पशु घटक
- मानव घटक, नोडल एजेंसी, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में संचालित है।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के तत्वावधान में नोडल एजेंसी भारत पशु कल्याण बोर्ड (ए.डब्ल्यू.बी.आई.) के माध्यम से हरियाणा और चेन्नई में पशु स्वास्थ्य घटक पायलट परीक्षण के दौर में हैं।
- ए.डब्ल्यू.बी.आई. द्वारा पशु स्वास्थ्य घटक के लिए संचालित पायलट प्रोजेक्ट को 12वीं एफ.वाई.पी. की अंतिम एफ.वाई. के साथ अर्थात् 31.3.2017 से बंद कर दिया गया है।

उद्देश्य:

- उपयुक्त पशु काटने के प्रबंधन और रेबीज पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस पर स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को प्रशिक्षण देना
- उच्च जोखिम वाली श्रेणियों के लिए पशु काटने के पीड़ितों और पूर्व-जोखिम प्रोफिलैक्सिस के लिए पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के इंटरडर्मल मार्ग को अपनाने और लागू करने के लिए राज्यों की वकालत करना
- मानव रेबीज निगरानी प्रणाली को मजबूत करना
- रेबीज निदान के लिए एन.आर.सी.पी. के अंतर्गत क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण करना
- वकालत और संचार और सामाजिक गतिशीलता के माध्यम से समुदाय में जागरूकता पैदा करना

भारत द्वारा सामना की गई समस्याएँ

- जैसा कि विश्व स्तर पर 2030 तक रेबीज उन्मूलन अभियान जारी है। म्यांमार, मलेशिया और फिलीपींस जैसे पड़ोसी देशों से एंटी रेबीज वैक्सीन और सीरम की महत्वपूर्ण मांग हो रही है और ये देश भारत से वैक्सीन आयात कर रहे हैं।
- कई राज्यों और हितधारकों ने बताया है कि पड़ोसी देशों में भारतीय विनिर्माताओं द्वारा एंटी रेबीज वैक्सीन के सुविधापूर्ण निर्यात के परिणामस्वरूप घरेलू निविदाओं में विनिर्माताओं द्वारा गैर-जिम्मेदारी और गैर-भागीदारी हुई है।

रेबीज के संदर्भ में जानकारी

- रेबीज, राइबोन्यूक्लिक एसिड (आर.एन.ए.) विषाणु के कारण होता है जो एक पागल जानवर की लार में मौजूद होता है।
- यह एक पागल जानवर के काटने के बाद फैलता है जिससे जख्म में लार और विषाणु का जमाव होता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –स्वास्थ्य मुद्दा

स्रोत- पी.आई.बी.

2. प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान (पी.एम. युवा) योजना
 - कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास अभियान (पी.एम. युवा) योजना के संदर्भ में बताया है।

प्रधानमंत्री युवा योजना (युवा उद्यमिता विकास अभियान) के संदर्भ में जानकारी

- यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण पर एक केन्द्र प्रायोजित योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य निम्न के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है:

- i. उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण

- ii. उद्यमशीलता समर्थन नेटवर्क के लिए वकालत और आसान पहुँच
- समावेशी विकास के लिए सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा देना
- इस योजना की अवधि पांच वर्ष (2016-17 से 2020-21) तक है।

विशिष्ट उद्देश्य एवं वितरण

- संभावित और शुरुआती स्तर के उद्यमियों को शिक्षित और सुसज्जित करना
- एक मूल्यांकन और प्रमाणन तंत्र को डिजाइन करना
- सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना
- साथियों, शिक्षकों, निधियों और व्यावसायिक सेवाओं के नेटवर्क को सक्षम करने में उद्यमियों को जोड़ना
- उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए एक सांस्कृतिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करना
- इवेंट, ब्रांडिंग और मीडिया के माध्यम से गतिशील उद्यमशीलता की संस्कृति का निर्माण करना

योजना के लाभार्थी:

- स्नातक/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/ पी.एच.डी. कार्यक्रम/ डिप्लोमा में डिग्री कार्यक्रम में नामांकित पारंपरिक छात्र
- स्कूल के छात्र
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के छात्र
- असंगठित क्षेत्र, महिलाओं और ग्रामीण के साथ ही शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उद्यमियों सहित सभी नागरिक

टॉपिक-जी.एस. पेपर 2 –महत्वपूर्ण योजना

स्रोत- पी.आई.बी.

3. सऊदी अरब (अरब), जापान से जी20 की अध्यक्षता लेने वाला पहला देश है।
 - सऊदी अरब, जापान से जी20 की अध्यक्षता लेने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है।

जी20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी

- सऊदी अरब 21 नवंबर, 2020 को अपनी राजधानी रियाद में जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
- राज्य सभी के लिए 21वीं सदी के साकार अवसरों की थीम के अंतर्गत जी20 के काम का मार्गदर्शन करेगा।
- यह तीन उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:
- उन परिस्थितियों का निर्माण करके लोगों को सशक्त बनाना, जिसमें विशेष रूप से महिलाएं और युवा लोग रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं।
- खाद्य और जल सुरक्षा, जलवायु ऊर्जा और पर्यावरण पर सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देकर ग्रह की सुरक्षा करना
- नवाचार और तकनीकी उन्नति के लाभों को साझा करने के लिए दीर्घकालिक, साहसिक रणनीतियों को अपनाकर नवीन फ्रंटियर्स को आकार देना।

जी20 के संदर्भ में जानकारी

- जी20 (या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी), 19 देशों और यूरोपीय संघ (ई.यू.) की सरकारों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
- जी20 का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने से संबंधित नीति पर चर्चा करना है।
- इसने 2008 के बाद से अपने एजेंडे का विस्तार किया है और सरकार के प्रमुखों या राज्य के प्रमुखों के साथ ही वित्त मंत्रियों और विदेश मंत्रियों को समय-समय पर शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- अलजजीरा

4. पेयजल के संदूषक

- जल शक्ति मंत्रालय ने संसद में जल संदूषण के आंकड़ों को पेश किया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- राजस्थान में संदूषण से प्रभावित सबसे अधिक ग्रामीण बस्तियां हैं।
- पेयजल का सबसे सामान्य संदूषक लोहो है और उसके बाद लवणता, आर्सेनिक, फ्लुओराइड और भारी धातुएं हैं।
- आर्सेनिक और लौह प्रदूषण के मामले में, पश्चिम बंगाल और असम सबसे अधिक प्रभावित हैं।
- असम में लौह संदूषण से प्रभावित सबसे अधिक ग्रामीण बस्तियां हैं, इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार और ओडिशा का स्थान है।
- वे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जो इनमें से किसी संदूषक से प्रभावित नहीं हैं, उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, सिक्किम और तमिलनाडु शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –महत्वपूर्ण रिपोर्ट

स्रोत- ए.आई.आर.

5. समजियोन देश

- उत्तर कोरिया ने एक नए शहर, समजियोन के पूरा होने का जश्न मनाया है जो उत्तर कोरिया के पवित्र पर्वत के निकट नेता किम जोंग-उन के हस्ताक्षर निर्माण परियोजना है।

समजियोन काउंटी के संदर्भ में जानकारी

- यह उत्तर कोरिया के रायांगगेंग प्रांत में स्थित है।
- इसका नाम काउंटी में तीन झीलों पर रखा गया है, जिन्हें सामूहिक रूप से समजियोन के रूप में जाना जाता है।
- समजियोन, माउंट पैकटू के निकट स्थित है और यात्रा समूह जिले के हवाई अड्डे पर पहाड़ को देखने के लिए उड़ान भरते हैं, जो उत्तर कोरियाई पौराणिक कथाओं में महत्व रखता है।
- उत्तर कोरिया नए अपार्टमेंट, होटल, एक स्काई रिसॉर्ट और वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और चिकित्सा सुविधाओं के साथ समाजवादी

काल्पनिक यात्रा' के रूप में समजियोन को पेश कर रहा है।

- यह शहर उन सबसे बड़ी आर्थिक पहलों में से एक है, जिन्हें श्री किम ने "आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था" के लिए अपने अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1-कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

6. भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में खुलने जा रहा है।

- गुजरात में सौराष्ट्र तट पर एक हड़प्पा स्थल लोथल में एक राष्ट्रीय पहला समुद्री विरासत संग्रहालय स्थापित किया जाएगा।
- यह संग्रहालय समुद्री इतिहास, नाव निर्माण और व्यापार की सामग्री के पुरातत्व के पुनर्निर्माण हेतु पानी के नीचे पुरातत्व का एक स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र भी होगा।
- इस संग्रहालय की स्थापना पुर्तगाली समुद्री विरासत संग्रहालय की तकनीकी मदद से की जा रही है।
- केंद्र सरकार ने संग्रहालय के लिए पहला महानिदेशक नियुक्त किया है जो गुजरात सरकार के समुद्री बोर्ड से संबंधित होगा।
- लोथल, कांस्य युग में भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है।

पानी के नीचे पुरातत्व के संदर्भ में जानकारी

- यह पुरातत्व की एक विशेष शाखा है जिसमें बंदरगाहों, जहाजों के अवशेष और समुद्री उत्खनन के साथ-साथ पुरातात्विक खुदाई से लेकर अभिलेखीय और ऐतिहासिक अभिलेखों के छद्म अभिलेखों का अध्ययन जैसे डूबे हुए अवशेषों को पुनर्प्राप्त करना शामिल है।
- भारतीय समुद्री अध्ययनों ने 17वीं शताब्दी के भारतीय-पुर्तगाली व्यापार और वाणिज्य नेटवर्क में सुंची रीफ से लकड़ी और स्टील-पतवार वाले जहाजों के अवशेषों को शामिल किया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 -कला एवं संस्कृति

स्रोत- ए.आई.आर.

7. सरकार ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना- उड़ान (UDAN) का चौथा दौर शुरू किया है।

- सरकार ने देश के दूरस्थ और क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना- उड़ान (UDAN) (उड़े देश का आम नागरिक) के चौथे दौर की शुरुआत की है।
- इस दौर में उत्तर पूर्व क्षेत्र, पहाड़ी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और द्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

उड़ान योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह योजना अक्टूबर, 2016 में शुरू की गई थी, जो मौजूदा हवाई जहाजों और हवाई अड्डों के पुनरुद्धार के माध्यम से गैर-सेवारत और कम-सेवा वाले क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना चाहती है।
- पिछले तीन वर्षों में सरकार ने योजना के अंतर्गत तीन दौरों की बोली सफलतापूर्वक पूरी की है और लगभग 700 मार्गों को सम्मानित किया है।
- मंत्रालय का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक हजार मार्गों और 100 से अधिक हवाई अड्डों को चालू करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 - गवर्नंस

स्रोत- ए.आई.आर.

05.12.2019

1. पी.एम.-आशा (AASHA) योजना

- कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इस सीजन में दाल और तिलहन की स्वीकृत राशि का 3% से भी कम वास्तविकता में पी.एम.-आशा योजना के अंतर्गत खरीदा गया है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के संदर्भ में जानकारी

- यह योजना सितंबर, 2018 में घोषित की गई थी, इस योजना को यह सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में शुरू किया गया था कि दलहन, तिलहन और नारियल उगाने वाले किसानों को

वास्तविकता में प्रत्येक वर्ष उनकी फसलों के लिए निर्धारित किया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है।

- इस योजना का उद्देश्य केंद्रीय बजट 2018 में की गई घोषणा के अनुसार किसानों को उनकी उपज के लिए पारिश्रमिक मूल्य सुनिश्चित करना है।
- पी.एम.-आशा के तीन घटक हैं:
 - i. मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.)
 - ii. मूल्य में कमी भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस.)
- निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना का परीक्षण (पी.पी.पी.एस.)

मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.)

- इसके अंतर्गत दाल, तिलहन और नारियल की भौतिक खरीद, केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ की जाएगी।
- एन.ए.एफ.ई.डी., भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) राज्यों और जिलों में पी.एस.एस. ऑपरेशन भी शुरू करेगा।

मूल्य में कमी भुगतान योजना (पी.डी.पी.एस.)

- यह उन सभी तिलहनों को शामिल करेगी जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया गया है।
- पूर्व-पंजीकृत किसानों को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित बाजार यार्ड में अपनी उपज के लिए एम.एस.पी. और बिक्री या मोडल मूल्य के बीच अंतर का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।

निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना का परीक्षण (पी.पी.पी.एस.)

- यह परीक्षण आधार पर खरीद संचालन की आवश्यकताओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति प्रदान करेगा।
- प्रारंभ में यह तिलहन की खरीद के लिए लागू होगा। राज्यों के पास यह विकल्प होगा कि वे चयनित जिलों और जिले के ए.पी.एम.सी.,

जिनमें निजी स्टॉकिस्ट की भागीदारी शामिल हो, में परीक्षण आधार पर इस योजना का संचालन शुरू कर सके।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – अर्थशास्त्र (कृषि)

स्रोत- द हिंदू

2. जलवायु आपातकाल सी.ओ.पी. 25: कार्बन बजट क्या है?

- वैश्विक कार्बन बजट, कार्बन चक्र में पृथ्वी के कार्बन जलाशयों (जैसे भूभाग और वायुमंडल) के बीच कार्बन यौगिकों के सभी आदान-प्रदान (अंतःप्रवाह और बहिर्वाह) का योग है।
- इसे यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि क्या एक विशेष पूल/ जलाशय/ क्षेत्र, कार्बन डाइऑक्साइड के स्रोत के रूप में काम कर रहा है।
- यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उसे उपयुक्त स्तर पर रखा जाए जो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को सहनीय बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक रूप से आवश्यक है।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आई.पी.सी.सी.) के अनुसार, यदि आपदाकारी जलवायु परिवर्तन से बचना है तो वैश्विक औसत तापमान वृद्धि 1.5 ° C से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अमेरिकी, दुनिया की आबादी का लगभग 4.3 प्रतिशत है, वे 25% ऐतिहासिक उत्सर्जन (1751-2017) का कारण हैं। यूरोपीय संघ, जहां विश्व की जनसंख्या का 6.8 प्रतिशत है, वह 22 प्रतिशत उत्सर्जन (1751-2017) हेतु जिम्मेदार है।
- हालांकि, भारत, जहां दुनिया की आबादी के लगभग 18 प्रतिशत लोग रहते हैं, केवल 3 प्रतिशत उत्सर्जन हेतु जिम्मेदार है।
- ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, जो प्रत्येक वर्ष दुनिया भर के लिए उत्सर्जन का अनुमान लगाती है, ने कहा है कि वर्ष 2019 में भारत का उत्सर्जन (2.6 बिलियन टन या गीगाटन), वर्ष 2018 की

तुलना में केवल 1.8 प्रतिशत अधिक होने की संभावना है।

ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के संदर्भ में जानकारी

- ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट (जी.सी.पी.), एक ऐसा संगठन है जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और उनके कारणों की मात्रा निर्धारित करना चाहता है।
- इसे 2001 में स्थापित किया गया था, इसकी परियोजनाओं में तीन प्रमुख ग्रीनहाउस गैसों- कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के लिए वैश्विक बजट शामिल हैं।
- समूह का मुख्य उद्देश्य कार्बन चक्र को पूरी तरह से समझना है।
- यह प्रोजेक्ट ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती सांद्रता की समस्या से निपटने के लिए उत्सर्जन विशेषज्ञों, पृथ्वी वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों को एक साथ लाया है।
- यह वैश्विक कार्बन बजट और वैश्विक कार्बन एटलस प्रकाशित करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

3. व्याख्या: बोगनविलीया जनमत संग्रह से नित्यानंद के कैलासा तक, एक नए देश का गठन कैसे होगा?
- हाल ही में, प्रशांत क्षेत्र के एक द्वीप, बोगनविलीया ने यह तय करने के लिए जनमत संग्रह किया है कि क्या वह पापुआ न्यू गिनी का हिस्सा बने रहना चाहते हैं या एक स्वतंत्र देश बनना चाहता है।
- दुनिया भर में, विभिन्न क्षेत्र आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जैसे- स्पेन में कैटेलोनिया, इराक में कुर्दिस्तान, चीन में तिब्बत ने नए देशों की मांग की है।

कौन इसे एक देश घोषित कर सकता है?

- स्वतंत्रता घोषित करने हेतु कोई कानून वर्जित क्षेत्र नहीं है।

- कुछ निर्धारित आवश्यकताओं से परे, राष्ट्रीयता के लिए एक क्षेत्र की प्रार्थना मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि कितने देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे एक देश के रूप में मान्यता देने के लिए राजी होते हैं।
- राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा अनुमोदन, संयुक्त राष्ट्र एक देश के रूप में एक क्षेत्र को मान्यता देता है।
- उदाहरण :
 - i. सोमालिया में सोमालीलैंड को 1991 से एक देश के रूप में जाना जाने लगा था लेकिन उसे किसी अन्य ने मान्यता प्रदान नहीं की है।
 - ii. सर्बिया में कोसोवो ने 2008 में स्वतंत्रता की घोषणा की थी और केवल कुछ अन्य देशों ने इसे मान्यता प्रदान की थी।

राष्ट्र-आश्रित को क्या मापदंड मिलना चाहिए?

- मॉटेवीडियो सम्मेलन के अनुसार, 1933 के राष्ट्र-आश्रित के पास एक परिभाषित क्षेत्र, लोग, सरकार और अन्य देशों के साथ संबंध बनाने की क्षमता होनी चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र की मान्यता क्यों मायने रखती है?

- संयुक्त राष्ट्र की मान्यता का अर्थ है कि एक नए देश की विश्व बैंक, आई.एम.एफ. आदि तक पहुंच है।
- इसकी मुद्रा मान्यता प्राप्त है, जो इसे व्यापार करने की अनुमति देती है।
- प्रायः संयुक्त राष्ट्र के सदस्य एक देश को मान्यता देते हैं लेकिन एक निकाय के रूप में संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्रदान नहीं करता है।
- यह जनक देश की आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खिलाफ संरक्षण के संबंध में एक देश को ग्रे क्षेत्र में रखता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 – अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत की है।

- प्रधानमंत्री ने देश भर के स्कूलों में फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत की है।

फिट इंडिया स्कूल ग्रेडिंग प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- फिट इंडिया स्कूल रैंकिंग को तीन श्रेणियों- द फिट इंडिया स्कूल, जो रैंकिंग का पहला स्तर है, फिट इंडिया स्कूल (3 स्टार) और फिट इंडिया स्कूल (5 स्टार) में विभाजित किया गया है।
- रैंकिंग का स्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि फिटनेस गतिविधि के लिए उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त स्कूल, अपने छात्रों और शिक्षकों के बीच फिटनेस गतिविधियों को शामिल करने को कितना महत्व देता है।
- फिट इंडिया रैंकिंग प्रणाली को प्राप्त करने वाले स्कूल, फिट इंडिया के लोगो और ध्वज का उपयोग करने में सक्षम होंगे।
- स्कूल, फिट इंडिया पोर्टल पर जाकर स्वयं को फिट घोषित कर सकते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- लाइवमिंट

5. भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड: देश में पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड ई.टी.एफ.

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ई.टी.एफ.) के निर्माण और लॉन्च को अपनी मंजूरी प्रदान की है।
- भारत बॉन्ड ई.टी.एफ., देश का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड ई.टी.एफ. होगा।
- यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (CPSUs), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs), केंद्रीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (CPFI) और अन्य सरकारी संगठनों के लिए धन का एक अतिरिक्त स्रोत बनाने में मदद करता है।

भारत बांड ई.टी.एफ. की विशेषताएं:

- ई.टी.एफ., सी.पी.एस.ई./ सी.पी.एस.यू./ सी.पी.एफ.आई./ किसी भी अन्य सरकारी संगठन बॉन्ड्स (प्रारंभिक रूप से, सभी AAA-रेटेड बॉन्ड) द्वारा जारी किए गए बॉन्ड की एक टोकरी होगी।
- विनिमय पर व्यापार योग्य

- लघु इकाई आकार 1,000 रु
- पारदर्शी एन.ए.वी. (दिन के दौरान आवधिक लाइव एन.ए.वी.)
- पारदर्शी पोर्टफोलियो (वेबसाइट पर दैनिक प्रकटीकरण)
- कम लागत (0.0005%)

सूचकांक (इंडेक्स) पद्धति:

- सूचकांक का निर्माण एक स्वतंत्र सूचकांक प्रदाता- राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किया जाएगा।
- विशिष्ट परिपक्वता के वर्षों को ट्रैक करने वाले विभिन्न सूचकांक- 3 और 10 वर्ष हैं

सी.पी.एस.ई. के लिए भारत बॉन्ड ई.टी.एफ. लाभ:

- बॉन्ड ई.टी.एफ., सी.पी.एस.ई./ सी.पी.एस.यू./ सी.पी.एफ.आई. और अन्य सरकारी संगठनों को बैंक वित्तपोषण के अतिरिक्त उनकी ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेगा।
- यह खुदरा और एच.एन.आई. भागीदारी के माध्यम से अपने निवेशक आधार का विस्तार करेगा, जो उनके बांड की मांग को बढ़ा सकता है।
- अपने बांड की मांग में वृद्धि के साथ, ये जारीकर्ता कम लागत पर उधार लेने में सक्षम हो सकते हैं, जिससे समय की अवधि में उधार लेने की लागत कम हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त, एक्सचेंज पर बॉन्ड ई.टी.एफ. ट्रेडिंग अंतर्निहित बांड की बेहतर कीमत की खोज में मदद करेगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

6. मैडेन-जूलियन दोलन

- हाल ही में, भारतीय और अमेरिकी शोधकर्ताओं के एक दल ने एक अध्ययन में पाया है कि ग्लोबल वार्मिंग ने मौसम की एक महत्वपूर्ण प्रणाली को बदल दिया है और यह बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों को बदल सकता है, जिससे

उत्तर भारत में सर्दियों की बारिश कम हो सकती है और वैश्विक वर्षा प्रारूप में बदलाव हो सकता है।

मैडेन-जूलियन दोलन के संदर्भ में जानकारी

- एम.जे.ओ. को भूमध्य रेखा के पास बादलों और वर्षा के पूर्व-गतिमान "पल्स" के रूप में चित्रित किया जा सकता है, जो सामान्यतः प्रत्येक 30 से 60 दिनों में पुनरावृत्ति करता है और उष्णकटिबंधीय वातावरण की एक विशेषता है।
- एम.जे.ओ. प्रभाव, हिंद महासागर और पश्चिमी भूमध्यरेखीय प्रशांत पर सबसे अधिक स्पष्ट हैं।
- यह भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई मानसून सहित प्रमुख वैश्विक मानसून प्रारूप के समय, विकास और क्षमता को प्रभावित करता है।

यह कैसे प्रभावित होता है?

- एम.जे.ओ. का जीवन चक्र तब प्रभावित होता है जब यह विश्व में गर्म पानी के सबसे बड़े पूल, भारतीय-प्रशांत महासागर के सतही जल के साथ संपर्क करता है।
- हिंद महासागर के ऊपर एम.जे.ओ. दिनों की संख्या में कमी का एक कारण महासागर का तापमान भी है।
- एम.जे.ओ. व्यवहार में परिवर्तन से उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी प्रशांत, अमेज़न बेसिन, दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया (इंडोनेशिया, फिलीपींस और पापुआ न्यू गिनी) पर बारिश अधिक हो गई है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –भूगोल

स्रोत- द हिंदू

7. "राजनीतिक दल पंजीकरण निगरानी प्रबंधन प्रणाली" (PPRTMS)
 - भारतीय चुनाव आयोग ने "राजनीतिक दल पंजीकरण निगरानी प्रबंधन प्रणाली" (PPRTMS) के अंतर्गत राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा की है।

- आवेदकों द्वारा किए गए आवेदन की स्थिति पर नज़र रखने की सुविधा हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा।

राजनीतिक दल पंजीकरण निगरानी प्रबंधन प्रणाली की मुख्य विशेषताएं

- आवेदक (जो 1 जनवरी, 2020 से पार्टी पंजीकरण के लिए आवेदन कर रहे हैं) अपने आवेदन की प्रगति को ट्रैक कर सकेगा और एस.एम.एस. और ईमेल के माध्यम से स्थिति अपडेट प्राप्त कर सकेगा।
- आवेदक को अपने आवेदन में पार्टी/ आवेदक का संपर्क मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस प्रदान करना आवश्यक है, यदि वह आवेदन की प्रगति को ट्रैक करना चाहता है।

नोट:

- राजनीतिक दलों का पंजीकरण, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
- आयोग के साथ उक्त धारा के अंतर्गत पंजीकरण की मांग करने वाली एक पार्टी को अपने गठन की तारीख के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

8. मंत्रिमंडल ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में एस.सी./एस.टी. आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए मंजूरी प्रदान की है।
 - केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों (एस.सी.) और अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
 - संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में इन श्रेणियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी, 2020 को समाप्त होना था।

अनुच्छेद 330

- अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
- ऐसी जातियों और जनजातियों के लिए किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आरक्षित सीटों की संख्या, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
- समान प्रकार से, अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है।
- संविधान के 58वें संशोधन अधिनियम 1987 में संविधान के अनुच्छेद 332 में संशोधन किया गया है जो अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में "एस.टी." के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान प्रदान करता है।

संविधान (79वां संशोधन) अधिनियम 1999:

- सीटें एस.सी. और एस.टी. के लिए आरक्षित हैं और वे निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं।
- एस.सी. और एस.टी. के लिए कोई अलग मतदाता नहीं है।
- अनुच्छेद 325 स्पष्ट रूप से बताता है कि एक सामान्य मतदाता सूची होगी। इसका मतलब यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य, आरक्षित सीट के अतिरिक्त किसी भी सीट पर चुनाव लड़ सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

9. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक को मंजूरी प्रदान की है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक को मंजूरी प्रदान की है।
- कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, यह विधेयक,

भारत के हित का ख्याल रखता है और इसे जल्द से जल्द संसद में पेश किया जाएगा।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक के संदर्भ में जानकारी:

- यह विधेयक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह समुदायों के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के योग्य बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करना चाहता है।
- ये समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं।
- यह इन छह धर्मों से संबंधित लोगों के लिए नागरिकता हेतु छह वर्ष के स्थान पर 11 वर्ष के मानदंड में ढील देता है।
- यह विधेयक पिछली लोकसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसे राज्य सभा में नहीं ले जाया जा सका था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

10. दिल्ली के अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने हेतु संसद विधेयक

- संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विधेयक, 2019 को कल राज्यसभा की मंजूरी के साथ पारित किया है।

विधेयक के संदर्भ में जानकारी:

- यह विधेयक दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनिजों में रहने वाले 40 लाख से अधिक लोगों को मालिकाना हक देने के लिए एक कानूनी ढांचे का प्रावधान प्रदान करता है।
- यह निवासियों को संपत्तियों के स्वामित्व के अधिकार या स्थानांतरण या बंधक अधिकारों की पेशकश के अधिकार पावर ऑफ अटॉर्नी, बिबक्री का समझौता, इच्छा या अधिकार पत्र जैसे दस्तावेजों की पेशकश के आधार पर परिकल्पित करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

06.12.2019

1. युद्धाभ्यास इंद्र 2019

- युद्धाभ्यास इंद्र (INDRA) 2019, भारत और रूस के बीच एक संयुक्त, तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास है, जो भारत में एक साथ बबीना (झांसी के पास), पुणे और गोवा में आयोजित किया जाएगा।

युद्धाभ्यास के संदर्भ में जानकारी

- युद्धाभ्यास की इंद्र श्रृंखला वर्ष 2003 में शुरू की गई थी और वर्ष 2017 में पहला संयुक्त तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था।
- युद्धाभ्यास में पांच दिनों का प्रशिक्षण चरण शामिल होगा जिसमें एक व्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शामिल होगा।
- कॉर्डन हाउस हस्तक्षेप, इंप्रोवाइस्ड विस्फोटक उपकरणों को हैंडल और बेअसर करना, समुद्री मार्ग से हथियारों की तस्करी को रोकना और एंटी पाइरेसी उपायों जैसे सामरिक ऑपरेशन इंड ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

2. एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल

- शराब निर्माताओं ने नीति आयोग को एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन.ए.) के आयात शुल्क में कमी के लिए पत्र लिखा है।

एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के संदर्भ में जानकारी

- यह मादक पेय बनाने के लिए प्राथमिक कच्चा माल है जो विभिन्न स्रोतों- गन्ना, गुड़ और अनाज से प्राप्त होता है।
- यह सौंदर्य प्रसाधन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों जैसे इत्र, प्रसाधन, हेयर स्प्रे आदि के निर्माण में एक आवश्यक घटक के रूप में भी कार्य करता है।

ई.एन.ए. के गुण

- यह रंगहीन खाद्य-शेड अल्कोहल है जिसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है।
- इसमें उदासीन गंध और स्वाद होता है और सामान्यतः मात्रा के हिसाब से 95 प्रतिशत से अधिक अल्कोहल होती है।
- इसका उपयोग व्हिस्की, वोदका, जिन, केन, लिकर और मादक फल पेय जैसे मादक पेय पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

3. पुलिस स्टेशनों में वूमैन हेल्प डेस्क

- गृह मंत्रालय ने देशभर के पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए निर्भया फंड से 100 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है।

महिला हेल्प डेस्क के संदर्भ में जानकारी

- ये डेस्क, पुलिस थानों को अधिक महिला-अनुकूल और पहुंच योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि वे किसी भी महिला के पुलिस स्टेशन में जाने के लिए संपर्क का पहला और एकल बिंदु होंगे।
- इन हेल्प डेस्क पर महिला पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाएगा।
- बयान में कहा गया है कि कानूनी सहायता, परामर्श, आश्रय, पुनर्वास और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु इन हेल्प डेस्क में वकील, मनोवैज्ञानिक और एन.जी.ओ. जैसे विशेषज्ञों के पैनल को शामिल किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

4. सीवरेज क्षेत्र में भारत की पहली 14 एम.एल.डी., एच.ए.एम. परियोजना

- हरिद्वार के सराई में सीवरेज क्षेत्र में भारत की पहली हाइब्रिड वार्षिकी (एच.ए.एम.) परियोजना, 14 एम.एल.डी. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था।

- यह हाइब्रिड वार्षिकी (एच.ए.एम.) आधारित सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत पूरी होने वाली पहली एस.टी.पी. परियोजना है।
- यह संयंत्र उन्नत वायुजीवी जैविक प्रक्रिया, सीक्वेंसियल बैच रिएक्टर (एस.बी.आर.) प्रक्रिया पर आधारित है, जो उपचार के दौरान पोषक तत्वों को हटाने में सक्षम है और 100% पर्यावरण के अनुकूल परियोजना है।
- इस एच.ए.एम. परियोजना की एक और अनूठी विशेषता यह है कि इसके चालू होने के बाद कुशल प्रदर्शन और आउटपुट मापदंडों को पूरा करने के लिए इस संयंत्र को अगले 15 वर्षों की अवधि के लिए उसी डेवलपर द्वारा विनियमित और संचालित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा (एन.एम.सी.जी.) मिशन का दृष्टिकोण दीर्घकालिक है और इसलिए निर्माण की जा रही क्षमता पूरी तरह से 2035 तक की आवश्यकताओं का ख्याल रखेगी।

हाइब्रिड वार्षिकी के संदर्भ में जानकारी

- भारत में राजमार्ग निर्माण में पीपीपी (सार्वजनिक-निजी साझेदारी) को फिर से लाने के लिए सरकार द्वारा हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल (एच.ए.एम.) की शुरुआत की गई है।
- वित्तीय शब्दावली में, एक हाइब्रिड वार्षिकी का मतलब है कि सरकार एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित धनराशि का भुगतान करती है और फिर शेष अवधि में भिन्न धनराशि का भुगतान करती है।
- इस हाइब्रिड प्रकार के भुगतान पद्धति को तकनीकी बातचीत में एच.ए.एम. कहा जाता है।
- वर्तमान में, सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की भागीदारी को अपनाते समय तीन अलग-अलग मॉडल -पीपीपी वार्षिकी, पीपीपी टोल और ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण) का अनुसरण किया जा रहा है।

एच.ए.एम. की विशेषताएं

- एच.ए.एम., मौजूदा दो मॉडलों- बी.ओ.टी. (निर्माण, संचालन एवं स्थानांतरण) वार्षिकी और ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण) मॉडल के बीच एक मिश्रण है।
- डिजाइन के अनुसार, सरकार वार्षिक भुगतान (वार्षिकी) के माध्यम से पहले पांच वर्षों में परियोजना लागत के 40% का योगदान देगी।
- शेष भुगतान, सृजित परिसंपत्तियों और डेवलपर के प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

एच.ए.एम. के लाभ:

- यह डेवलपर को पर्याप्त तरलता प्रदान करता है और सरकार द्वारा वित्तीय जोखिम साझा किया जाता है।
- जब कि निजी भागीदार, निर्माण और रखरखाव के जोखिमों का वहन करना जारी रखता है क्योंकि बी.ओ.टी. (टोल) मॉडल के मामले में उसे केवल आंशिक रूप से वित्तपोषण जोखिम को सहन करने की आवश्यकता होती है।
- सरकार की नीति यह है कि एच.ए.एम. का उपयोग उन स्थापित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जहाँ अन्य मॉडल लागू नहीं हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 -अर्थशास्त्र (विभिन्न मॉडल)

स्रोत- पी.आई.बी.

5. एरियल सीडिंग और डार्ट सीडिंग

- हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वन अधिकारियों से पूछा है कि क्या बीज रोपण, जंगली क्षेत्रों में हेलीकॉप्टरों से बीजयुक्त डार्ट शॉर्ट फेंककर किया जा सकता है, जो दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा।

एरियल सीडिंग के संदर्भ में जानकारी

- यह एक अच्छी तरह से स्थापित अवधारणा है लेकिन इसे सामान्यतः डार्ट्स के साथ नहीं बल्कि एक विमान या ड्रोन के माध्यम से बीज छिड़ककर प्राप्त किया जाता है।
- एरियल सीडिंग का उपयोग न केवल विभिन्न फसलों को लगाने के लिए किया जा सकता है बल्कि जंगल की आग के बाद भूमि के बड़े क्षेत्रों

में घास फैलाने के लिए भी किया जा सकता है, जो अमेरिका जैसे देशों में एक सामान्य समस्या है।

एयर सीडिंग के फायदे

- यह मैन्युअल रूप से रोपण करने की तुलना में शीघ्रगामी और अधिक प्रभावी है।
- यह उन क्षेत्रों तक पहुंचने में भी सुगमता प्रदान करता है जहां इलाके चट्टानी या अधिक ऊंचाई पर हैं।
- इसका उपयोग दुनिया भर में सफलता की विभिन्न डिग्री के साथ किया गया है।

डार्ट सीडिंग

- डार्ट सीडिंग का उपयोग भी एरियल सीडिंग के समान व्यापक उद्देश्य के साथ किया जाता है, इसे भी दुर्गम क्षेत्रों में वृक्षारोपण करने हेतु उपयोग किया जाता है।
- इस प्रक्रिया में खुले मैदान में बीज वाले डार्ट्स को फेंकना शामिल है।
- एरियल सीडिंग में, कई बीज अंकुरित होने में विफल हो जाते हैं और यदि डार्ट रोपण कम उड़ान वाले हेलीकॉप्टर से किया जाता है तो बीज के उगने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है क्योंकि वे जमीन में अधिक गहराई तक पहुँच जाते हैं।
- 1990 के दशक के अंत में, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में डार्ट सीडिंग के एक प्रकार का उपयोग किया गया था।

नोट:

- हवाई और डार्ट वृक्षारोपण दोनों के साथ वृक्षारोपण मानसून की शुरुआत के करीब किया जाता है क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में बीजों को पानी देना प्रायः चुनौतीपूर्ण होता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

6. टोरेफैक्शन (भूनना): पराली जलाने को कम करने हेतु स्वीडिश तकनीक

- हाल ही में, सरकार ने पराली जलाने को कम करने हेतु एक स्वीडिश तकनीक टोरेफैक्शन का उपयोग करने का सोचा है, जो दिल्ली की वायु गुणवत्ता में तेज गिरावट हेतु महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।

टोरेफैक्शन के संदर्भ में जानकारी

- यह एक ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतः ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 200-350 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, वायुदाब पर न्यून कण ऊष्मायान दर और एक घंटे की अभिक्रिया अवधि शामिल है।
- इस प्रक्रिया के कारण बायोमास आंशिक रूप से विघटित हो जाता है, जिससे टॉरेफॉइड बायोमास या चर का निर्माण होता है, जिसे 'बायो कोल' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- जैव कोयले में प्रति यूनिट आयतन में ऊर्जा की अधिक मात्रा होती है और फसल स्थलों पर टोरेफिकेशन के बाद पैलेटाइजेशन अधिक लंबी दूरी तक परिवहन की सुविधा प्रदान करती है।
- यह भंडारण के दौरान बायोमास के अपघटन से जुड़ी समस्याओं से भी बचाता है।
- यह बायोमास के लगभग 65% को ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का रखरखाव और कल्याण विधेयक, 2019

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी प्रदान की है।
- यह विधेयक, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम, 2007 में संशोधन करना चाहता है।
- विधेयक का उद्देश्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण के लिए उन्हें उनकी मूलभूत आवश्यकताओं, संरक्षण और सुरक्षा, स्थापना, प्रबंधन और संस्थानों और

सेवाओं के विनियमन और संविधान के अंतर्गत गारंटीकृत अधिकारों को सुनिश्चित करने हेतु प्रदान करना है।

पी.आर.एस. लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा प्रकाशित सारांश के अनुसार, अधिनियम 2007 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

- वरिष्ठ नागरिकों को रखरखाव प्रदान करने के लिए बच्चों और उत्तराधिकारियों को कानूनी रूप से बाध्य किया गया था।
- राज्य सरकारों को प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने की अनुमति दी गई थी।
- वरिष्ठ नागरिक, जो स्वयं को बनाए रखने में असमर्थ हैं, उन्हें अपने बच्चों या उत्तराधिकारियों से मासिक भत्ता पाने के लिए रखरखाव न्यायाधिकरण में आवेदन करने का अधिकार दिया गया था।
- राज्य सरकारों को रखरखाव के स्तर को तय करने के लिए प्रत्येक उपखंड में रखरखाव न्यायाधिकरणों की स्थापना करनी थी। जिला स्तर पर अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना की जानी थी।
- राज्य सरकारों को मासिक रखरखाव भत्ते के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित करनी थी। विधेयक ने अधिकतम मासिक भत्ता 10,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया था।
- आवश्यक मासिक भत्ते का भुगतान न करने की सजा 5,000 रुपये या तीन महीने तक की जेल या दोनों तय की गई थी।

प्रस्तावित माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक के रखरखाव और कल्याण संशोधन विधेयक 2019 की प्रमुख विशेषताएं:

- i. 'बच्चों' और 'माता-पिता' की परिभाषा का विस्तार किया गया है।
- ii. 'रखरखाव' और 'कल्याण' की परिभाषा का विस्तार किया गया है।
- iii. रखरखाव के लिए आवेदन जमा करने का तरीका बढ़ा कर दिया गया है।

- iv. रखरखाव राशि के रूप में 10,000/- रुपये की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है।
- v. अस्सी वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आवेदनों के निपटान के लिए वरीयता दी जाएगी, प्रारंभिक आयु को शामिल किया गया है।
- vi. सीनियर सिटीजन केयर होम्स/ होमकेयर सर्विस एजेंसियों आदि का पंजीकरण शामिल किया गया है।
- vii. सीनियर सिटीजन केयर होम्स के लिए न्यूनतम मानकों को विधेयक में शामिल किया गया है।
- viii. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ नागरिकों के लिए नोडल पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला स्तरीय विशेष पुलिस इकाई को शामिल किया गया है।
- ix. वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन के विनियमन को शामिल किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

8. वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020

- एक पर्यावरण प्रबुद्ध मंडल, जर्मनवॉच ने वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 जारी किया है।

सूचकांक की विशेषताएं

- सूचकांक के अनुसार, 2018 में जापान सबसे अधिक प्रभावित है, उसके बाद फिलीपींस और जर्मनी हैं और उसके बाद मेडागास्कर, भारत और श्रीलंका है।
- वर्ष 2018 में हीटवेव, क्षति के प्रमुख कारणों में से एक था।
- शीर्ष दस सबसे अधिक प्रभावित देशों में भारत, जर्मनी और जापान 2018 के दौरान एक हीटवेव की विस्तारित अवधि से पीड़ित थे।
- ग्लोबल वलनरेबिलिटी लैंडर में भारत की रैंक वर्ष 2017 में 14वें स्थान से 2018 में 5वें स्थान पर आ गई है।

रैंकिंग का कारण

- वर्ष 2018 में, जापान में भीषण हीटवेव ने 138 लोगों की जान ले ली थी और 70,000 से अधिक

लोगों को हीटस्ट्रोक और थकावट के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।

- भारत ने पानी की कमी, फसल की विफलता और सबसे बुरी बाढ़ का सामना किया था।
- फिलीपींस से सितंबर, 2018 में टाइफून मंगखुट टकराया था, जिसे श्रेणी 5 टाइफून के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इसे वर्ष 2018 में दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली टाइफून के रूप में दर्ज किया गया था।
- शीर्ष-शक्तिशाली टाइफून मंगखुट का फिलीपींस ने मुकाबला किया था।
- जर्मनी में, अप्रैल-जुलाई 2018 की अवधि के दौरान देश में सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई थी, जिससे 1,200 से अधिक लोग मारे गए थे।
- मेडागास्कर में, दो चक्रवातों से लगभग 70 लोग मारे गए थे और 70,000 लोगों को शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

09.12.2019

1. दवीकोपेनावा ने अमेज़न वर्षावन के संरक्षण हेतु वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार जीता है।
- हाल ही में, राइट लाइवलीहुड अवार्ड के विजेता यानोमामी शमन दविकोपेनावा को प्रायः योनोमामी क्षेत्र के भीतर संसाधनों को लक्षित करने वाले सोने की खदानों के मालिकों और राजनेताओं द्वारा धमकी दी गई है।

राइट लाइवलीहुड अवार्ड के संदर्भ में जानकारी

- द राइट लाइवलीहुड अवार्ड, 1980 में स्वीडिश-जर्मन दार्शनिक जकोब वॉन उक्सकुल द्वारा स्थापित किया गया था।
- इस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है।
- यह पुरस्कार, उन साहसी लोगों और संगठनों को सम्मानित करता है जो वैश्विक समस्याओं के मूल कारणों का समाधान प्रस्तुत करते हैं,

पुरस्कार के संस्थापक ने महसूस किया कि इसकी नोबेल पुरस्कारों द्वारा अनदेखी की जा रही है।

- अधिकांश अन्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के विपरीत, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार की कोई श्रेणियां नहीं हैं।

राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 के संदर्भ में जानकारी

- अन्य तीन वैश्विक नेताओं के साथ स्वीडिश किशोर जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग को हाल ही में राइट लाइवलीहुड अवार्ड-2019 से सम्मानित किया गया है।
- ये नेता हैं:
- ब्राजील के स्वदेशी नेता दविकोपेनावा, जिन्होंने यानोमामी लोगों के भूमि अधिकारों का संरक्षण किया है।
- चीनी महिला अधिकार वकील, गुओ जियानमी है।
- पश्चिमी सहारा मानवाधिकार के रक्षक अमीनतौ हैदर हैं।

यानोमामी जनजाति के संदर्भ में जानकारी

- यानोमामी, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी अपेक्षाकृत पृथक जनजाति है।
- यानोमामी लोग, बड़े गोलाकार और सांप्रदायिक घरों में रहते हैं जिन्हें यानोस या शैबोनोस कहा जाता है।
- वे उत्तरी ब्राजील और दक्षिणी वेनेजुएला के वर्षावनों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत-डाउन टू अर्थ

2. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 450 बिलियन डॉलर के पार गया है।
- हाल ही में पहली बार, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत प्रवाह के कारण 450 बिलियन डॉलर को पार कर गया है, जिसने केंद्रीय बैंक को बाजार से डॉलर खरीदने में सक्षम बनाया है।

विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में जानकारी

- विदेशी मुद्रा भंडार, किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा रखी गई विदेशी मुद्राएं हैं।
- इन्हें विदेशी मुद्रा भंडार या विदेशी भंडार भी कहा जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार का उद्देश्य

- देश, एक निश्चित दर पर अपनी मुद्राओं के मूल्य को बनाए रखने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करते हैं।
- उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी रखा जाता है कि एक केंद्र सरकार एजेंसी के पास बैकअप फंड्स (समर्थन नधि) हैं यदि उनकी राष्ट्रीय मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन होता है या पूरी तरह से दिवालिया हो जाती है।
- इसका महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक संकट की स्थिति में तरलता बनाए रखना है।
- रिजर्व बैंक ने हमेशा अपने विदेशी भंडार को बनाए रखा है जो अस्थिरता पर अंकुश लगाने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने में मदद करता है और विनिमय दर के एक विशेष स्तर को लक्षित नहीं करता है।
- केंद्रीय बैंक बाजारों को स्थिर बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा की आपूर्ति करता है। यह अपने मूल्य का समर्थन करने और मुद्रास्फीति को रोकने के लिए स्थानीय मुद्रा भी खरीदता है।
- यह विदेशी निवेशकों के बीच विश्वास पैदा करने में मदद करता है क्योंकि यह अपने निवेश की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने हेतु तैयार है। यह देश के लिए पूंजी की सुरक्षा और हानि के लिए शीघ्र घटने या बढ़ने से भी रोकेगा।

विदेशी मुद्रा भंडार के घटक

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में चार श्रेणियां शामिल हैं:

विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां

- ये अमेरिकी डॉलर और अन्य प्रमुख गैर-अमेरिकी वैश्विक मुद्राओं के रूप में हैं।

विशेष आरक्षण अधिकार

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व संपत्ति है, जो आई.एम.एफ. द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों

के आधिकारिक भंडार के पूरक हेतु बनाई गई थी।

- एस.डी.आर. टोकरी में पाँच मुद्राएँ शामिल हैं जिनके नाम अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेंमिन्बी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग हैं।

सोना

- इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्ताओं, नोटधारकों या ट्रेडिंग साथियों को भुगतान करने या मुद्रा को सुरक्षित करने की गारंटी के रूप में काम करने के इरादे से रखा जाता है।

रिजर्व ट्रेन्च स्थिति

- एक रिजर्व ट्रेन्च, मुद्रा के आवश्यक भाग का वह हिस्सा है जिसे प्रत्येक देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रदान करना होता है, जिसे किसी भी समय किसी भी देश की महत्वपूर्ण स्थितियों के दौरान ब्याज के बिना वापस लिया जा सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

3. बर्ड वॉक महोत्सव

- तेलंगाना, बर्ड वॉक महोत्सव आयोजित करने वाला पहला राज्य है, जिसका उद्देश्य प्रकृति के उस हिस्से के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है, जो इसकी रक्षा करता है।
- बर्ड वाक यात्रा में पेंचिकालपेट रेंज में लॉन्ग-बिल्ड गिद्धों के प्राकृतिक आवास का दौरा, मेहतर पक्षी प्रमुख प्रजातियों के रूप में शामिल हैं।

फ्लैगशिप प्रजातियों के संदर्भ में जानकारी

- ये ऐसी प्रजातियां हैं जो जनता की कल्पनिकता को पकड़ने और लोगो को संरक्षण कार्य करने और/ अथवा निधि दान करने के लिए प्रेरित करती हैं।
- ये लोकप्रिय, करिश्माई प्रजातियां हैं जो संरक्षण जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के

लिए प्रतीकों और एक जरिए के रूप में काम करती हैं।

- फ्लैगशिप प्रजातियों के उदाहरणों में बंगाल टाइगर, विशाल पांडा, एशियाई हाथी आदि शामिल हैं।

नोट:

- लॉन्ग-बिल्ड गिद्ध, भारतीय गिद्ध की प्रजातियों में से एक है जिसे आई.यू.सी.एन. की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 – कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

4. फ्रॉगफोन

- शोधकर्ताओं ने फ्रॉगफोन नामक एक उपकरण विकसित किया है जो वैज्ञानिकों को जंगल में मेंढकों की निगरानी करने की अनुमति देगा।
- यह दुनिया का पहला सौर-संचालित रिमोट सर्वेक्षण उपकरण है जिसे किसी भी मेंढक तालाब में स्थापित किया जा सकता है और जो 3जी या 4जी सेलुलर नेटवर्क रिसीव करता है।

ये उपकरण कैसे काम करते हैं?

- फ्रॉगफोन के साथ शोधकर्ता साधारणतः एक मेंढक के निवास स्थान को "कॉल" कर सकते हैं।
- एक स्थल पर पहले से ही मौजूद फ्रॉगफोन में से एक को कॉल किए जाने के बाद, डिवाइस को इसे प्राप्त करने में तीन सेकंड लगेंगे।
- इन कुछ सेकंडों के दौरान, डिवाइस का तापमान सेंसर सक्रिय हो जाएगा और हवा का तापमान, पानी का तापमान जैसा पर्यावरणीय डेटा और बैटरी वोल्टेज एक टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से कॉलर के फोन पर भेजा जाएगा।

लाभ

- फ्रॉगफोन, शोधकर्ताओं को इन उपकरणों को दूर से डायल करने और बाद में डेटा का विश्लेषण करने की अनुमति देगा।

- शोधकर्ताओं का कहना है कि यह लागत और जोखिम को कम करेगा, जिसमें क्षेत्र स्थल पर मानव उपस्थिति के नकारात्मक प्रभाव भी शामिल हैं।
- ये उपकरण स्थानीय मेंढक आबादी की निगरानी के लिए पहले की तुलना में अधिक बार अनुमति देते हैं, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि इन आबादी को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

5. पाइका विद्रोह

- हाल ही में, भारत के राष्ट्रपति ने 1857 में सिपाहियों के विद्रोह की भविष्यवाणी करने वाले औपनिवेशिक शासन के खिलाफ विद्रोह, पाइका विद्रोह के 200 वर्षों को चिह्नित करने के लिए एक स्मारक की आधारशिला रखी है।

पाइका विद्रोह के संदर्भ में जानकारी

- इसे पाइका विद्रोह भी कहा जाता है जो 1817 में ओडिशा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था।
- इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी कहा जाता है जो 1857 के सिपाही विद्रोह से बहुत पहले 1817 में शुरू हुआ था।
- 1817 में, कुछ 400 कोंध, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए घुमसर क्षेत्र से उतरे थे। बख्शी जगबंधु बिद्याधर महापात्र भरमारबार राय, मुकुंद देव II के सर्वोच्च श्रेणी के सैन्य जनरल और आकर्षक रोडांगा राज्य के पूर्ववर्ती धारक ने कोंधों के उत्थान के लिए पाइका की एक सेना का नेतृत्व किया था।
- पाइकों ने बानापुर में सरकारी इमारतों में आग लगा दी थी और पुलिसकर्मियों को मार डाला था और खजाना लूट लिया था और चिलिका में ब्रिटिश नमक एजेंट के जहाज को गिरा दिया था।
- वे फिर खुर्दा की ओर बढ़े और कई ब्रिटिश अधिकारियों को मार डाला था। अगले कुछ

महीनों में, पाइका ने कई स्थानों पर खूनी लड़ाई लड़ी थी लेकिन औपनिवेशिक सेना ने धीरे-धीरे विद्रोह को कुचल दिया था।

- बक्शी जगबंधु बचकर जंगलों में भाग गए थे और 1825 तक अंग्रेजों की पहुंच से बाहर रहे थे तब उन्होंने अंततः बातचीत की शर्तों के अंतर्गत आत्मसमर्पण कर दिया था।

पाइका के संदर्भ में जानकारी

- पाइका, ओडिशा की पारंपरिक नागरिक सेना थी।
- वे योद्धाओं के रूप में सेवा करते थे और शांतिकाल के दौरान उन्हें पुलिसिया कार्यों के अधिकार प्रदान किए जाते थे।

नोट:

- सरकार ने भी वर्ष 2018 में पाइका विद्रोह की स्मृति में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 – इतिहास (जनजाति आंदोलन)

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

6. वर्चुअल ऑटोप्सी (वर्चुअल शव परीक्षण)

- स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में बताया है कि भारत "वर्चुअल शव परीक्षण" करने वाला दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश होगा।
- एक वर्चुअल शव परीक्षण में, डॉक्टर मृत्यु के कारण के बारे में निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए शव का परीक्षण करने के लिए विकिरण का उपयोग करते हैं।
- इसमें कम्प्यूटरीकृत टोमोग्राफी जैसी समान अवधारणा या एक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग मशीन का प्रयोग किया जा सकता है।
- एक वर्चुअल शव परीक्षण, एक पारंपरिक शव परीक्षण की तुलना में जल्दी होता है अर्थात ढाई घंटे की तुलना में 30 मिनट में होता है।
- "शव परीक्षण (पोस्टमॉर्टम परीक्षा, ऑटोप्सीएडएवरम या ऑब्डक्शन), एक अत्यधिक विशिष्ट सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें मृत्यु के कारण और तरीके को निर्धारित करने

और मौजूद किसी भी बीमारी या चोट का मूल्यांकन करने के लिए एक शव की पूरी जांच होती है।

- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) शरीर को काटे/विच्छेदित किए बिना पोस्टमॉर्टम की तकनीक पर एक साथ काम कर रहे हैं।
- यह तकनीक अगले छह महीनों में कार्यात्मक होने की संभावना है।

वर्चुअल शव परीक्षण के लाभ

- इसे पूरे शरीर के व्यापक और प्रणालीगत परीक्षण के लिए मानक शव परीक्षण के विकल्प के रूप में नियोजित किया जा सकता है क्योंकि इसमें कम समय लगता है, बेहतर निदान होता है और धार्मिक भावनाओं का सम्मान होता है।

पृष्ठभूमि

- द लैंसेट के एक पेपर के अनुसार, आभासी शव परीक्षण का आगमन "शवों के विच्छेदन पर लंबे समय से सार्वजनिक आपत्ति का कारण है, जो 1990 के दशक के अंत में अंग प्रतिधारण घोटालों के बाद यू.के. में एक प्रमुख मुद्दे के रूप में फिर से उभरा था।"
- कुछ समूहों- यहूदी और मुस्लिम समुदायों को शव परीक्षण पर धार्मिक आपत्ति है और न्यूनतम-आक्रामक विकल्प की मांग बढ़ी है।"

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- टी.ओ.आई.

7. किसान की परिभाषा

- केंद्रीय कृषि मंत्री संसद में इस सवाल का जवाब देने में विफल रहे कि किसान कौन हैं? एक सरकार की किसान की परिभाषा क्या है और उस परिभाषा के अनुसार भारत में कितने किसान हैं?
- एक लिखित प्रतिक्रिया में, मंत्री ने केवल यह उल्लेख किया है कि केंद्र ने उन सभी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान की है, जिनके

पास पी.एम.-किसान के माध्यम से खेती योग्य भूमि थी।

- सरकार की अस्पष्टता के डिजाइन के लिए और योजनाओं के लाभार्थियों के लिए गंभीर निहितार्थ हैं, जो उनकी मदद करने के लिए हैं, जिसमें उनकी प्रमुख पी.एम.-किसान (प्रधानमंत्री किसान निधि) शामिल हैं।
- संसद के सदस्यों ने बताया है कि खेती करने वाले परिवारों की संख्या, जमींदारों की संख्या के साथ आवश्यक रूप से समान नहीं थी और इसलिए यह भारत में किसानों की संख्या का अनुमान लगाने का सही तरीका नहीं था।

राष्ट्रीय किसान नीति के संदर्भ में जानकारी

- राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय किसान नीति में स्पष्ट और व्यापक परिभाषा उपलब्ध है, जिसकी अध्यक्षता एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा की जा रही है और इसे वर्ष 2007 में केंद्र द्वारा आधिकारिक रूप से अनुमोदित किया गया है।
- नीति में कहा गया है कि इस नीति के प्रयोजन के लिए, 'किसान' शब्द, बढ़ती हुई फसलों और अन्य प्राथमिक कृषि उत्पादों को उगाने की अजीविका गतिविधि और/ या अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से संलग्न व्यक्ति को संदर्भित करता है।
- इसमें सभी कृषि परिचालन धारक, कृषक, खेतिहर मजदूर, बटाईदार, काश्तकार, मुर्गीपालन और पशुधन पालन करने वाले, मछली पालन करने वाले, मधुमक्खी पालन करने वाले, बागवान, पशुपालक, गैर-कॉरपोरेट पौधे लगाने वाले और रोपण मजदूरों के साथ ही रेशम उत्पादन, कृमि और कृषि-वानिकी जैसे विभिन्न कृषि से संबंधित व्यक्ति भी शामिल होंगे।
- इस शब्द में शिफ्टिंग कृषि में संलग्न आदिवासी परिवार/ व्यक्ति भी शामिल होंगे और इस समेह में, लघु और गैर-लकड़ी वन उपज के संग्रह, उपयोग और बिक्री शामिल होंगे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

8. व्हाइट ड्वार्फ सिस्टम

- हाल ही में पहली बार, खगोलविदों ने एक विशाल ग्रह के अप्रत्यक्ष साक्ष्य पाए हैं जो एक व्हाइट ड्वार्फ तारे (WDJ0914 + 1914) की परिक्रमा कर रहा है।
- यह तंत्र कर्क नक्षत्र में पाया गया था।
- ग्रह को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा गया था, लेकिन इसकी मौजूदगी का प्रमाण इसके वाष्पीकृत वातावरण के कारण बनने वाली गैस (हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर) की एक डिस्क के रूप में था, जिसका चिली में यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के बहुत बड़े दूरदर्शी द्वारा पता लगाया गया था।
- यह एक व्हाइट ड्वार्फ तारे के चारों ओर घूमने वाले एक वास्तविक ग्रह का पहला साक्ष्य है।

व्हाइट ड्वार्फ के संदर्भ में जानकारी

- एक व्हाइट ड्वार्फ, जिसे डीजनरेटेड ड्वार्फ भी कहा जाता है, एक तारकीय कोर अवशेष है जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन- डीजनरेटेड पदार्थ से बना होता है।
- एक व्हाइट ड्वार्फ बहुत सघन है: इसका द्रव्यमान, सूर्य के द्रव्यमान के समतुल्य होता है, जब कि इसका आयतन, पृथ्वी के आयतन के समतुल्य होता है।
- एक व्हाइट ड्वार्फ की कम चमक संग्रहीत ऊष्मीय ऊर्जा के उत्सर्जन से आती है, व्हाइट ड्वार्फ में कोई संलयन नहीं होता है।
- निकटतम ज्ञात व्हाइट ड्वार्फ सिरियस बी. है, जो 8.6 प्रकाश वर्ष पर है, जो सिरियस बाइनरी स्टार का छोटा घटक है।
- वर्तमान में माना जाता है कि सूर्य के करीब सौ तारा प्रणालियों में से आठ व्हाइट ड्वार्फ हैं।
- व्हाइट ड्वार्फ की असामान्य चमक को पहली बार 1910 में पहचाना गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – विज्ञान एवं तकनीक

10.12.2019

1. संथाली भाषा

- हाल ही में, राज्य सभा में पहली बार संथाली भाषा बोली गई है।

संथाली भाषा के संदर्भ में जानकारी

- संथाली को संताली के रूप में भी जाना जाता है, जो हो और मुंडारी से संबंधित, ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषाओं की मुंडा उप-परिवार की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है।
- इसे झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों की दूसरी राज्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- यह भाषा मुख्य रूप से भारतीय राज्यों: असम, बिहार, झारखंड, मिजोरम, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है।
- यह भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार, भारत की एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा भी है।

पृष्ठभूमि

- 1925 में मयूरभंज कवि रघुनाथ मुर्मू द्वारा संताली के लिए ओल चिकी लिपि बनाई गई थी और इसे वर्ष 1939 में पहली बार प्रकाशित किया गया था।
- ओल चिकी वर्णानुक्रमक है, जो अन्य भारतीय लिपियों के पाठ्यक्रम गुणों में से कोई भी गुण साझा नहीं करती है और अब इसे भारत में संताली लिखने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- पी.आई.बी.

2. संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक 2019

- हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 2019 मानव विकास रिपोर्ट/ सूचकांक जारी किया है, जिसका शीर्षक "आय से परे, औसत से परे, आज से परे: 21वीं शताब्दी में मानव विकास में असमानताएं हैं"।

मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

एच.डी.आई., तीन मूल आयामों में प्रत्येक देश की प्राप्ति का समग्र उपाय है:

- स्वास्थ्य को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है।
- जीवन शैली को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (जी.एन.आई.) द्वारा मापा जाता है।
- शिक्षा के स्तर की गणना वयस्क आबादी के मध्य शिक्षा और बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों के द्वारा की जाती है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- नॉर्वे को एच.डी.आई. पैमाने पर शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, इसके बाद स्विट्जरलैंड और आयरलैंड को स्थान प्रदान किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, 1990-2018 में दक्षिण एशिया, मानव विकास में सबसे तेजी से 46 प्रतिशत की दर से विकास करने वाला क्षेत्र था, इसके बाद पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 43% की वृद्धि देखी गई है।

भारत और एच.डी.आई.

- भारत को 2019 एच.डी.आई. में 189 देशों में 129वां स्थान प्राप्त हुआ है- जो कि पिछले वर्ष प्राप्त 130वें स्थान से एक स्थान ऊपर है।
- भारत का एच.डी.आई. मूल्य 50% (0.431 से 0.647 तक) बढ़ा है, जिसने इसे अन्य दक्षिण एशियाई देशों (0.642) के लिए औसत से ऊपर रखा है।
- भारत के पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान (170) सूची में निचले स्थान पर है।

असमानता-समायोजित एच.डी.आई.

- भारत का स्थान एक स्थान नीचे गिरकर 130वें स्थान पर आ गया है, पिछले 30 वर्षों में लगभग आधी प्रगति (.647 से .477) कम हो गई है।
- असमानता-समायोजित एच.डी.आई., असमानताओं के कारण एच.डी.आई. में प्रतिशत हानि का संकेत देता है।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि समूह-आधारित असमानताएं निरंतर रूप से बनी हुई हैं, यह विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करती हैं और दुनिया में किसी भी स्थान पर लैंगिक समानता नहीं है।

लिंग असमानता सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- लिंग असमानता सूचकांक (जी.आई.आई.), लिंग असमानता को मापने हेतु एक सूचकांक है जिसे वर्ष 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा मानव विकास रिपोर्ट में पेश किया गया था।
- यू.एन.डी.पी. के अनुसार, यह सूचकांक लैंगिक असमानता के कारण किसी देश में उपलब्धि के नुकसान की मात्रा को मापने हेतु एक समग्र उपाय है।
- यह अवसर लागत को मापने हेतु तीन आयामों का उपयोग करता है:
 - प्रजनन स्वास्थ्य
 - सशक्तिकरण
 - श्रम बाजार भागीदारी
- लिंग असमानता सूचकांक (जी.आई.आई.) में, भारत 162 देशों में से 122वें स्थान पर है।
- पड़ोसी चीन (39), श्रीलंका (86), भूटान (99), म्यांमार (106) को भारत से ऊपर रखा गया है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुसार वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए दुनिया सही मार्ग पर नहीं है।
- यह अनुमान लगाता है कि आर्थिक अवसर में लिंग अंतर को समाप्त करने में 202 वर्ष लग सकते हैं- यह जी.आई.आई. के तीन संकेतकों में से एक है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –महत्वपूर्ण रिपोर्ट/ सूचकांक

स्रोत- द हिंदू

3. व्याख्या: बलात्कार और यौन अपराधों पर कानून
- संसद में, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करने वाले अपराधी पर आपराधिक

न्याय प्रणाली को सख्त बनाने हेतु काफी चर्चा हुई है।

भारत में बलात्कार कानून

भारतीय दंड संहिता, 1860:

- 'बलात्कार' को स्पष्ट रूप से परिभाषित अपराध के रूप में पहली बार वर्ष 1860 में भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया था।
- भारत में बलात्कार कानून आज भी लिंग-विशिष्ट बना हुआ है, क्योंकि कि अपराध का अपराधी केवल एक "पुरुष" हो सकता है।
- आई.पी.सी. की धारा 375 में एक महिला के साथ किसी पुरुष द्वारा यौन संबंध के लिए दंडनीय कार्रवाई का नियम है यदि यह उसकी मर्जी के खिलाफ या उसकी सहमति के बिना किया गया है।
- बलात्कार की परिभाषा में महिला या उसके करीबी व्यक्ति को जान से मारने या चोट पहुँचाने के डर/ धमकी से उसकी सहमति लेकर उसके साथ किया गया यौन संबंध भी शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, उसकी सहमति के साथ या उसके बिना यौन संबंध बनाना भी बलात्कार माना जाएगा, यदि वह 18 वर्ष से कम आयु की हो।
- हालांकि, अपवाद के अंतर्गत, अपनी पत्नी के साथ एक आदमी द्वारा संभोग करना या यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाता है, यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है।
- धारा 376 में बलात्कार के अपराधी को सात वर्ष की कैद से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।
- धारा 228 ए बलात्कार सहित कुछ अपराधों के पीड़ित की पहचान का खुलासा करने को दंडनीय अपराध बनाता है।

2013 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम:

- महिलाओं के बलात्कार के मामले में 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की न्यूनतम सजा को सख्त करके आजीवन कारावास तक कर दिया गया है।

- इसने बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया है यदि कृत्य पीड़ित की मृत्यु का कारण बनता है या उसे वानस्पतिक अवस्था में छोड़ देता है।
- इसने नए अपराधों का निर्माण भी किया है जैसे कि एक महिला को नंगा करने, तांक-झांक करने और स्टॉकिंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का उपयोग करना।
- स्टॉकिंग के मामले में तीन वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान है।
- एसिड अटैक के अपराध को 10 वर्ष के कारावास में बढ़ा दिया गया है।

पॉक्सो अधिनियम

- बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए पॉक्सो अधिनियम, 2012 लागू किया गया था।
- अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया है।
- संशोधन में 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की और लड़के दोनों के लिए अत्यधिक छेदक यौन उत्पीड़न के लिए मौत की सजा सहित कड़े दंड के लिंग-उदासीन अनुप्रयोग का प्रावधान है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. वैश्विक हथियार उद्योग रैंकिंग 2018

- स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान (सिपरी) की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 में दुनिया भर में हथियारों की बिक्री में लगभग पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- अकेले अमेरिकी निर्माता, बाजार के 59 प्रतिशत हेतु जिम्मेदार है जो इस सूची में हावी हैं।
- रूस बाजार के 8.6 प्रतिशत के साथ हथियारों के उत्पादन के लिए रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था, जो यूनाइटेड किंगडम से थोड़ा आगे था, जो 8.4 प्रतिशत पर था और फ्रांस 5.5 प्रतिशत पर था।

स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के संदर्भ में जानकारी

- यह 1966 में स्थापित किया गया था जो संघर्ष, आयुध, हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु समर्पित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है।
- यह स्टॉकहोम (स्वीडन) में स्थित है, यह संस्थान नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक जनता के लिए खुले स्रोतों के आधार पर डेटा, विश्लेषण और सिफारिशें प्रदान करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संस्थान

स्रोत- पी.आई.बी.

5. पशु किसान क्रेडिट कार्ड

- हाल ही में, हरियाणा सरकार ने भारत में पहला पशु किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया है।
- हरियाणा सरकार ने मार्च 2021 तक 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा है।

पशु किसान क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में जानकारी

- हरियाणा इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है।
- 101 पशुधन मालिकों को कार्ड वितरित किए गए हैं और वे इनका उपयोग पशु चारा आदि के भुगतान के लिए कर सकते हैं।
- वे एक निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान कर सकते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत, बैंक एक गाय के लिए 40783 रुपये और एक भैंस के लिए 60249 रुपये देते हैं।
- बकरी और भेड़ प्रत्येक के लिए क्रेडिट राशि 4063 रुपये है। सुअर के मामले में, यह राशि 16337 रुपये प्रति सुअर है। मुर्गियों के लिए, यह राशि 720 रुपये प्रति लेयर और 161 रुपये प्रति ब्रॉयलर मुर्गी है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस (राज्य पी.सी.एस. हेतु महत्वपूर्ण)

स्रोत- ए.आई.आर. और द ट्रिब्यून

- 6. महासागरों में ऑक्सीजन की कमी पर आई.यू.सी.एन. की रिपोर्ट

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आई.यू.सी.एन.) ने "ओशियन डिऑक्सीजिनेशन: एवरीवन्स प्रॉब्लम" शीर्षक नामक एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें महासागरीय डिऑक्सीजिनेशन द्वारा चलाए जा रहे परिवर्तनों के पैमाने और प्रकृति की रिपोर्ट है।
- महासागरों के डिऑक्सीजिनेशन का अर्थ कृषि उर्वरकों से जल निकायों में पोषक तत्वों का अपवाह जैसी मानवजनित गतिविधियों के परिणामस्वरूप दुनिया के महासागरों में ऑक्सीजन न्यूनतम क्षेत्रों का विस्तार है।
- अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, 1960 से 2010 तक महासागरों में ऑक्सीजन का स्तर लगभग 2 प्रतिशत गिर गया है।

डीऑक्सीजिनेशन का प्रभाव

- संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे सहित दुनिया के कई हिस्सों में, मछलियां मर रही हैं- यह इस बात का स्पष्ट चित्रण है कि समुद्रों को डिऑक्सीजिनेशन किस प्रकार प्रभावित कर रहा है।
- इसके अतिरिक्त, महासागरों में ऑक्सीजन की हानि, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे तत्वों के ग्रहों के चक्रण को प्रभावित कर सकती है जो पृथ्वी पर जीवन हेतु आवश्यक हैं।
- जैसा कि महासागर ऑक्सीजन खो देते हैं तो वे अधिक अम्लीय हो जाते हैं, एक घटना जिसके परिणामस्वरूप शेलफिश में कुछ स्थानों पर उनके शेल खराब या घुल जाते हैं - इसे "समुद्र का ऑस्टियोपोरोसिस" कहते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3-पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

7. विज्ञान आधारित महासागर समाधान हेतु एक प्लेटफॉर्म
- चिली ने पार्टियों के सम्मेलन के 25वें सत्र (सी.ओ.पी. 25) के विज्ञान-आधारित महासागर समाधान हेतु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।

विज्ञान आधारित महासागर समाधान हेतु प्लेटफॉर्म के संदर्भ में जानकारी

- इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य समुद्र और जलवायु के मुद्दों को सहक्रियात्मक रूप से संबोधित करने की आवश्यकता को बढ़ावा देना और देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं और रणनीतियों में महासागर के समावेश को प्रोत्साहित करना है।
- प्लेटफॉर्म अवधारणा नोट में समुद्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रूपरेखा है और संभावित समुद्री प्रकृति-आधारित समाधानों पर प्रकाश डाला गया है।
- यह प्लेटफॉर्म जलवायु परिवर्तन और समुद्र पर इसके प्रभाव का समर्थन करने के लिए नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित और निर्देशित करेगा।

ब्लू सी.ओ.पी. के रूप में सी.ओ.पी.25

- चिली, सी.ओ.पी. 25 को जलवायु कार्रवाई में एक महासागर घटक को शामिल करने के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के अवसर के रूप में बढ़ावा दे रहा है, जो सी.ओ.पी. 25 को ब्लू सी.ओ.पी. घोषित करता है।
- यह पहला अवसर है, जब सदस्य देशों ने एक प्रमुख जलवायु कार्रवाई सम्मेलन के भीतर महासागरों का अध्ययन, संरक्षण और स्थायी प्रबंधन किया है।
- सी.ओ.पी. 25 में समुद्र के संरक्षण के महत्व पर कई अतिरिक्त चर्चाओं और घटनाओं की सुविधा होगी।
- जलवायु परिवर्तन (एन.डब्ल्यू.पी.) के प्रभावों, भेद्यता और अनुकूलन पर नैरोबी कार्य कार्यक्रम ने विशेषज्ञों के एक समूह को सुविधा प्रदान की है, जो जलवायु परिवर्तन पर ज्ञान और शिक्षण को समेकित कर रहे हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 -पर्यावरण

स्रोत- लाइवमिंट/एस.डी.जी. नॉलेज हब

8. फिलीपींस के अगले वर्ष तक ब्रह्मोस सौदे को अंतिम रूप देने की संभावना है।

- फिलीपींस, भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने वाला पहला देश बनने वाला है।

ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में जानकारी

- यह मध्यम दूरी की रामजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, जहाज, विमान या भूमि से लॉन्च किया जा सकता है।
- यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और ऑपरेशन में दुनिया की सबसे तेज एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी है।
- यह रूसी संघ के एन.पी.ओ. मशिनुस्ट्रोयेनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

ताजा विकास

- मिसाइल का एक हाइपरसोनिक संस्करण, ब्रह्मोस- II, वर्तमान में एरियल फास्ट स्ट्राइक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 7-8 माच की गति के साथ विकासरत है।
- इसके वर्ष 2020 तक परीक्षण के लिए तैयार होने की उम्मीद है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3-रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

11.12.2019

1. व्हाइट आइसलैंड ज्वालामुखी

- न्यूजीलैंड का व्हाइट आइसलैंड ज्वालामुखी बड़ी हुई भूकंपीय गतिविधि दर्शा रहा है, जिससे बहाली के प्रयासों को रोक दिया गया है।

व्हाइट आइसलैंड के संदर्भ में जानकारी

- व्हाइट आइसलैंड को वकारी द्वीप के रूप में भी जाना जाता है जो कि एक सक्रिय और समतापीय ज्वालामुखी है।
- यह प्लैटी की खाड़ी में न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है।

- यह न्यूजीलैंड का सबसे सक्रिय शंकु ज्वालामुखी है।
- जियोनेट के अनुसार, वकारी में दिसंबर, 1975 से सितंबर, 2000 तक लगातार विस्फोट होते रहे थे, जिसने इसे विश्व का सबसे लंबा ऐतिहासिक विस्फोट घटना बना दिया था और इसके अतिरिक्त 2012, 2016 और 2019 में भी विस्फोट हुए हैं।

नोट:

- एक समतापीय ज्वालामुखी को एक समग्र ज्वालामुखी के रूप में भी जाना जाता है, एक शंकवाकार ज्वालामुखी है जो सख्त लावा, टेफ्रा, प्यूमिस और राख की कई परतों (स्ट्रेटा) द्वारा निर्मित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 -भूगोल

स्रोत- द गार्डियन

2. हरित कार्यकर्ता, ओडिशा को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले तटीय राजमार्ग का विरोध कर रहे हैं।
- हरित नोबेल पुरस्कार विजेता प्रफुल्ल समंतारा ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित पश्चिम बंगाल के दिघा से दक्षिण ओडिशा के गोपालपुर तक 415 किलोमीटर लंबे तटीय राजमार्ग का विरोध किया है।
- प्रस्तावित राजमार्ग चिलिका झील, भितरकनिका और संबंधित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरेगा।
- यह परियोजना ओडिशा तट के नाजुक तटीय पर्यावरण को खतरे में डाल देगी और चिलिका झील और भितरकनिका जैसी प्रमुख जैव विविधताओं को प्रभावित करेगी।
- उनके अनुसार, यह परियोजना प्राकृतिक सदाबहार वनों को लगभग 33% नष्ट कर देगी, जिससे समुद्री क्षरण का खतरा बढ़ जाएगा।

हरित नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में जानकारी

- इसे गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है जो 1989 में अमेरिका के

परोपकारी रिचर्ड और रोडा गोल्डमैन द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है।

- यह गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा प्रदान कर सम्मानित किया जाता है, जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में स्थित है।
- यह जमीनी स्तर के पर्यावरणविदों को सम्मानित करता है, जो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और उन लोगों को सशक्त बनाते हैं जो औद्योगिक परियोजनाओं से हटने के लिए सबसे कमजोर हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

3. एम.एच.ए., महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों को सूचीबद्ध कर रहा है।

- महिलाओं के खिलाफ अपराध के संबंध में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, मंत्री ने देश भर में महिला सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों को सूचीबद्ध किया है।

ये हैं:

- यौन अपराधों के खिलाफ प्रभावी रोक के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से बलात्कार के लिए मृत्युदंड सहित और भी कड़े दंडात्मक प्रावधानों को बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- अधिनियम में 2 महीने के भीतर परस्पर जांच और परीक्षण पूरा करने का भी आदेश दिया गया है।
- आपातकाल प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली, सभी आपात स्थितियों के लिए एक पैन-इंडिया प्रदान करता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संख्या (112) आधारित प्रणाली है, जिसमें क्षेत्र

के संसाधनों के कंप्यूटर एडेड प्रेषण से लेकर संकट के स्थान तक शामिल हैं।

- अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई जैसे 8 शहरों में पहले चरण में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई है।

राष्ट्रीय यौन अपराधी डेटाबेस

- इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश भर में यौन अपराधियों की जांच और ट्रैकिंग की सुविधा के लिए (एन.डी.एस.ओ.) ने शुरू किया है।

वन-स्टॉप सेंटर (ओ.एस.सी.) योजना

- यह 1 अप्रैल, 2015 से पूरे देश में लागू की जा रही है।
- इसे विशेष रूप से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक छत के नीचे चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता, कानूनी परामर्श/ अदालत केस प्रबंधन, मानसिक-सामाजिक परामर्श और अस्थायी आश्रय जैसी एकीकृत सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 – महिला संबंधित मुद्दे

स्रोत- पी.आई.बी.

4. इसरो जासूसी उपग्रह, 9 विदेशी ग्राहकों के उपग्रह लॉन्च करेगा।

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), 11 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के नवीनतम उपग्रह RISAT-2BR1 और नौ विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना बना रहा है।
- अन्य नौ विदेशी उपग्रह- संयुक्त राज्य अमेरिका का बहु-मिशन लेमूर-4 उपग्रह, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन टायवाक-2017, पृथ्वी इमेजिंग 1हॉटस्पॉट, इज़राइल का रिमोट सेंसिंग डचीफैट-3, इटली का खोज और बचाव टायवाक-0092 और जापान का क्यू.पी.एस.-एस.ए.आर.- एक रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।

- इन सभी 10 उपग्रहों को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान रॉकेट (पी.एस.एल.वी.-सी.48) के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।

उपग्रह RISAT-2BR1 के संदर्भ में जानकारी

- यह एक रडार इमेजिंग पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है।
- इसमें सभी मौसम की निगरानी प्रदान करने के लिए एक सिंथेटिक एपर्चर रडार है।
- यह सीमा पार गतिविधियों पर नजर रखकर भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा।
- RISAT-2BR1 का पूरा नाम "रडार इमेजिंग सैटेलाइट-2 B" है, यह रडार इमेजरी का उपयोग करके पृथ्वी पर मौसम की स्थिति का अवलोकन करने हेतु उपयोग किए जाने वाले उपग्रहों की एक श्रृंखला में दूसरा उपग्रह है।
- यह एक सक्रिय सेंसर, सिंथेटिक एपर्चर रडार (एस.ए.आर.) से सुसज्जित है, जो अंतरिक्ष से दिन, रात, बारिश अथवा बादलों में भी विशिष्ट तरीके से पृथ्वी का अवलोकन या संवेदन करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीकी

स्रोत- पी.आई.बी.

5. जहाजों का पुनर्नवीनीकरण विधेयक 2019

- संसद ने भारत में जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से बेहतर पुनर्चक्रण हेतु एक ऐतिहासिक "जहाज पुनर्नवीनीकरण विधेयक 2019" पारित किया है।
- मौजूदा शिपब्रेकिंग कोड (संशोधित), 2013 और हांगकांग सम्मेलन, 2009 के प्रावधान इस विधेयक में उल्लिखित हैं।
- अब, भारत में पुनर्नवीनीकरण किए जाने वाले जहाजों को हांगकांग सम्मेलन के अनुसार "पुनर्नवीनीकरण हेतु तैयार प्रमाणपत्र" प्राप्त करना होगा।

विधेयक के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:

- यह विधेयक पुनर्नवीनीकरण के लिए भारतीय शिपयार्ड में प्रवेश करने वाले वैश्विक जहाजों की संख्या को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा।

- जहाजों के पुनर्नवीनीकरण से व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पुनर्नवीनीकरण उद्योग में भारत की स्थिति मजबूत होगी।
- यह गुजरात के अलंग में, मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह और केरल के अझीक्कल में स्थित हमारे जहाज पुनर्नवीनीकरण यार्डों के ब्रांड मूल्य को बढ़ाएगा।
- देश की माध्यमिक इस्पात की आवश्यकताओं के 10% को पुनर्नवीनीकरण के परिणाम के रूप में पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पूरा किया जाएगा।
- जहाजों के पुनर्नवीनीकरण की सुविधा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो जाएगी और जहाजों को केवल ऐसी अधिकृत सुविधाओं में ही पुनर्नवीनीकृत किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नंस (महत्वपूर्ण विधेयक)

स्रोत- पी.आई.बी.

6. वाडा ने रूस को चार वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों से प्रतिबंधित किया है।

- विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा ने डोपिंग रोधी प्रयोगशाला से डेटा को गलत तरीके से जोड़ने के आरोप के बाद रूस पर चार वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया है।
- अब रूस वैश्विक खेल आयोजनों में भाग नहीं लेगा, जिसमें 2020 टोक्यो ओलंपिक और 2022 बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक शामिल हैं।

विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के संदर्भ में जानकारी

- वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी, कनाडा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा खेल में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने, समन्वित करने और निगरानी करने के लिए रखी गई एक नींव है।
- एजेंसी की प्रमुख गतिविधियों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, एंटी-डोपिंग क्षमता का विकास और विश्व एंटी-डोपिंग संहिता की निगरानी शामिल हैं, जिनके प्रावधानों को खेलों में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा लागू किया गया है।

- यूरोप एंटी-डोपिंग सम्मेलन परिषद और यूनाइटेड स्टेट्स एंटी-डोपिंग एजेंसी के उद्देश्य भी वाडा के साथ निकटता से संरेखित हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संस्थान

स्रोत- ए.आई.आर.

7. ए.एस.आई. ने 138 स्मारकों की पहचान "मस्ट सी मॉन्यूमेंट्स" के रूप में की है।

- संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) द्वारा पहचाने जाने वाले "मस्ट सी मॉन्यूमेंट्स" के संदर्भ में संसद को सूचित किया है।

'मस्ट सीन मॉन्यूमेंट्स' की विशेषताएं

- ए.एस.आई. के संरक्षण में "मस्ट सी" सूची में उत्कृष्ट भारतीय स्मारक और पुरातात्विक स्थल हैं, जिनमें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं।
- ऐसे स्मारक और स्थल कला और वास्तुकला, योजना और डिजाइन के मामले में असाधारणता प्रदर्शित करते हैं, जो अतीत में सभ्यता के लिए एक अनूठी गवाही देता है और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग कौशल दर्शाने वाली इमारतों के उत्कृष्ट प्रकार हैं।

नोट:

- भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 22 सांस्कृतिक स्थलों में स्मारक/ इमारतें और गुफाएँ शामिल हैं, ये ए.एस.आई. के संरक्षण में हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- फाइनेंशियल एक्सप्रेस

8. नौसेना हथियार प्रणालियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी- NAVARMS-19

- नौसेना हथियार प्रणाली NAVARMS-19' पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सह प्रदर्शनी का चौथा संस्करण रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, डेवलपमेंट एन्क्लेव, नई दिल्ली में आयोजित होना निर्धारित हुआ है।
- NAVARMS की थीम "मेक इन इंडिया- लड़ाई श्रेणी: अवसर और सम्मान" है।

NAVARMS के संदर्भ में जानकारी

- यह नौसेना हथियार प्रणाली पर एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी है जो देश में नौसेना के हथियारों के जीवन चक्र प्रबंधन में सभी हितधारकों को आमंत्रित करने और उनके विचारों और चिंताओं को साझा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है।
- NAVARMS के पिछले तीन संस्करण 2007, 2010 और 2013 में आयोजित किए गए थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

9. गांधी इनसाइक्लोपीडिया

- संस्कृति मंत्रालय ने उचित गांधीवादी दर्शन के प्रचार के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता द्वारा गांधी पेडिया के विकास हेतु एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की है।
- इस परियोजना को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर मंजूरी प्रदान की गई थी।
- गांधी इनसाइक्लोपीडिया 'समाज में जागरूकता फैलाने में मदद करेगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- पी.आई.बी.

10. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 को लोकसभा में पेश किया गया है।

- विधेयक का उद्देश्य कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा पर विधानों की संख्या को 44 से घटाकर केवल 4 करना है।
- इससे पहले सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता का एक मसौदा जारी किया था।

मसौदा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 की विशेषताएं:

- असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बीमा, पी.एफ., जीवन कवर: केंद्र सरकार समय-समय पर असंगठित श्रमिकों के जीवन और विकलांगता कवर, स्वास्थ्य एवं मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था संरक्षण और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कई अन्य लाभों से संबंधित मामलों पर उपयुक्त

कल्याणकारी योजनाएं तैयार और अधिसूचित करती रहेगी।

- **ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी. का कॉरपोरेटाइजेशन:** ई.पी.एफ.ओ. और ई.एस.आई.सी. सहित पेंशन, बीमा और सेवानिवृत्ति बचत निकाय, एक निकाय कॉर्पोरेट होंगे। श्रम मंत्री, श्रम सचिव, केंद्रीय पी.एफ. आयुक्त और ई.एस.आई.सी. के महानिदेशक डिफॉल्ट रूप से ऐसे संगठनों के प्रमुख नहीं हो सकते हैं।
- **गिग श्रमिकों के लिए लाभ:** "केंद्र सरकार समय-समय पर गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा योजनाएं" तैयार और अधिसूचित कर सकती है और ऐसी योजनाएं "जीवन और विकलांगता कवर", "स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ", "वृद्धावस्था संरक्षण" और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य लाभों जैसे मुद्दों को शामिल करेंगी।
- **मातृत्व लाभ:** इस संहिता के अन्य प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक महिला अपनी वास्तविक अनुपस्थिति की अवधि के लिए औसत दैनिक मजदूरी की दर से मातृत्व लाभ का भुगतान प्राप्त करने की हकदार होगी और उसका नियोक्ता यह भुगतान करने हेतु बाध्य होगा, यह अवधि तुरंत उसकी डिलीवरी के दिन से पहले और इस दिन के बाद किसी भी अवधि से शुरू होगी।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 एक बार लागू होने पर आठ मौजूदा श्रम कानूनों का विलय करेगी,** जिनमें कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम 1972, सिने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक उपकरण अधिनियम

1996 और असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 शामिल हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

12.12.2019

1. जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020

- स्पेन के मैड्रिड में यू.एन.एफ.सी.सी. सी.ओ.पी. 25 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक (सी.सी.पी.आई.) 2020 जारी किया गया है

जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन के संदर्भ में जानकारी

- सी.सी.पी.आई., देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है जो 2005 से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है।
- यह सूचकांक जर्मनवाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ाना और जलवायु संरक्षण प्रयासों और व्यक्तिगत देशों द्वारा की गई प्रगति की तुल्यता को सक्षम बनाना है।
- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ाना और जलवायु संरक्षण के प्रयासों और व्यक्तिगत देशों द्वारा की गई प्रगति की तुलना को सक्षम करना है।
- रैंकिंग के परिणामों को चार श्रेणियों के भीतर 14 संकेतकों में देश के समग्र प्रदर्शन से परिभाषित किया जाता है:
 - i. जी.एच.जी. उत्सर्जन
 - ii. नवीकरणीय ऊर्जा
 - iii. ऊर्जा का उपयोग
 - iv. जलवायु नीति
- सी.सी.पी.आई. 2020 के परिणाम 57 मूल्यांकन किए गए देशों और यूरोपीय संघ के भीतर जलवायु संरक्षण और प्रदर्शन में मुख्य क्षेत्रीय अंतर को दर्शाते हैं।

सूचकांक की मुख्य विशेषताएं

- भारत उच्च श्रेणी में नौवें स्थान पर है, यह दर्शाता है कि उत्सर्जन अभी भी तुलनात्मक रूप से कम है।
- भारत को पहली बार सी.सी.पी.आई. में शीर्ष 10 में शामिल किया गया है।
- भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग के वर्तमान स्तर अभी भी तुलनात्मक रूप से कम हैं, जिस कारण भारत को "उच्च श्रेणी" में नौवां स्थान प्राप्त हुआ है और महत्वाकांक्षी 2030 लक्ष्यों के साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग श्रेणियों के लिए उच्च रेटिंग में परिणाम हैं।
- यह पाया गया है कि अमेरिका अंतिम स्थान पर है, उसके बाद सऊदी अरब और ऑस्ट्रेलिया हैं।
- सबसे बड़ा वैश्विक उत्सर्जक, चीन सूचकांक में अपनी रैंकिंग को थोड़ा सुधारकर 30वें स्थान पर है।
- जब कि केवल दो जी20 देशों: यू.के. (सातवें) और भारत (नौवें) को उच्च श्रेणी में स्थान दिया गया है, आठ जी20 देश सूचकांक की सबसे खराब श्रेणी में हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3-पर्यावरण

स्रोत- द गार्डियन

2. यू.एन.सी.टी.ए.डी. के नए आंकड़ों में कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है।
- संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) ने सांख्यिकी रिपोर्ट 2019 की अपनी पुस्तिका जारी की है।
- यू.एन.सी.टी.ए.डी. की सांख्यिकी 2019 की पुस्तिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, समुद्री परिवहन और विकास के विश्लेषण से संबंधित आंकड़ों और संकेतकों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करती है।

सांख्यिकी की मुख्य विशेषताएं

- यू.एन.सी.टी.ए.डी. की 2019 की सांख्यिकी पुस्तिका के अनुसार, वास्तविक वैश्विक आर्थिक उत्पादन या सकल घरेलू उत्पाद में 2.3 प्रतिशत

की वृद्धि होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.7 प्रतिशत कम है।

- रिपोर्ट में भविष्यवाणी की गई है कि वर्ष 2019-2020 के लिए माल का व्यापार 2.4 प्रतिशत घटकर \$ 19 ट्रिलियन हो जाएगा।
- पिछले कुछ वर्षों: वर्ष 2018 में 9.7 प्रतिशत और 2017 में 10.7 प्रतिशत की प्रगति की तुलना में यह गिरावट महत्वपूर्ण है।
- व्यापारिक सेवाओं के भी धीमा होने की भविष्यवाणी की गई है।
- इस रिपोर्ट ने 2016 के बाद से एक समूह के रूप में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते व्यापारिक व्यापार घाटे को भी उजागर किया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, विशेषकर विकासशील और संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं के लिए निर्यात किए गए उत्पादों का मूल्य, आयातित वस्तुओं के मूल्य से अधिक है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी

- यह संयुक्त राष्ट्र महासभा (यू.एन.जी.ए.) के प्रमुख अंगों में से एक है जो व्यापार, निवेश और विकास मुद्दों से निपटता है।
- इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका स्थायी सचिवालय जिनेवा में स्थित है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य व्यापार, सहायता, परिवहन, वित्त और प्रौद्योगिकी सहित विकास के सभी पहलुओं से संबंधित नीतियों को तैयार करना है, यह चार वर्षों में एक बार आयोजित होता है।

रिपोर्ट

यू.एन.सी.टी.ए.डी. कई सामयिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिनमें शामिल हैं:

- व्यापार एवं विकास रिपोर्ट
- व्यापार एवं पर्यावरण समीक्षा
- विश्व निवेश रिपोर्ट
- न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट

- यू.एन.सी.टी.ए.डी. सांख्यिकी
- सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट
- समुद्री परिवहन समीक्षा
- अंतर्राष्ट्रीय लेखा एवं रिपोर्टिंग मुद्दे वार्षिक समीक्षा
- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3-अर्थशास्त्र

स्रोत- इकोनॉमिक्स टाइम्स

3. संसद ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019 पारित किया है।

- संसद ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित किया है।
- नागरिकता (संशोधन) विधेयक 2019, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करेगा, जो यह विनियमित करता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर प्राप्त कर सकता है।

संबंधित जानकारी

- यह विधेयक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का सामना करने के बाद भारत की ओर पलायन करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देना चाहता है।
- विधेयक उक्त समुदायों से संबंधित आवेदकों को प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाता है यदि वे मौजूदा 11 वर्षों के बजाय 5 वर्षों के लिए भारत में अपना निवास स्थापित कर सकते हैं।
- अधिनियम के संशोधनों के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि ये संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं और 'इनर लाइन' के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को बंगाल पूर्वी सीमा विनियमन, 1873 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

- मणिपुर को आई.एल.पी. शासन के अंतर्गत लाया जाएगा।
- यह विधेयक नागरिकता अधिनियम या किसी अन्य कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओ.सी.आई.) कार्डधारक के रूप में पंजीकरण रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाने के लिए अधिनियम की धारा 7 डी में संशोधन करना चाहता है।

विधेयक के संदर्भ में चिंता

- यह विधेयक अवैध प्रवासियों को धर्म के आधार पर नागरिकता के योग्य बनाता है- एक ऐसा कदम जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकता है, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2-गवर्नेंस

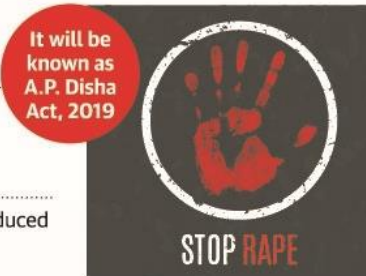
स्रोत- द हिंदू

4. दिशा विधेयक: बलात्कार के मामले में 21 दिन में फैसला सुनिश्चित करने हेतु
- आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने हाल ही में, ए.पी. दिशा विधेयक, 2019 (ए.पी. अपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2019) को पारित किया है।

Tackling crime

The key aspects of the A.P. Criminal Law (Amendment) Bill, 2019, which will be tabled in the ongoing winter session of the State Legislature

- Death penalty for heinous offences of rape and gang-rape
- Probe and trial will be completed in 7 and 14 working days respectively
- Judgment time reduced to 21 days from the existing 4 months



विधेयक की विशेषताएं

- यह विधेयक बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए मौत की सजा देने और 21

दिनों के लिए ऐसे केसों के परीक्षणों में फैसले का शीघ्र निपटान करने में मदद मिलती है।

- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए जिसमें बलात्कार और सामूहिक बलात्कार, एसिड हमलों, स्टॉकिंग, तांक-झांक, यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के अंतर्गत केस शामिल हैं, इन केसों के शीघ्र निपटान हेतु महिलाओं और बच्चों के खिलाफ विशिष्ट अपराधों के लिए ए.पी. विशेष अदालत विधेयक, 2019 पेश किया गया है।
- ए.पी. आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 क्रमशः सात और 14 कार्य दिवसों में जांच और परीक्षण के पूरा होने की परिकल्पना करता है, जहां पर्याप्त निर्णायक सबूत हैं और समग्र निर्णय समय को मौजूदा चार महीनों से घटाकर 21 दिनों तक कर दिया गया है।
- प्रस्तावित कानून भारतीय दंड संहिता, 1860 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 में प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है।
- यह सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के उत्पीड़न और बच्चों के यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए आई.पी.सी. में धारा 354-ई और 354-एफ भी पेश करता है।
- धारा 354-ई (सोशल मीडिया, डिजिटल मोड या किसी अन्य रूप के माध्यम से महिलाओं का उत्पीड़न) के अंतर्गत, पहले दोषी पाए जाने पर दो साल तक कारावास की सजा और बाद में दोषी पाए जाने पर चार साल की सजा का प्रस्ताव किया गया है।
- धारा 354-एफ (छेड़छाड़/ यौन उत्पीड़न) के अंतर्गत, कारावास को न्यूनतम पांच साल और अधिकतम सात साल तक बढ़ाने की मांग की जाती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2- गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

5. यू.एस.एम.सी.ए.: नाफ्टा व्यापार सौदा प्रतिस्थापन पर समझौता पहुँच गया है।

- अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ने यू.एस.-मैक्सिको-कनाडा समझौता (यू.एस.एम.सी.ए.) नामक एक व्यापारिक समझौते को अंतिम रूप प्रदान किया है जो 25 वर्षीय पुराने उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (नाफ्टा) को प्रतिस्थापित करेगा।

उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते के संदर्भ में जानकारी

- उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता है, जो उत्तरी अमेरिका में एक त्रिपक्षीय व्यापार ब्लॉक का निर्माण करता है।
- यह समझौता 1 जनवरी, 1994 को लागू हुआ था और अमेरिका और कनाडा के मध्य 1988 कनाडा-संयुक्त राज्य अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते का उल्लंघन करता है।
- नाफ्टा व्यापार ब्लॉक, सकल घरेलू उत्पाद द्वारा दुनिया के सबसे बड़े व्यापार ब्लॉकों में से एक है।

अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौते के संदर्भ में जानकारी

- नया संयुक्त राज्य अमेरिका-मैक्सिको-कनाडा समझौता (यू.एस.एम.सी.ए.) उत्तरी अमेरिकी श्रमिकों, किसानों, खेत और व्यवसायियों के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद जीत है।

समझौते की विशेषताओं में शामिल हैं:

- अमेरिकी श्रमिकों के लिए एक अधिक स्तरीय खेल मैदान बनाना, जिसमें ऑटोमोबाइल, ट्रक, अन्य उत्पादों के लिए उत्पत्ति के बेहतर नियम और मुद्रा कार्यसाधन पर अनुशासन शामिल हैं।
- यह उत्तरी अमेरिका में खाद्य और कृषि व्यापारियों का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण करके अमेरिकी किसानों, पशुपालकों और कृषि व्यवसायियों को लाभान्वित करता है।

- अमेरिकी बौद्धिक संपदा के लिए नए संरक्षणों के माध्यम से 21वीं शताब्दी की अर्थव्यवस्था का समर्थन करना और अमेरिकी सेवाओं में व्यापार के अवसरों को सुनिश्चित करना है।
- डिजिटल व्यापार, भ्रष्टाचार विरोधी और उत्पाद विनियमन अभ्यास को शामिल करने वाले नए अध्याय के साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए एक अध्याय समर्पित है जो लघु और मध्यम आकार के उद्यम समझौते से लाभान्वित होते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2-अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- बी.बी.सी.

6. व्याख्या: पी.आई.एस.ए. परीक्षण क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

- हाल ही में, चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के छात्रों ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन परीक्षण के कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हामी भरी है।

पी.आई.एस.ए. क्या है?

- यह 36 सदस्य देशों के एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओ.ई.सी.डी.) द्वारा शुरू किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन (पी.आई.एस.ए.) कार्यक्रम, शिक्षा नीति और देशों के परिणामों पर तुलनीय डेटा का उत्पादन करने हेतु किया गया अध्ययन है।
- अध्ययन, जो वर्ष 2000 में शुरू हुआ था, इसने इन देशों में स्कूल प्रणालियों की गुणवत्ता और समावेशिता का आकलन करने के लिए सदस्य और गैर-सदस्य देशों में 15 वर्षीय बच्चों का मूल्यांकन करने वाला एक परीक्षण आयोजित किया है।
- पी.आई.एस.ए. परीक्षण प्रत्येक तीन वर्ष में आयोजित किया जाता है और अगला परीक्षण 2021 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के छात्र भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

टेस्ट कौन निर्धारित करता है?

- टेस्ट दुनिया भर के शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
- अब तक, अस्सी से अधिक देशों के विशेषज्ञों ने टेस्ट प्रश्नों को तैयार करने में योगदान दिया है, ज्यादातर शिक्षक उन देशों से हैं जो पहले टेस्ट में भाग ले चुके हैं।

टेस्ट का क्या उद्देश्य है?

- टेस्ट का उद्देश्य उन देशों को स्थान प्रदान करना नहीं है जो मूल्यांकन में भाग लेने के लिए स्वैच्छिक होते हैं बल्कि अपने छात्रों को उच्च शिक्षा और बाद में रोजगार के लिए तैयार करने के संदर्भ में शिक्षा प्रणाली कैसे काम कर रही हैं, इसका व्यापक विश्लेषण करना है।
- दुनिया भर से परिणाम एकत्र करने के बाद, विशेषज्ञ इन परिणामों का डेटा बिंदुओं में अनुवाद करते हैं जिनका मूल्यांकन देशों को स्कोर देने के लिए किया जाता है।

भारत ने पी.आई.एस.ए. टेस्ट में कैसा प्रदर्शन किया है?

- भारत ने इससे पहले वर्ष 2009 में केवल एक बार पी.आई.एस.ए. टेस्ट में भाग लिया था।
- भारत ने केवल किर्गिस्तान को पछाड़ते हुए 73 देशों में से 72वां स्थान प्राप्त किया था।
- तब से, भारत अब तक टेस्ट से दूर हो रहा है क्योंकि अब चंडीगढ़ के छात्र 2021 में परीक्षा के लिए बैठेंगे।
- 2021 में नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के छात्र तीन घंटे अवधि के पी.आई.एस.ए. टेस्ट में भाग लेंगे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3-शिक्षा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. आंशिक ऋण गारंटी योजना

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के लिए आंशिक रूप से क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की है, जो आर्थिक रूप से मजबूत एन.बी.एफ.सी. और हाउसिंग फाइनेंस

कंपनियों से उच्च-श्रेणी की जमा की गई संपत्ति खरीद सकती है।

आंशिक ऋण गारंटी योजना के संदर्भ में जानकारी

- वित्त मंत्री द्वारा 2019-20 के बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की गई है कि सरकार, आर्थिक रूप से मजबूत एन.बी.एफ.सी. की उच्च-श्रेणी की जमा की गई संपत्ति की खरीद में 10 प्रतिशत तक की पहली हानि के लिए पी.एस.बी. को एकमुश्त छह महीने की आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी।
- पी.एस.बी. वित्तीय रूप से सुदृढ़ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.)/ हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एच.एफ.सी.) से उच्च-श्रेणी की जमा की गई संपत्ति खरीद सकते हैं, जिसमें सरकार द्वारा प्रदान की गई समय गारंटी की राशि के साथ पहले नुकसान की अधिकतम 10 प्रतिशत तक की राशि बैंकों द्वारा खरीदी जा रही परिसंपत्तियों के मूल्य या 10,000 करोड़ रुपये होना चाहिए, जो भी कम हो।
- यह योजना 1 अगस्त, 2018 से पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान एस.एम.ए.-0 श्रेणी में आ गई थी और एसेट पूल में "बीबीबी +" या उच्चतर मूल्यांकन में थी, वह एन.बी.एफ.सी./ एच.एफ.सी. को शामिल कर सकती है।
- एस.एम.ए.-0 खाते विशेष उल्लिखित खाते (एस.एम.ए.) हैं जिनके विरुद्ध मूलधन या ब्याज या कोई अन्य राशि पूर्ण या आंशिक रूप से 1-30 दिनों के बीच अतिदेय है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3-अर्थशास्त्र

स्रोत- इकोनॉमिक टाइम्स

8. नानावती आयोग

- गुजरात सरकार ने नानावती आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश किया है, जिसे उसने 2002 में साबरमती एक्सप्रेस के जलने और राज्य में हुए दंगों की जांच के लिए नियुक्त किया था।

नानावती आयोग के संदर्भ में जानकारी

- इसे 27 फरवरी, 2002 को गोधरा स्टेशन के निकट साबरमती एक्सप्रेस के जलने के बाद 2002 में स्थापित किया गया था।
- प्रारंभ में, न्यायमूर्ति के.जी. शाह की अध्यक्षता वाला एक-न्यायाधीश आयोग था और बाद सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी. टी. नानावती की अध्यक्षता में इसका विस्तार किया गया था।
- आयोग ने साबरमती एक्सप्रेस की घटना और उसके बाद राज्य में हिंसा की घटनाओं की जांच की है जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे (ट्रेन नरसंहार में 59 सहित)।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2-गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

9. पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान

- आंध्र प्रदेश वन विभाग और केरल एवं पूर्वोत्तर राज्यों के विशेषज्ञ पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान (पी.एन.पी.) में तितली प्रजातियों का पहला सर्वेक्षण शुरू करेंगे।

पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में जानकारी

- पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश की पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में पापी पहाड़ियों में स्थित है।
- यह एक महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र है और वनस्पतियों और जीवों की कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है।
- 2014 और पोलावरम बांध के निर्माण के बाद उसके बाद पापीकोंडा का कोई भी भाग पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों के बाहर नहीं स्थित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3-पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

13.12.2019

1. विधानसभाओं में एस.सी.-एस.टी. कोटे का विस्तार करने के लिए संसद ने विधेयक पारित किया है।
- संविधान में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में नामांकन द्वारा अनुसूचित

जातियों (एस.सी.) और अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) और आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है।

- संविधान (126वां) संशोधन विधेयक, एस.सी. और एस.टी. समुदाय के लिए आरक्षण कोटे को 25 जनवरी, 2030 तक एक और 10 वर्षों का विस्तार प्रदान करना चाहता है। हालांकि, विधेयक में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए आरक्षण कोटे का विस्तार प्रस्तावित नहीं किया गया है, जो 25 जनवरी से समाप्त होने वाला है।

आंग्ल-भारतीय के संदर्भ में जानकारी

- आंग्ल-भारतीय शब्द को पहली बार भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित किया गया था।
- अनुच्छेद 366 आंग्ल-भारतीय को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, जिसके पिता या पुरुष रेखा में कोई अन्य पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश का है लेकिन वो भारत के क्षेत्र के भीतर अधिवासित है और वह व्यक्ति, माता-पिता के ऐसे क्षेत्र में जन्मा है जहां वे आदतन निवास करते हों और वे वहां अस्थायी उद्देश्यों के लिए निवास न करते हों।

संसद और विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय

- अनुच्छेद 331 के अनुसार, राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं यदि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
- अनुच्छेद 333: यह बताता है कि किसी राज्य का राज्यपाल ऐसा कर सकता है यदि उसका विचार है कि आंग्ल-भारतीय समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और विधानसभा में उनका पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नामित कर सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 334 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के

आरक्षण के प्रावधान और आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है और उन प्रावधानों को 25 जनवरी, 2020 से प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया जाएगा यदि इसे विस्तारित नहीं किया जाता है।

- विधानसभा निकायों में आंग्ल-भारतीय समुदाय के आरक्षण को अनुच्छेद 334 (बी) के सम्मिलन के माध्यम से 1949 में 40 साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338), आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा और उनके काम के संदर्भ में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नंस

स्रोत- पी.आई.बी.

2. आई.बी.एम. की मौसम पूर्वानुमान प्रणाली: आई.बी.एम. ग्राफ

- अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी आई.बी.एम. ने एक उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाला मौसम पूर्वानुमान मॉडल बनाने की योजना बनाई है, जो भारत में उपलब्ध पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार करने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा उत्पादित डेटा पर आधारित होंगे।

आई.बी.एम. ग्राफ के संदर्भ में जानकारी

- आई.बी.एम. ग्राफ, जैसा कि पूर्वानुमान प्रणाली में कहा गया है कि यह 3 किलोमीटर रिज़ॉल्यूशन पर पूर्वानुमान उत्पन्न कर सकता है जो पूर्वानुमानों को उत्पन्न करने के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले 12 किलोमीटर के मॉडल की तुलना में काफी अधिक रिज़ॉल्यूशन का है।
- इसके पूर्वानुमान के लिए, आई.बी.एम. सेंसर के एक वैश्विक नेटवर्क- स्वचालित मौसम स्टेशन, डेटा बुओए और बैरोमीटर दाब डाटा पर निर्भर करता है, जो एप्लीकेशन डाउनलोड करने वाले उपयोगकर्ताओं के सेलफोन से लिया जाएगा।

- मौसम का पूर्वानुमान व्यक्तियों के मुफ्त डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा और इसका उपयोग किसानों द्वारा किया जा सकता है।
- पूर्वानुमान इंजन का उपयोग ऊर्जा कंपनियों, उपभोक्ता ब्रांडों, बीमा व्यवसायों और उपग्रह इमेजरी विश्लेषकों के लिए कस्टम पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए भी किया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

3. **लिसिप्रिया कंगुजम: एक भारतीय गेटा थुनबर्ग**
 - लिसिप्रिया, स्पेन के मैड्रिड में आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन 2019 में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के वक्ताओं में से एक हैं, जिसने हाल ही में दुनिया को अपने संकल्प की झलक दिखाई है क्यों कि इन्होंने वैश्विक नेताओं से "जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्य" करने का आग्रह किया था।

लिसिप्रिया कंगुजम के संदर्भ में जानकारी

- लिसिप्रिया कंगुजम, भारत की एक बाल पर्यावरण कार्यकर्ता हैं।
- वर्ष 2019 में उन्हें विश्व बाल शांति पुरस्कार, भारत शांति पुरस्कार और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

SUKIFU (सर्वाइवल किट फॉर द फ्यूचर)

- लिसिप्रिया ने 4 अक्टूबर, 2019 को वायु प्रदूषण को रोकने के लिए SUKIFU (सर्वाइवल किट फॉर द फ्यूचर) नामक एक प्रतीकात्मक उपकरण लाई है।
- प्रदूषण की दर अधिक होने पर हमारे शरीर में ताजी हवा प्रदान करने के लिए SUKIFU लगभग शून्य बजट किट है, जिसे कूड़े से तैयार किया गया है।
- यह पहनने योग्य संयंत्र, वायु प्रदूषण के लिए हरित आंदोलन की पहचान है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

4. **वी.एस. सिरपुरकर पैनल: तेलंगाना बलात्कार-हत्या के आरोपियों की हत्या की जांच हेतु समिति**

- सर्वोच्च न्यायालय ने हैदराबाद में एक पशुचिकित्सक के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपी चार व्यक्तियों के पुलिस के 'एनकाउंटर' की परिस्थितियों की जांच करने के लिए अपने पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति वी.एस. सिरपुरकर के नेतृत्व में एक जांच आयोग का गठन किया है।
- पीठ ने जांच पूरी करने के लिए पूछताछ आयोग को छह महीने का समय दिया है।
- आयोग हैदराबाद में बैठेगा।
- शीर्ष अदालत ने इस बीच, इस घटना में तेलंगाना उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यवाही को रोक दिया।

भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में जानकारी

- भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.), मानवाधिकार अध्यादेश का संरक्षण 1993 के अंतर्गत गठित एक संवैधानिक सार्वजनिक निकाय है।
- इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (TPHRA) द्वारा एक संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था।
- एन.एच.आर.सी., भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन हेतु जिम्मेदार है।

संघटन

एन.एच.आर.सी. में निम्न शामिल हैं:

- एक अध्यक्ष, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों।
- एक सदस्य, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या हो।
- एक सदस्य, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो या हो।

- तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक ऐसी महिला होगी, जिसे उन लोगों में से नियुक्त किया जाएगा, जिनके पास मानवाधिकारों से संबंधित मामलों में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।
- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयोगों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, बाल अधिकारों का संरक्षण) के अध्यक्ष और विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त पदेन सदस्यों के रूप में काम करते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

5. ओडिशा को जागा मिशन के लिए 'विश्व आवास पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।
- ओडिशा ने विश्व आवास पुरस्कार 2019 जीता है, जो इसकी महत्वाकांक्षी पहल- जागा मिशन के लिए वैश्विक मान्यता है।

विश्व आवास पुरस्कार के संदर्भ में जानकारी

- यह पुरस्कार, ब्रिटेन आधारित संगठन, वर्ल्ड हैबिटेट द्वारा यूनाइटेड नेशन (यू.एन.)-हैबिटेट के साथ प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में अभिनवों, उत्कृष्ट और क्रांतिकारी विचारों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों की मान्यता में दिया जाता है।

जागा मिशन के संदर्भ में जानकारी

- ओडिशा लिवेबल हैबिटेट मिशन "जागा", ओडिशा सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग के अधीन एक सोसाइटी है।
- जागा मिशन, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले एक लाख शहरी-गरीबों को लाभान्वित करने वाली एक झुग्गी भूमि है।
- इसका उद्देश्य समान शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) के भीतर बेहतर क्षेत्रों के साथ सभी आवश्यक नागरिक बुनियादी ढांचे और सेवाओं के साथ इन बस्तियों को रहने योग्य निवास स्थान में बदलना है और निरंतर रूप से बुनियादी ढांचे और सेवाओं के मानकों में सुधार और

आजीविका के अवसरों तक पहुंच प्रदान करना है।

- इस मिशन का उद्देश्य विभिन्न विभागों/ शहरी निकायों/ गैर-सरकारी संगठनों/ वित्तीय संस्थानों/ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों/ ट्रस्टों/ समुदायों और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करके विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों/ वित्तपोषण अवसरों का लाभ उठाना और परिवर्तित करना भी है।
- यह शहरी गरीबों के जीवन के सतत परिवर्तन के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों के विकल्पों की जांच करने के लिए ओडिशा सरकार को सलाहकार सहायता भी प्रदान करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

6. व्याख्या: 1950 के नेहरू-लियाकत समझौते को सी.ए.बी. बहस में संदर्भित किया गया है।
- हाल ही में, गृह मंत्री ने संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक (सी.ए.बी.) पर चल रही बहस के दौरान 1950 में नेहरू-लियाकत संधि का उल्लेख किया था।

नेहरू-लियाकत संधि के संदर्भ में जानकारी

- नेहरू-लियाकत संधि को दिल्ली संधि के रूप में भी जाना जाता है, जो दोनों देशों में अल्पसंख्यकों के उपचार के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने हेतु भारत और पाकिस्तान के मध्य एक द्विपक्षीय समझौता था।
- शरणार्थियों को अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए वापस जाने की अनुमति दी गई थी, अगवा की गई महिलाओं और लूटी गई संपत्ति को लौटाया जाना था, जबर्न रूपांतरणों को मान्यता नहीं दी गई थी और अल्पसंख्यक अधिकारों की पुष्टि की गई थी।
- दोनों देशों में अल्पसंख्यक आयोग गठित किए गए थे।

- भारत में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से पश्चिम बंगाल में दस लाख से अधिक शरणार्थी पलायन कर गए थे।
- विभाजन के बाद दोनों देशों में अल्पसंख्यकों द्वारा इस तरह के समझौते की आवश्यकता महसूस की गई थी, जो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों के साथ थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –इतिहास

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. मंत्रिमंडल ने दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी प्रदान की है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (कोड) में दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2019 के माध्यम से संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
- संशोधन का उद्देश्य संहिता के उद्देश्य को महसूस करने और भविष्य में व्यापार की सुगमता हेतु दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के दौरान सामना की जाने वाली कुछ कठिनाइयों को हटाना है।

विधेयक की मुख्य विशेषताएं

- विधेयक, निगम दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सी.आई.आर.पी.) की कम ट्रिगरिंग को रोकने हेतु बड़ी संख्या के कारण एक अधिकृत प्रतिनिधित्वकर्ता द्वारा वित्तीय क्रेडिटर प्रदर्शन हेतु अतिरिक्त देहली प्रस्तावित किए गए हैं।
- यह बाधाओं को भी दूर करता है, निगम दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (सी.आई.आर.पी.) को सुव्यवस्थित करता है और देश के आर्थिक रूप से संकटग्रस्त क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अंतिम-मील के वित्तपोषण का संरक्षण करता है।
- संशोधित अधिनियम यह भी सुनिश्चित करेगा कि कॉर्पोरेट देनदार के व्यवसाय का मूल आधार खो नहीं जाएगा।

- यह स्पष्ट करते हुए जारी रखा जा सकता है कि अधिस्थगन अवधि के दौरान लाइसेंस, परमिट, रियायतें, मंजूरी को समाप्त या निलंबित नहीं किया जा सकता है या इसे नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है।

दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता 2016 के संदर्भ में जानकारी

- दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आई.बी.सी.), भारत का दिवालियापन कानून है जो दिवालियापन और शोधन अक्षमता के लिए एक ही कानून बनाकर मौजूदा ढांचे को मजबूत करने का प्रयास करता है।
- दिवालियापन संहिता, दिवालियापन के समाधान हेतु वन-स्टेप सॉल्यूशन है, जो पहले एक लंबी प्रक्रिया थी, जो आर्थिक रूप से अनुकूल व्यवस्था की पेशकश नहीं करती थी।
- संहिता का उद्देश्य छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करना और व्यवसाय करने की प्रक्रिया को कम बोझिल बनाना है।
- यह संहिता व्यक्तियों और कंपनियों के लिए अलग-अलग दिवालिया समाधान प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करती है।
- यह भारतीय दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना करके एक विनियामक के रूप में कार्य करता है।
- बोर्ड में 10 सदस्य हैं, जिसमें वित्त और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधि और भारतीय रिजर्व बैंक शामिल हैं, जो देश में दिवालिया होने की कार्यवाही की देखरेख करते हैं और इसके नीचे पंजीकृत संस्थाओं को विनियमित करती हैं।
- संहिता, कंपनियों और व्यक्तियों के दिवालियापन प्रक्रिया के लिए समयबद्ध प्रक्रियाएं बनाती है।
- इन प्रक्रियाओं को 180 (330 तक विस्तारित) दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
- समाधान प्रक्रियाओं को लाइसेंस प्राप्त इन्सॉल्वेंसी पेशेवरों (आई.पी.) द्वारा आयोजित किया जाना है।

- यह आई.पी., दिवालियापन व्यवसायिक एजेंसियों (आई.पी.ए.) का सदस्य है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

8. मंत्रिमंडल ने ब्राजील के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौते को मंजूरी प्रदान की है।

- सरकार ने भारत और ब्राजील के बीच एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को मंजूरी प्रदान की है।
- यह दोनों देशों के श्रमिकों को एक दूसरे के क्षेत्र में रहने के दौरान दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान करने से बचने में सक्षम करेगा।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

- भारत अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा समझौतों (एस.एस.ए.) पर हस्ताक्षर कर रहा है, क्यों कि:
 - i. लघु अवधि के लिए विदेशों में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों/ कुशल श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु
 - ii. भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने हेतु
 - iii. लाभों का आसान प्रेषण (निर्यातशीलता) करने हेतु
 - iv. लाभ की हानि (कुलीकरण) को रोकने के लिए योगदान अवधि (दो देशों में) के समाकलन हेतु
- एस.एस.ए. में भारत और ब्राजील के क्षेत्र शामिल हैं।

नोट:

- अभी तक, भारत ने 18 देशों के साथ एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संबंध

स्रोत- टी.ओ.आई.

9. सबरीमाला: एस.सी. ने महिलाओं के सुरक्षित प्रवेश के लिए कोई भी आदेश पारित करने की घोषणा से इंकार कर दिया है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुरक्षा के अंतर्गत सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का सुरक्षित प्रवेश

सुनिश्चित करने के लिए केरल सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली दो महिला कार्यकर्ताओं द्वारा पेश की गई याचिकाओं पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है।

- शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मुद्दा बहुत भावनात्मक था और वह नहीं चाहती थी कि स्थिति विस्फोटक हो जाए।
- मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि सुविधा के संतुलन के लिए आवश्यक है कि आज कोई भी आदेश इस मामले में पारित न हों क्योंकि यह मुद्दा पहले ही सात न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जा चुका था।
- शीर्ष अदालत ने कहा है कि वह मामले की सुनवाई के लिए जल्द से जल्द बड़ी पीठ का गठन करने का प्रयास करेगी।
- पीठ ने कहा है कि हालांकि पहले के फैसले पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन सभी उम्र की महिलाओं को धर्मस्थल में प्रवेश करने की अनुमति थी, यह समान रूप से सच है लेकिन यह अंतिम नहीं है।

टॉपिक-जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

16.12.2019

1. इनर लाइन परमिट शासन को मणिपुर में विस्तारित किया गया है।
 - इनर लाइन परमिट (आई.एल.पी.) शासन को राष्ट्रपति की सहमति के बाद मणिपुर में विस्तारित किया गया है।

इनर लाइन परमिट के संदर्भ में जानकारी

- इनर लाइन परमिट (आई.एल.पी.), भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो एक सीमित अवधि के लिए एक संरक्षित क्षेत्र में एक भारतीय नागरिक को आंतरिक यात्रा की अनुमति प्रदान करता है।

- यह उन राज्यों के बाहर के भारतीय नागरिकों के लिए संरक्षित राज्य में प्रवेश करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु अनिवार्य है।
- यह दस्तावेज़, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित कुछ क्षेत्रों में आंदोलन को विनियमित करने हेतु सरकार द्वारा किया गया एक प्रयास है।

पृष्ठभूमि

- यह बंगाल पूर्वी सीमांकन विनियमन, 1873 की एक शाखा है, जिसने "ब्रिटिश विषयों" को इन "संरक्षित क्षेत्रों" में प्रवेश करने से रोककर चाय, तेल और हाथी व्यापार में राजा के हित की रक्षा की है।
- "ब्रिटिश विषयों" शब्द को 1950 में भारत के नागरिक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।
- आई.एल.पी. मूल रूप से अंग्रेजों द्वारा अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था, इसका उपयोग भारत में, पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी संस्कृतियों की रक्षा के लिए आधिकारिक तौर पर किया जाना जारी है।
- विभिन्न प्रकार के आई.एल.पी. हैं, एक पर्यटकों के लिए है और दूसरा, अन्य लोगों के लिए जो लंबे समय तक रहने का इरादा रखते हैं, प्रायः रोजगार के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाता है।

नोटः

- अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य है जहाँ आई.एल.पी. शासन लागू किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

2. दिल्ली में आर्थिक जनगणना को हरी झंडी दी गई है।
 - सातवीं आर्थिक जनगणना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में शुरू की गई है।

- दिल्ली 26वां राज्य है जहां सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जब कि यह प्रक्रिया 20 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में पहले से ही शुरू है।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (एम.ओ.एस.पी.आई.) मंत्रालय ने सातवीं राष्ट्रीय आर्थिक जनगणना करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी. मंत्रालय के अंतर्गत एक एस.पी.वी. समान सेवा केंद्र (सी.एस.सी.) के साथ समझौता किया है।

आर्थिक जनगणना के संदर्भ में जानकारी

- आर्थिक जनगणना की प्रक्रिया पहली बार 1978 में आयोजित की गई थी।
- यह सातवीं जनगणना है, जो देश में सभी प्रतिष्ठानों के विभिन्न परिचालन और संरचनात्मक पहलुओं पर अलग-अलग जानकारी प्रदान करेगी।
- जनगणना, आर्थिक गतिविधियों के भौगोलिक प्रसार /समूहों, स्वामित्व प्रारूप, आर्थिक गतिविधि में लगे प्रतिष्ठानों के व्यक्ति आदि में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी।
- सातवीं आर्थिक जनगणना अद्वितीय है क्योंकि पहली बार संपूर्ण जनगणना का आयोजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक एप्लिकेशन के उपयोग से किया जा रहा है, जो उच्च सटीकता और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- पी.आई.बी.

3. व्याख्या: असम समझौता क्या है, जो राज्य में विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दे रहा है?
 - हाल ही में, संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन विधेयक (सी.ए.बी.) ने नए कानून द्वारा असम समझौते के कथित उल्लंघन को दोहराया है।

असम समझौते के संदर्भ में जानकारी

- असम समझौता, 15 अगस्त, 1985 को नई दिल्ली में भारत और असम सरकारों और अखिल असमीय छात्र संघ (ए.ए.एस.यू.) और अखिल

असम गण संग्राम परिषद (ए.ए.जी.एस.पी.) द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था।

- समझौते पर हस्ताक्षर करने के कारण 1979 में ए.ए.एस.यू. द्वारा शुरू किए गए छह साल के आंदोलन का समापन हुआ था,, जिससे अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वासन की मांग की गई थी।

असम समझौते में क्या सहमति हुई थी?

- समझौते के हृदय में "विदेशी मुद्दा" (खंड 5) और "सुरक्षा एवं आर्थिक विकास" (खंड 6 और 7) था।
- यहां पर कुछ "अन्य मुद्दे" (खंड 8-12), और "सामान्य स्थिति की बहाली" (खंड 13 और 14) पर एक अनुभाग थे।
- इस समझौते के कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय, नोडल मंत्रालय था।
- वर्ष 1986 में, समझौता ज्ञापन के विभिन्न खंडों को लागू करने के लिए असम सरकार में एक नया विभाग स्थापित किया गया था, जिसे "असम समझौते के कार्यान्वयन का विभाग" कहा जाता है।

समझौते के अनुसार विदेशी कौन हैं?

- जो व्यक्ति "1.1966 (समावेशी) के बाद और 24 मार्च, 1971 तक असम आए थे, उन्हें विदेशी अधिनियम प्रावधान, 1946 और विदेशियों (न्यायाधिकरणों) के आदेश, 1964" के अनुसार पहचाना जाएगा और उनका नाम "वर्तमान में लागू मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा"।
- इस पर सहमति व्यक्ति की गई थी कि "ऐसे व्यक्तियों" को "विदेशी पंजीकरण अधिनियम, 1939 और विदेशी शासक पंजीकरण के नियमों, 1939 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिलों के पंजीकरण अधिकारियों के समक्ष खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।"
- खंड 5.8 के अंतर्गत, "25 मार्च, 1971 को या उसके बाद असम आने वाले विदेशियों का पता

लगाया जाएगा, हटाया जाएगा ऐसे विदेशियों को निष्कासित करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे।"

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. वाई-फाई कॉलिंग

- भारती एयरटेल ने हाल ही में अन्य नेटवर्क पर कॉल पर अपनी एफ.यू.पी. (फेयर यूसेज पॉलिसी) को हटा दिया है, भारती एयरटेल ने भारत के लिए पहली बार वॉयस ओवर वाई-फाई (VoWiFi) पेश किया है।
- एयरटेल वाई-फाई कॉलिंग, स्मार्टफोन ग्राहकों के लिए इनडोर वॉयस कॉलिंग अनुभव को बढ़ाने का दावा करती है।

वाईफाई कॉलिंग के संदर्भ में जानकारी

- वाई-फाई कॉलिंग, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए लक्षित है जहां सेलुलर नेटवर्क मजबूत नहीं हैं।
- यह हाई डिफिनीशन (एच.डी.) वॉइस कॉल करने और प्राप्त करने हेतु ब्रॉडबैंड के माध्यम से उपलब्ध हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करता है।
- उपयोगकर्ताओं को इन कॉल के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यह वाई-फाई नेटवर्क का उपयोग करता है।

क्या यह व्हाट्सएप कॉलिंग से भिन्न है?

- यह व्हाट्सएप या किसी अन्य ओवर-द-टॉप मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले वॉइस कॉल से बहुत भिन्न नहीं है लेकिन यहां कॉल एक नंबर से दूसरे नंबर पर होती है और ऐप का उपयोग नहीं किया जाता है।
- चूंकि ये कॉल स्थायी वाई-फाई कनेक्शन का उपयोग करती हैं इसलिए कॉल ड्रॉप की समस्या नहीं होती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- लाइवमिंट

5. अटल भूजल योजना

- जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने लोकसभा में अटल भूजल योजना के बारे में जानकारी प्रदान की है।

अटल भूजल योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है।
- इस योजना को भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा 50:50 के प्रारूप में वित्त पोषित किया गया है।
- यह भूजल स्रोतों को रिचार्ज करने पर जोर देगा और स्थानीय स्तर पर लोगों को शामिल करके पानी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करेगा।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अति-शोषित और जल-तनावग्रस्त क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- राज्यों को कई मानदंडों के अनुसार चुना गया है, जिसमें शामिल हैं
 - i. भूजल दोहन और क्षरण की कोटि
 - ii. स्थापित कानूनी और विनियामक उपकरण
 - iii. संस्थागत तत्परता
 - iv. भूजल प्रबंधन से संबंधित पहलों को लागू करने में अनुभव

महत्व

- यह योजना उन लोगों की मदद करेगी, जिन्हें निरंतर भूजल आपूर्ति की आवश्यकता है, विशेषकर ऐसे किसानों की मदद करेगी जो पिछले कई वर्षों से भूजल की अत्यधिक कमी से प्रभावित हैं।
- इसका ध्यान मुख्य रूप से समुदायों की भागीदारी और विभिन्न जल योजनाओं के साथ सम्मिलन पर है।
- इसका मुख्य घटक सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनाना और भूजल संसाधन के प्रबंधन के लिए व्यवहार में बदलाव लाना है।

- यह जल संसाधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –सरकारी योजना

स्रोत- पी.आई.बी.

6. लक्ष्य छूट गया, सुगम्य भारत अभियान की समय सीमा बढ़ गई है।

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि "धीमी प्रगति" के कारण सरकार के सुगम्य भारत अभियान की समय सीमा मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है।
- यह निर्णय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा लिया गया था।
- सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत मूल समय सीमा जुलाई, 2016 तक 50 शहरों में सबसे महत्वपूर्ण 25-50 सरकारी इमारतों की पहुँच क्षमता ऑडिट करने और मार्च, 2018 तक इन्हें पूरी तरह से सुगम्य बनाने के लिए थीं।

सुगम्य भारत अभियान के संदर्भ में जानकारी

- यह विकलांग व्यक्ति सशक्तीकरण विभाग (DEPWD), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान है।
- इसे 3 दिसंबर, 2015 को प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस पर लॉन्च किया था।
- इस अभियान का उद्देश्य पूरे देश में दिव्यांगजनों के लिए एक बाधा रहित और अनुकूल वातावरण बनाना है।
- यह अभियान सामाजिक विकलांगता मॉडल के सिद्धांतों पर आधारित है, यह विकलांगता उस तरह से होती है जिस तरह से समाज संगठित होता है, न कि व्यक्ति की सीमाएं और हानियां व्यवस्थित होती हैं।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुँच बनाने के लिए अभियान को तीन ऊर्ध्वाधर भागों में विभाजित किया गया है:
 - i. निर्मित पर्यावरण

- ii. परिवहन एवं सूचना
- iii. संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) पारिस्थितिकी तंत्र

लक्ष्य

सुगम्य भारत अभियान का निर्मित पर्यावरण सुगम्यता घटक निम्न लक्ष्यों को पूरा करता है:

- 50 शहरों में कम से कम 25-50 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी भवनों की पहुंच क्षमता ऑडिट को पूरा करना और दिसंबर, 2015 के अंत तक उन्हें पूरी तरह से सुलभ बनाना।
- दिसंबर, 2018 तक एन.सी.टी. के सभी सरकारी भवनों और सभी राज्यों की राजधानियों के 50% को पूरी तरह से सुलभ बनाना है।
- दिसंबर, 2019 तक 50% सरकारी भवनों की पहुंच क्षमता ऑडिट को पूरा करना और राज्यों के 10 सबसे महत्वपूर्ण शहरों/ कस्बों को लक्ष्य (i) और (ii) में शामिल नहीं करना है।
- सुगम्य भारत अभियान के परिवहन पहुंच घटक का उद्देश्य मार्च, 2018 तक तुरंत सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और घरेलू हवाई अड्डों को पूरी तरह से सुलभ बनाना है।
- उन्हें दुनिया भर में कई धर्मों में देवताओं, आत्माओं या पैतृक प्राणियों के रूप में माना जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –सामाजिक सशक्तीकरण

स्रोत- द हिंदू

7. यूरोपीय हरित सौदा (जलवायु-तटस्थता) 2050

- यूरोपीय संघ के नेताओं ने स्पेन के मैड्रिड में सी.ओ.पी.25 में 2050 तक जलवायु-तटस्थता हासिल करने पर एक ठोस समझौते पर पहुंचने का दावा किया है।
- इस सौदे का उद्देश्य एक व्यापक रणनीति दस्तावेज है, जो यूरोपीय संघ (ई.यू.) को "2050 में ग्रीनहाउस गैसों का समग्र उत्सर्जन न करने और आर्थिक विकास का संसाधन उपयोग से विघटन" की ओर एक प्रक्षेपवक्र पर रखता है।

यूरोपीय हरित सौदे के संदर्भ में जानकारी

यह इस तथ्य के प्रति अत्यधिक सचेत है कि अगले 12 महीनों में कई जलवायु-केंद्रित कार्रवाई बिंदुओं की घोषणा की जाएगी, जिनमें से कुछ हैं:

- यूरोपीय जलवायु कानून' पर प्रस्ताव, 2050 जलवायु तटस्थता उद्देश्य (मार्च 2020) को समाहित करता है।
- जिम्मेदार तरीके से यूरोपीय संघ के 2030 जलवायु लक्ष्य को कम से कम 50 प्रतिशत और 55 प्रतिशत तक बढ़ाने की व्यापक योजना (समर 2020)
- अंतिम राष्ट्रीय ऊर्जा एवं जलवायु योजनाओं का आकलन (जून, 2020)
- अपतटीय पवन पर रणनीति
- ऊर्जा-गहन औद्योगिक क्षेत्रों में जलवायु-तटस्थ और परिपत्र उत्पादों के लिए प्रमुख बाजारों को प्रोत्साहित करने की पहल (2020 से)
- 2030 तक शून्य-कार्बन स्टील बनाने की प्रक्रियाओं का समर्थन करने का प्रस्ताव
- बैट्रियों और सामरिक अर्थव्यवस्था पर रणनीतिक कार्य योजना के समर्थन में बैटरी पर कानून (अक्टूबर, 2020)
- यूरोपीय जलवायु संधि का शुभारंभ (मार्च, 2020)

जलवायु तटस्थता के संदर्भ में जानकारी

- कार्बन तटस्थता या परिणामी शून्य कार्बन पदचिह्न, कार्बन हटाने के साथ कार्बन उत्सर्जन को संतुलित करके (प्रायः कार्बन ऑफसेटिंग के माध्यम से) परिणामी-शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को प्राप्त करने या केवल कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह से समाप्त करने को संदर्भित करता ("कार्बन के बाद अर्थव्यवस्था" में संक्रमण) है।

पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान:

- 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 33% से घटाकर 35% करना

- वर्ष 2030 तक कुल संचयी बिजली उत्पादन को जीवाश्म मुक्त ऊर्जा स्रोतों से 40% तक बढ़ाना
- अतिरिक्त वन और पेड़ कवर के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- डाउन टू अर्थ

8. **36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सम्मेलन**
- भारत वर्ष 2020 में नई दिल्ली में 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सम्मेलन (आई.जी.सी.) की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है।
- आगामी सम्मेलन की थीम: भूविज्ञान: एक सतत विकास हेतु बुनियादी विज्ञान है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सम्मेलन के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी है।

अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सम्मेलन के संदर्भ में जानकारी

- इसे लोकप्रिय रूप से भूविज्ञान के ओलंपिक के रूप में वर्णित करते हैं जो चार वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है।
- इसे 1878 में एक गैर-लाभकारी वैज्ञानिक और शैक्षिक संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।
- हालांकि, यह 1961 में अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक संघ (आई.यू.जी.एस.) के तत्वावधान में आया था।
- आई.जी.सी. का पहला सत्र 1878 में फ्रांस में आयोजित हुआ था, जिसका उद्देश्य वैश्विक भूवैज्ञानिक समुदाय को नियमित अंतराल पर बैठक के लिए एक संगठनात्मक ढांचा तैयार करने का अवसर प्रदान करना था।

नोट:

- दो बार इस आयोजन की मेजबानी करने वाला भारत, एकमात्र एशियाई देश है। 1964 में, भारत ने पहली बार इसकी मेजबानी की थी, जो 22वां आई.जी.सी. था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- ए.आई.आर.

9. **स्ट्रैंडहॉग**

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक अलर्ट भेजा है जिसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में स्ट्रैंडहॉग नामक एक बग के प्रति भेद्यता हेतु चेताया गया है।

स्ट्रैंडहॉग के संदर्भ में जानकारी

- यह वास्तविक समय के मेलवेयर अनुप्रयोगों को वास्तविक अनुप्रयोगों के रूप में रखने और सभी प्रकार के उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंचने की अनुमति देता है।
- यह मेलवेयर संभावित रूप से उनकी बातचीत सुन सकता है, फोटो एल्बम एक्सेस कर सकता है, संदेश पढ़/ भेज सकता है, कॉल कर सकता है, बातचीत रिकॉर्ड कर सकता है और विभिन्न खातों में लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त कर सकता है।
- ऐसे मेलवेयर एक्सेस कर सकते हैं जिसमें निजी चित्र, फाइलें, संपर्क विवरण, कॉल लॉग और लोकेशन की जानकारी हो सकती है।
- यह माइक्रोफोन को सक्रिय कर सकता है, जिससे हैकर को दूरस्थ स्थान पर लाइव वार्तालाप सुनने की अनुमति मिलती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इकोनॉमिक्स टाइम्स

10. **दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी**

- ऑस्ट्रेलियाई और इंडोनेशिया के शोधकर्ताओं की एक टीम के एक अध्ययन के अनुसार, इंडोनेशिया में 44,000 साल पुरानी गुफा कला पाई गई है जो कहानी कहने के शुरुआती ज्ञात सचित्र रिकॉर्ड प्रतीत होती है।
- यह गुफा चित्रकला इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर पाई गई है, जिसमें मानव जैसी आकृतियाँ होती हैं जो जानवरों का शिकार कर रहे हैं।

चित्रकारी के संदर्भ में जानकारी

- वर्ष 2017 में चूना पत्थर की गुफा में पाई गई पेंटिंग, यूरेनियम-श्रृंखला विश्लेषण का उपयोग करते हुए लगभग 44,000 साल पहले की थी।

- यह जानवरों के साथ मानव विशेषताओं या आठ थेरियनथोप दर्शाता है, जो 6 जानवरों को पीछा करते हुए तारते हुए प्रतीत होते हैं जैसा कि वे सुअर क्षेत्र से संबंधित हों, भाले और रस्सियों का प्रयोग किया गया है।
- थेरियनथोप लगभग हर आधुनिक समाज के लोककथाओं या कथात्मक कथाओं में होते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- ए.आई.आर.

17.12.2019

1. **सरकारी तात्कालिक संदेश सेवा प्रणाली**
 - सरकार, सुरक्षित आंतरिक उपयोग के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के एक भारतीय समकक्ष की प्रतिकृति का परीक्षण कर रही है, जिसका कोडनेम जी.आई.एम.एस. या सरकारी तात्कालिक संदेश सेवा प्रणाली है।
 - यह एप्लीकेशन हाल ही में व्हाट्सएप उल्लंघन विवाद के बाद आया है जब इंडियन एक्सप्रेस द्वारा पहली बार पिगासस नामक स्पाइवेयर के माध्यम से कुछ भारतीय उपयोगकर्ताओं के मोबाइल लक्षित किए जाने का मामला सामने आया था।

सरकारी तात्कालिक संदेश सेवा प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- इसे एक सुरक्षित शर्त के रूप में माना जा रहा है क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को भारत में विकसित किया गया है, इसे होस्ट करने वाले सर्वर को देश के भीतर स्थापित किया गया है और इसमें संग्रहीत जानकारी सरकार-आधारित क्लाउड - एन.आई.सी. में होगी।
- इसे केंद्र और राज्य सरकार के विभागों और संगठनों के कर्मचारियों के लिए अंतरा और अंतर संगठन संचार के लिए विकसित किया जा रहा है।

- यह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन.आई.सी.) की केरल इकाई द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- इसे विदेशों में होस्ट किए गए ऐप या विदेशी संस्थाओं के स्वामित्व वाले ऐप से संबंधित सुरक्षा चिंताओं के बिना एक सुरक्षित भारतीय विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- व्हाट्सएप की तरह, जी.आई.एम.एस. वन-टू-वन मैसेज के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को नियुक्त करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3- आई.टी. और कंप्यूटर

स्रोत- पी.आई.बी.

2. **भारत में विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधाओं को विकसित करने के लिए विभिन्न पहल: मानव संसाधन विकास मंत्री**
 - सरकार ने विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधाओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित पहल शुरू की है।

प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप:

- इस योजना के अंतर्गत, आई.आई.टी., एन.आई.टी. और आई.आई.एस.ई.आर. के मेधावी छात्रों को अपने बीटेक कार्यक्रम को पूरा करने के बाद सीधे आई.आई.टी. और आई.आई.एस.सी. में पी.एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश मिल सकता है।
- उन्हें पहले दो वर्षों के लिए 70,000 रूपए प्रतिमाह, तीसरे वर्ष के लिए 75000 रूपए प्रतिमाह और चौथे और पांचवें वर्ष के लिए 80000 रूपए प्रतिमाह की फेलोशिप प्रदान की जाएगी।

अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव (इम्प्रिंट):

- यह सरकार (आई.आई.टी. और आई.आई.एस.सी. संयुक्त पहल द्वारा संयुक्त रूप से) की एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल है, जिसे 2015 में शोध के लिए एक रोडमैप विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया था।

- इसका उद्देश्य सबसे अधिक प्रासंगिक इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान प्रदान करना और दस चयनित प्रौद्योगिकी डोमेन में ज्ञान का व्यवहार्य प्रौद्योगिकी में अनुवाद करना है।
- यह परियोजना संयुक्त रूप से एम.एच.आर.डी. और भाग लेने वाले मंत्रालयों द्वारा 50:50 के अनुपात में वित्त पोषित है।

प्रख्यात संस्थान (आई.ओ.ई.):

- उच्च शैक्षणिक संस्थानों को सशक्त बनाने और विश्व स्तर के शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को बनाने में उनकी मदद करने के लिए सरकार ने हाल ही में 20 संस्थानों (10 सार्वजनिक और 10 निजी संस्थानों) को प्रख्यात संस्थान के रूप में घोषित किया है।
- ये संस्थान बहु-अनुशासनात्मक पहल, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर देंगे।

संस्थान नवाचार परिषद (आई.आई.सी.):

- संस्थान नवाचार परिषद (आई.आई.सी.) कार्यक्रम को वर्ष 2018 में एम.एच.आर.डी. के नवाचार सेल के अंतर्गत लॉन्च किया गया था।
- आई.आई.सी. के नेटवर्क के गठन का उद्देश्य युवा छात्रों को नए विचारों और प्रक्रियाओं के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना और उनका पोषण करना है, जिसके परिणामस्वरूप उनके प्रारंभिक वर्षों में नवीन गतिविधियाँ होती हैं।

उच्चतर अविष्कार योजना

- उच्चतर अविष्कार योजना को वर्ष 2015 में उच्च कोटि के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है जो उद्योग की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और जिससे भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धा में सुधार होता है।
- इन परियोजनाओं को एम.एच.आर.डी., भाग लेने वाले मंत्रालय और उद्योगों द्वारा 50:25:25 के अनुपात में संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

3. भारत की बढ़ती खुदरा कीमतें, मुद्रास्फीतिजनित मंदी की चिंताओं को बढ़ा रहा रही हैं।

- नवंबर में भारत की खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति 40 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, ऐसे समय में जब एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में वृद्धि छह वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है।
- इसने कुछ अर्थशास्त्रियों को यह चेतावनी देने के लिए प्रेरित किया है कि देश मुद्रास्फीतिजनित मंदी के चरण में प्रवेश कर सकता है।

मुद्रास्फीतिजनित मंदी के संदर्भ में जानकारी

- मुद्रास्फीतिजनित मंदी, धीमी आर्थिक वृद्धि और अपेक्षाकृत उच्च बेरोजगारी या बढ़ती कीमतों या मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक ठहराव की स्थिति है।
- इसे मुद्रास्फीति और सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में गिरावट के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।
- मुद्रास्फीतिजनित मंदी को पहली बार 20वीं शताब्दी के मध्य में, विशेष रूप से 1970 के दशक के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से मान्यता प्रदान की गई थी, जो लगातार तेजी से मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी का अनुभव करती थी।
- इसके कारण फिलिप्स वक्र द्वारा सुझाए गए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच का व्युत्क्रम संबंध टूट गया था।

फिलिप्स वक्र

- फिलिप्स वक्र, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है, जैसे-जैसे बेरोजगारी घटती है, मुद्रास्फीति बढ़ती है।
- यह अवधारणा बताती है कि आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति के साथ आता है जो बदले में अधिक नौकरियों और कम बेरोजगारी को जन्म दे सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- इकोनॉमिक्स टाइम्स

4. दक्षिण एशियाई साहित्य 2019 के लिए डी.एस.सी. पुरस्कार

- अमिताभ बागची ने अपने उपन्यास "हाफ द नाइट गॉन" के लिए दक्षिण एशियाई साहित्य हेतु 2019 डी.एस.सी. पुरस्कार जीता है।

डी.एस.सी. पुरस्कार के संदर्भ में जानकारी

- दक्षिण एशियाई साहित्य के लिए डी.एस.सी. पुरस्कार, एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है जो दक्षिण एशिया विषयों जैसे संस्कृति, राजनीति, इतिहास या लोगों के बारे में किसी भी जातीयता या राष्ट्रीयता के लेखकों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्र, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ ही प्रवासी भी शामिल हैं।
- डी.एस.सी. पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2010 में सुरिना नरूला और मनहद नरूला द्वारा की गई थी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

5. विरोध का अधिकार

- हाल ही में, दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस की कार्रवाई की व्यापक रूप से आलोचना की जा रही है, जहां पुलिस ने परिसर में प्रवेश किया और छात्रों के खिलाफ बल का प्रयोग किया था।
- नागरिकों का शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार, किसी भी लोकतंत्र के हृदय में है।

संविधान में प्रावधान

- शांति से विरोध करने का अधिकार, भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत है।
- अनुच्छेद 19 (1) (ए) और 19 (1) (बी) सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक ढंग से और बिना किसी हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार प्रदान करते हैं।

- हालांकि, अनुच्छेद 19 (2) और 19 (3) के अंतर्गत, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार "भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों में उचित प्रतिबंध, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक आदेश, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना के संबंध में, मानहानि या अपराध के लिए उकसाने के अधीन है"।

सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. में

- आंदोलन, विरोध प्रदर्शन और गैरकानूनी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधान और मार्ग आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) 1973, भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) 1860 और पुलिस अधिनियम 1861 में शामिल किए गए हैं।
- सी.आर.पी.सी. की धारा 129-132 "नागरिक बल के उपयोग द्वारा भीड़ के विघटन" से संबंधित है, नागरिक अशांति की स्थितियों में सशस्त्र बलों का उपयोग और इन धाराओं के अंतर्गत किए गए कृत्यों के लिए अभियोजन के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है।
- आई.पी.सी. की धारा 141-158 गैरकानूनी भीड़ और इस अपराध से संबंधित जिम्मेदारियों, उत्तरदायित्वों और दंड से संबंधित है।

अदालतों में

- करम सिंह बनाम हरदयाल सिंह और ओर्स मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 8 अगस्त, 1979 के अपने फैसले में रेखांकित किया था कि "किसी भी बल का उपयोग करने से पहले तीन पूर्वापेक्षाओं को पूरा करना होगा"-
- हिंसा करने के अपराध से संबंधित एक गैरकानूनी भीड़ होनी चाहिए या पांच या अधिक व्यक्तियों के एक समूह के कारण सार्वजनिक शांति में खलल पड़ सकता हो।
- ऐसी सभा को तितर-बितर करने का आदेश दिया जाता है।

- तितर-बितर करने के इस तरह के आदेशों के बावजूद, इस तरह की सभा तितर-बितर नहीं होती है।

संयुक्त राष्ट्र में

- कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा बल और आग्नेयास्त्रों के उपयोग पर बुनियादी सिद्धांत को 1990 में हवाना में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के उपचार पर आठवें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था।
- यह संकल्प किया गया था कि "कानून प्रवर्तन अधिकारी अपने कर्तव्य को पूरा करने में जहाँ तक संभव हो बल और आग्नेयास्त्रों के उपयोग का सहारा लेने से पहले अहिंसक साधनों को लागू करें।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –संविधान

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

6. सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984

- भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रों द्वारा किए गए दंगे और सार्वजनिक संपत्ति के विनाश पर नाराजगी व्यक्त की है।

सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 के संदर्भ में जानकारी

- यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति को "किसी भी सार्वजनिक संपत्ति के संबंध में कोई भी कार्य करने से दुराचार करने वाले" को पांच साल तक की जेल की सजा और जुर्माना या दोनों की सजा देता है। इस कानून के प्रावधान को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उन लोगों के साथ जोड़ा जा सकता है।

इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल सार्वजनिक संपत्ति:

- "जल, विद्युत, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या आपूर्ति के संबंध में उपयोग की गई कोई भी इमारत, स्थापना या अन्य संपत्ति, किसी

भी तेल की स्थापना, कोई भी सीवेज काम, कोई खादान या कारखाना, सार्वजनिक परिवहन या दूरसंचार के किसी भी साधन या किसी भी भवन, स्थापना या इससे संबंधित उपयोग की गई अन्य संपत्ति है"।

- वर्ष 2007 में, कानूनों में बदलावों का सुझाव देने हेतु अदालत ने शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.टी. थॉमस और वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन किया था।
- वर्ष 2009 में, सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों का पुनर्विनाश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और ओर्स के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने दो विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर दिशानिर्देश जारी किए थे।

सिफारिशें

- थॉमस समिति ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सबूत के बोझ को पलटने की सिफारिश की थी।
- सुझाव को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा था कि अभियोजन को यह साबित करना अनिवार्य होना चाहिए कि किसी संस्था द्वारा बुलाए गए प्रत्यक्ष कार्यवाई में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और आरोपी ने भी इस तरह की प्रत्यक्ष कार्यवाई में भाग लिया है।
- नरीमन समिति की सिफारिशें विनाश के लिए नुकसान को निकालने के साथ काम करती हैं।
- सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा था कि दंगाइयों को नुकसान के लिए सख्ती से उत्तरदायी बनाया जाएगा और क्षति को "अच्छा" बनाने के लिए क्षतिपूर्ति ली जाएगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत-इंडियन एक्सप्रेस

7. सतत विकास सेल

- कोयला मंत्रालय ने देश में पर्यावरणीय रूप से स्थायी कोयला खनन को बढ़ावा देने के लिए एक सतत विकास सेल, एस.डी.सी. स्थापित करने का निर्णय लिया है।

सतत विकास सेल के संदर्भ में जानकारी

- यह खानों पर पाबंदी लगाने या बंद होने के दौरान पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संबोधित करेगा।
- इस कदम को महत्ता मिल रही है क्योंकि कि नए निजी निकाय अब भविष्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से का गठन करने जा रहे हैं।
- यह सेल सतत तरीके से उपलब्ध संसाधनों के उपयोग को अधिकतम करने, खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने और इसे भविष्य की पारिस्थितिक प्रणाली सेवाओं के लिए कम करने हेतु कंपनी द्वारा लिए गए शमन उपायों की सलाह, मार्गदर्शन, योजना और निगरानी करेगा।
- यह खदान बंदी निधि सहित पर्यावरणीय शमन उपायों के लिए भविष्य की नीति की रूपरेखा भी तैयार करेगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3-सरकारी योजनाएं और हस्तक्षेप

स्रोत- पी.आई.बी.

8. 6वाँ हिंद महासागर वार्तालाप और दिल्ली वार्तालाप XI
 - विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र में 6वें हिंद महासागर वार्तालाप और दिल्ली वार्तालाप XI की मेजबानी करेगा।
 - पहली बार, ये दो ट्रेक 5 वार्तालाप लगातार और समान भारत-प्रशांत थीम पर आयोजित किए जाएंगे।
 - हिंद महासागर वार्तालाप की थीम "भारत-प्रशांत: एक विस्तारित भूगोल के माध्यम से हिंद महासागर की फिर से कल्पना करना" है।

दिल्ली वार्तालाप

- दिल्ली वार्तालाप, भारत और आसियान के बीच राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक जुड़ाव पर चर्चा करने हेतु एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है।
- यह वर्ष 2009 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है और दोनों देशों के राजनीतिक नेता, नीति निर्धारक, वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, प्रबुद्ध

मंडल और शिक्षाविद् आसियान-भारत संबंधों से संबंधित चर्चाओं में भाग लेते हैं।

- इसका उद्देश्य सार्वजनिक भूक्षेत्र तलाशना और भारत और आसियान देशों के मध्य सहयोग का दायरा बढ़ाना है।
- वार्तालाप के ग्यारहवें संस्करण की थीम **भारत-प्रशांत में उन्नत साझेदारी** है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 -गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

9. पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व सेना प्रमुख परवेज मुशरफ को उच्च राजद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई है।
 - पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार, पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने आज पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशरफ को लंबे समय से चल रहे उच्च राजद्रोह के मामले में मौत की सजा सुनाई है।
 - पूर्व सैन्य प्रमुख वर्तमान में दुबई में हैं।

केस के संदर्भ में जानकारी:

- नवंबर, 2007 में आपातकाल की स्थिति के लिए पूर्व सैन्य तानाशाह के मामले में मुकदमा दिसंबर, 2013 से लंबित था।
- उन्हें मार्च, 2014 में आरोपित किया गया था और अभियोजन पक्ष ने उसी वर्ष सितंबर में विशेष अदालत के समक्ष पूरे सबूत पेश किए थे।
- हालांकि, अपीलीय मंचों पर मुकदमेबाजी के कारण, पूर्व सैन्य तानाशाह का मुकदमा लंबित हो गया था और उसने मार्च, 2016 में पाकिस्तान छोड़ दिया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 -अंतर्राष्ट्रीय मामले

स्रोत- ए.आई.आर.

18.12.2019

1. पश्चिम बंगाल ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर कार्य रोक दिया है।

- हाल ही में, पश्चिम बंगाल सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) से संबंधित गतिविधियों को वापस ले लिया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में जानकारी

- यह देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है।
- गृह मंत्रालय के अनुसार, "देश का सामान्य निवासी" वह है जो कम से कम पिछले छह महीनों से स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है या अगले छह महीनों के लिए किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है।
- एन.पी.आर. के अंतर्गत डेटाबेस भारत के रजिस्ट्रार जनरल और भारत के जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाएगा।
- एन.आर.सी. के विपरीत, एन.पी.आर. एक नागरिकता अभियान नहीं है क्योंकि यह एक विदेशी के स्थानीय क्षेत्र में छह महीने से अधिक समय तक निवास करने का रिकॉर्ड देगा।
- भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एन.पी.आर. में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय (ग्राम/ उप-टाउन), उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है।
- भारत में, जनगणना 2011 के साथ-साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया गया था और जिसे 2015 में अंतिम बार अपडेट किया गया था।
- नए और नवीनतम एन.पी.आर. को 1 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 के बीच पूरे भारत (असम को छोड़कर) में अगली जनगणना गणना के साथ आयोजित करने की योजना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

2. 'मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण': संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ने नागरिकता अधिनियम, 2019 पर चिंता व्यक्त की है।

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त ने चिंता व्यक्त की है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, "मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण" है और अंतर्राष्ट्रीय कानून और भारतीय संविधान के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को कमजोर करता है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त के संदर्भ में जानकारी

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त (ओ.एच.सी.एच.आर.) का कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय का एक विभाग है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत गारंटीकृत और 1948 के मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निर्धारित किए गए मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करता है।

ओ.एच.सी.एच.आर. के कार्य निम्न द्वारा निर्देशित हैं:

- संयुक्त राष्ट्र का घोषणापत्र
- मानवाधिकारों और उसके बाद के मानवाधिकारों के उपकरणों की सार्वभौमिक घोषणा
- वियना घोषणापत्र और विश्व मानवाधिकार सम्मेलन 1993 पर कार्रवाई का कार्यक्रम
- 2005 वर्ल्ड समिट आउटकम डॉक्यूमेंट
- यह 1993 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत- टी.ओ.आई.

3. डब्ल्यू.ई.एफ. लिंग अंतर रिपोर्ट 2019

- विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) ने वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक रिपोर्ट 2019 जारी की है।
- वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक रिपोर्ट के संदर्भ में जानकारी**
- वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक को वर्ष 2006 से विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यू.ई.एफ.) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है।

- यह सूचकांक चार संकेतकों में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की दिशा में लिंग अंतर को मापता है:
- शिक्षा प्राप्ति
- स्वास्थ्य और जीवन
- आर्थिक अवसर और
- राजनीतिक सशक्तीकरण
- देशों को 0 (सबसे कम अर्थात अपरिपक्वता) से लेकर 1 (उच्चतम अर्थात समानता) तक के पैमाने पर आधारित स्कोर दिए जाते हैं।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- आइसलैंड, दुनिया का सबसे लिंग-तटस्थ देश बना हुआ है और पहले स्थान पर है, इसके बाद नॉर्वे दूसरे स्थान पर, फिनलैंड तीसरे स्थान पर और स्वीडन चौथे स्थान पर है।
- यमन सबसे खराब 153वें स्थान पर है।
- लिंग अंतर रिपोर्ट में चीन (106वां), श्रीलंका (102वां), नेपाल (101वां), ब्राजील (92वां), इंडोनेशिया (85वां) और बांग्लादेश (50वां) का स्थान है।
- रिपोर्ट बताती है कि राजनीतिक लिंग अंतर को समाप्त करने में 95 साल लगेंगे क्योंकि दुनिया भर में महिलाओं की संसदीय सीटों की संख्या 2 प्रतिशत है।

भारत और रिपोर्ट

- महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन और आर्थिक भागीदारी के संदर्भ में व्यापक असमानता के बीच लैंगिक अंतर के मामले में भारत चार स्थान नीचे खिसककर वैश्विक स्तर पर 112वें स्थान पर आ गया है।
- भारत ने राजनीतिक सुधार पर 18 स्थानों का सुधार दर्ज किया है, वह स्वास्थ्य भागीदारी और जीवन के संदर्भ में 150वें स्थान पर खिसक गया है, आर्थिक भागीदारी और अवसर के मामले में 149वें और शिक्षा प्राप्ति के मामले में 112वें स्थान पर है।

- डब्ल्यू.ई.एफ. ने कहा है कि महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर भारत (4 प्रतिशत), पाकिस्तान (32.7 प्रतिशत), यमन (27.3 प्रतिशत), सीरिया (24.9 प्रतिशत) और इराक (22.7 प्रतिशत) में बेहद सीमित हैं।
- इसने कंपनी बोर्डों (8 प्रतिशत) पर बहुत कम महिलाओं के प्रतिनिधित्व वाले देशों में भारत का नाम भी रखा है, जब कि यह चीन में (9.7 प्रतिशत) और अधिक खराब है।
- स्वास्थ्य और जीवन पर चार बड़े देश-पाकिस्तान, भारत, वियतनाम और चीन- लाखों महिलाओं के साथ बुरी तरह से व्यवहार करते हैं, जहां महिलाओं को पुरुषों के समान स्वास्थ्य की पहुंच नहीं प्राप्त है।
- इसने भारत में जन्म के समय असामान्य रूप से निम्न लिंगानुपात (प्रत्येक 100 लड़कों पर 91 लड़कियां) और पाकिस्तान (92/100) को झंडी दिखाई है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –महत्वपूर्ण रिपोर्ट

स्रोत- इकोनॉमिक्स टाइम्स

4. अध्ययन के मुताबिक, चक्रवात फणी के कारण महानदी पक्षी की आबादी प्रभावित हुई है।
- महानदी नदी 40 कि.मी. लंबे तट पर सुपर चक्रवाती तूफान फणी के प्रभाव पर हाल ही के एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि चक्रवात जैसे चरम मौसम की घटनाओं से एक क्षेत्र की पक्षी आबादी पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

निष्कर्ष

- अध्ययन में यह बात सामने आई है कि महानदी नदी के किनारे पर बैदेश्वर से काखड़ी तक 40 किलोमीटर की दूरी पर संदबार घोंसले वाले पक्षियों की आबादी में 81% की गिरावट आई है।
- सबसे अधिक गिरावट ग्लेरोला लैक्टील (लिटिल प्रेटिनएकल) के मामले में देखी गई है, जिसकी आबादी चक्रवात से पहले और बाद में 500 से अधिक से गिरकर 50 हो गई है।

- अध्ययन में संदबार घोंसले के पक्षियों की आठ प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो नदी के किनारे पर निवास करते हैं और उस समय अपने अंडे सैंडबार्स पर देते हैं, जो नदी से निकलते हैं जब गर्मियों के दौरान पानी गिरता है।
- महानदी के किनारे अंडे देने वाली सभी आठ प्रजातियों के पक्षियों में से पांच को विश्व स्तर पर खतरा है, जिनमें शामिल हैं
 - रिंकोपसालबिकोलिस (भारतीय स्कीमर), आई.यू.सी.एन. की रेड लिस्ट के अनुसार कमजोर के रूप में वर्गीकृत
 - स्टर्ना अरेंटिया (रिवर टर्न) जिसे निकट लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है
 - वानेलुस्टुवुसेलिए (रिवर लैपविंग), निकट लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत है।
 - ऐसाकुस्रेकरवीरोस्ट्रिस (ग्रेट थिक-नी), जिसे निकट लुप्तप्राय के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

5. लोकसभा का संघटन

- पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि लोकसभा में सीटों की संख्या को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 1,000 किया जाना चाहिए और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं में सांसदों की संख्या में वृद्धि की वकालत की है।
- मुखर्जी के अनुसार, वर्तमान में प्रत्येक सांसद औसतन 16-18 लाख भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, एक सार्थक तरीके से संपर्क में रहने के लिए यह बहुत बड़ी संख्या है।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान का अनुच्छेद 81, लोकसभा या लोक सभा की संरचना को परिभाषित करता है।
- इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से 20

प्रतिशत से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे।

- वर्तमान में, लोकसभा में सीटों की संख्या 543 है, जिनमें से 530 राज्यों को और शेष केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गई हैं।
- वर्ष 1952 में गठित पहले सदन में 497 सदस्य थे।
- अनुच्छेद 331 के अंतर्गत, राष्ट्रपति दो आंग्ल-भारतीय को नामांकित कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि समुदाय को सदन में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था।
- हालांकि, संविधान (126वां संशोधन) विधेयक को पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित किया गया है, जबकि एस.सी./ एस.टी. के लिए आरक्षण का विस्तार करते हुए आंग्ल-भारतीयों को लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभाओं के नामांकन के प्रावधान के साथ दूर किया गया है।
- अनुच्छेद 81 शासनादेशित करता है कि किसी राज्य को आवंटित लोकसभा सीटों की संख्या इस प्रकार होगी कि सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात सभी राज्यों के लिए समान होना चाहिए, जहाँ तक संभव हो।
- अनुच्छेद 81 के खंड 3 के अनुसार, सीटों के आवंटन के उद्देश्य के लिए जनसंख्या का अर्थ, "पिछली पूर्ववर्ती जनगणना में बताई गई जनसंख्या जिसके संबंधित आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं"- दूसरे शब्दों में, पिछली प्रकाशित जनगणना है।
- हालांकि, वर्ष 2003 में इस खंड में संशोधन के परिणामस्वरूप, अब "जनसंख्या" का अर्थ 1971 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या है- और ऐसा तब तक होगा जब तक कि पहली जनगणना नहीं होती जो कि 2026 के बाद होगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –संविधान

स्रोत- द हिंदू

6. वैश्विक शरणार्थी फोरम

- पहला वैश्विक शरणार्थी फोरम (जी.आर.एफ.), संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों की दो दिवसीय सभा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में शुरू हुई है।
- फोरम को संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR), संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी और स्विट्जरलैंड की सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य वैश्विक शरणार्थी स्थिति पर दुनिया के देशों की प्रतिक्रिया पर बहस और चर्चा करना है।
- यह ग्लोबल कॉम्पेक्ट ऑन रिफ्यूजी द्वारा निर्देशित है, वैश्विक शरणार्थी फोरम, अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी साझाकरण के सिद्धांत को ठोस कार्रवाई में अनुवाद करने का एक अवसर है।
- यह फोरम प्रभावशाली प्रतिज्ञाओं और योगदानों और अच्छी प्रथाओं के आदान-प्रदान का प्रदर्शन करेगा।
- जी.आर.एफ. प्रत्येक चार वर्ष में मंत्री स्तर पर आयोजित किया जाएगा।
- पहले जी.आर.एफ. को फोकस के छह क्षेत्रों के आसपास आयोजित किया गया है:
 - बोज़ और जिम्मेदारी साझाकरण
 - शिक्षा
 - नौकरी और आजीविका
 - ऊर्जा और बुनियादी ढाँचा
 - समाधान
 - सुरक्षा क्षमता

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतराष्ट्रीय संगठन

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन

- केंद्रीय संचार मंत्री ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (एन.बी.एम.) शुरू किया है।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के संदर्भ में जानकारी

- एन.बी.एम. का दृष्टिकोण डिजिटल संचार अवसंरचना का तेजी से विकास करना, डिजिटल अंतर को समाप्त करना, डिजिटल सशक्तीकरण और समावेशन की सुविधा प्रदान करना और

सभी के लिए ब्रॉडबैंड की किफायती और सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है।

- मिशन के कुछ उद्देश्यों को सार्वभौमिकता, सामर्थ्य और गुणवत्ता के तीन सिद्धांतों पर अधिक जोर के साथ संरचित किया गया है।
- वर्ष 2022 तक सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड की पहुंच प्रदान करना है, जो देश भर में और विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सार्वभौमिक और समान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है।
- यह 2024 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल के वृद्धिशील 30 लाख कि.मी. का मार्ग बिछाने और टॉवर घनत्व में 42 से 1.0 टॉवर प्रति हजार की वृद्धि में मदद करता है।
- यह मोबाइल और इंटरनेट के लिए सेवाओं की गुणवत्ता में भी काफी सुधार करता है।
- राइट ऑफ वे (आर.ओ.डब्ल्यू.) के लिए नवाचार कार्यान्वयन मॉडल विकसित करना और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ काम करना है।
- राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के भीतर डिजिटल संचार अवसंरचना और अनुकूल नीति पारिस्थितिकी तंत्र की उपलब्धता को मापने के लिए एक ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स (बी.आर.आई.) विकसित करना।
- देश भर में ऑप्टिकल फाइबर केबल और टावरों सहित डिजिटल संचार नेटवर्क और बुनियादी ढांचे के डिजिटल फाइबर मानचित्र का निर्माण करना।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- टी.ओ.आई.

8. हाइड्रोजन सेल प्रौद्योगिकी

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से नई दिल्ली में वाहनों के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए हाइड्रोजन-आधारित प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता पर गौर करने को कहा है।
- भारत, जापान को करीब से देख रहा है, जो हाइड्रोजन सेल प्रौद्योगिकी पर आधारित हजारों वाहनों को अपनी सड़कों पर उतारने के लिए

कमर कस रहा है, जिसे ईंधन सेल के रूप में भी जाना जाता है।

यह कैसे काम करता है?

- ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (एफ.सी.ई.वी.) एक उपकरण है जो हाइड्रोजन जैसे ईंधन के स्रोत का उपयोग करता है और एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बिजली बनाने के लिए एक ऑक्सीडेंट का उपयोग करता है।
- ईंधन सेल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयुक्त करता है जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है, पानी केवल उपोत्पाद होता है।
- ऑटोमोबाइल के बोनट के नीचे पारंपरिक बैटरी की तरह, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल होता है।
- ईंधन सेल बहुत कम मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्पादन करती हैं और कोई भी वायु प्रदूषक नहीं उत्पन्न करती हैं जो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है।
- ऐसे सेल, पारंपरिक दहन प्रौद्योगिकियों की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा-कुशल हैं।
- बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों के विपरीत, ईंधन सेल वाहनों को प्लग-इन करने की आवश्यकता नहीं है।
- हाइड्रोजन बनाने की प्रक्रिया को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो प्रायः जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त होती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

9. जी.ई.एम. ने राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम 'जी.ई.एम.संवाद' शुरू किया है।
- सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल जी.ई.एम. ने ऑन-बोर्ड अधिक स्थानीय विक्रेताओं को लाने के लिए एक राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम, 'जी.ई.एम.संवाद' लॉन्च किया है।
- यह आउटरीच कार्यक्रम, पूरे देश में हितधारकों के साथ और स्थानीय विक्रेताओं के साथ बाजार पर स्थानीय विक्रेताओं के ऑन-बोर्डिंग की सुविधा के लिए होगा।

- यह कार्यक्रम कल से अगले वर्ष 17 फरवरी तक होगा और इसमें देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे।
- जी.ई.एम. के पास 15 लाख से अधिक उत्पाद और लगभग 20,000 सेवाएं हैं, 3 लाख से अधिक पंजीकृत विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं और 40 हजार से अधिक सरकारी खरीदार संगठन हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

19.12.2019

1. सरकार का वर्ष 2022 तक सभी गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करने का लक्ष्य है।

- सरकार ने राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करना है।

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के संदर्भ में जानकारी

- यह पूरे देश में, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए सार्वभौमिक और समान पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा।
- इसका उद्देश्य मोबाइल और इंटरनेट के लिए सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाना भी है।
- मिशन के अंतर्गत, सरकार की योजना वर्ष 2024 तक ऑप्टिकल फाइबर केबल के वृद्धिशील 30 लाख कि.मी. के रूट को बिछाना है, जब कि वर्ष 2024 तक टॉवर घनत्व को बढ़ाकर 0.42 से 1 टॉवर प्रति हजार जनसंख्या करना है।
- यह यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।

दृष्टिकोण

राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन का दृष्टिकोण है:

- डिजिटल संचार अवसंरचना का तेजी से विकास करना

- डिजिटल अंतर को समाप्त करना
- डिजिटल सशक्तिकरण और समावेश की सुविधा प्रदान करना
- सभी के लिए ब्रॉडबैंड तक सस्ती और सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना

ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स:

- इसे भी राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश के भीतर डिजिटल संचार बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को मापने के लिए विकसित किया जाएगा।

भारत नेट परियोजना के संदर्भ में जानकारी

- भारत नेट परियोजना, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एन.ओ.एफ.एन.) का नया ब्रांड नाम है, जिसे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों (जी.पी.) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए अक्टूबर, 2011 में शुरू किया गया था।
- वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर भारतनेट किया गया था।
- इसे भी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यू.एस.ओ.एफ.) के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है।

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के संदर्भ में जानकारी

- इस फंड का निर्माण केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए निधि परियोजनाओं की सहायता हेतु किया गया था।
- इस फंड के लिए पैसा, यूनिवर्सल एक्सेस लेवी के माध्यम से आता है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स से उनके द्वारा भुगतान की जा रही विभिन्न लाइसेंस फीस के प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

2. राष्ट्रपति ट्रम्प पर महाभियोग लगाने के लिए अमेरिकी लोकसभा ने वोट किया है।
- अमेरिकी लोकसभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर महाभियोग लगाने के लिए मतदान किया है।

- उन पर यूक्रेन के साथ अपनी सौदेबाजी से संबंधित शक्ति के दुरुपयोग और सम्मेलन में बाधा डालने का आरोप है।

महाभियोग क्यों?

- संयुक्त राज्य के संस्थापकों ने राष्ट्रपति द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने की आशंका जताई है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संविधान में एक प्रक्रिया को शामिल किया है।
- संविधान के अंतर्गत, राष्ट्रपति को "राजद्रोह, रिश्वत या अन्य उच्च अपराधों और दुष्कर्म के लिए पद से हटाया जा सकता है।"
- "उच्च अपराधों और दुराचार" ने ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार और सार्वजनिक विश्वास के दुरुपयोग को शामिल किया है जो कि आपराधिक कानूनों के सिर्फ अप्रत्याशित उल्लंघन के विपरीत है।

यह कैसे काम करता है?

- महाभियोग सदन में शुरू होता है, निचला सदन, जो बहस करता है और इस बात पर वोट देता है कि महाभियोग प्रस्ताव की मंजूरी के माध्यम से राष्ट्रपति के खिलाफ आरोप लगाए जाएंगे या निकाय के सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा "महाभियोग के लेख" लगाए जाएंगे।
- हाउस कमेटीयों की तिकड़ी वर्तमान में ट्रम्प के खिलाफ केस बनाने के लिए गवाहों का साक्षात्कार कर रही है और दस्तावेजों के लिए उपस्थिति पत्र जारी कर रही है- जिसे उन्होंने "महाभियोग जाँच" कहा है।
- यदि सदन महाभियोग के लेखों को मंजूरी देता है तो एक परीक्षण सीनेट में आयोजित किया जाता है।
- हाउस के सदस्य अभियोजकों के रूप में कार्य करते हैं, सीनेटर ज्यूरी के सदस्यों के रूप में कार्य करते हैं, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्षता करते हैं।

- राष्ट्रपति को दोषी ठहराने और हटाने के लिए सीनेट में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।

नोट:

- एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन अन्य दो पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन पर महाभियोग लगाया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा

स्रोत- ए.आई.आर.

3. बिभा और संतमासा: भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखे गए सितारे हैं।

- हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (आई.ए.यू.) ने भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर दो खगोलीय पिंडों के नाम की घोषणा की है।
- 340 प्रकाश वर्ष दूर स्थित तारामंडल सेक्सटैंस में एक पीले-सफेद बौने तारे का नाम बिभा रखा गया था, जिसका अर्थ "एक प्रकाश किरण" है और बिभा चौधरी को संदर्भित करता है, जो 1949 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में पहली महिला शोधकर्ता-संकाय थी।
- बिभा के एक्सोप्लैनेट को संतमासा नाम दिया गया, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ "बादल" है, जो एक्सोप्लैनेट के वातावरण की प्रकृति को संदर्भित करता है।
- खगोलविदों के अनुसार, बिभा और संतमासा, एच.डी. 86081 प्रणाली की भौतिक और प्रकाश स्थिति का प्रतीकत्व करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के संदर्भ में जानकारी

- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, व्यवसायिक खगोलविदों का एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, जो पी.एच.डी. स्तर और उससे अधिक शिक्षाप्राप्त हैं, वे खगोल विज्ञान में व्यावसायिक अनुसंधान और शिक्षा में सक्रिय हैं।
- इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी।
- इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है।

नोट:

एक्सोप्लैनेट: हमारे सौर मंडल के बाहर के तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह होते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- टी.ओ.आई.

4. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई राज्य-वार अल्पसंख्यक वर्गीकरण नहीं होगा।

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता देने की याचिका को खारिज कर दिया जहां वे जनसंख्या में कम हैं।

पृष्ठभूमि

- 2011 की जनगणना के अनुसार, आठ राज्यों- लक्षद्वीप (2.5%), मिजोरम (2.75%), नागालैंड (8.75%), मेघालय (11.53%), जम्मू और कश्मीर (44%), अरुणाचल प्रदेश (29%), मणिपुर (31.39%) और पंजाब (38.40%) में हिंदू अल्पसंख्यक हैं।
- यह तर्क दिया जाता है कि इन राज्यों में हिंदुओं को "अल्पसंख्यक" का दर्जा नहीं मिलने की स्थिति में अल्पसंख्यक समुदायों को मिलने वाले लाभों को गैरकानूनी और मनमाने तरीके से बहुसंख्यक समुदाय को दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में जानकारी

- यह राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है।

संरचना

- आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, सक्षम और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों में से नामित किया जाता है।
- प्रावधान है कि अध्यक्ष सहित पांचों सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों में से होने चाहिए।

कार्य

- इसका जनादेश अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना है।
- यह संविधान में प्रदान किए गए और संसद एवं राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों में

प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के काम की निगरानी भी करता है।

- यह केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें भी करता है।
- यह अल्पसंख्यकों को अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों की जांच करता है और उपयुक्त प्राधिकरणों के समक्ष ऐसे मामलों को उठाता है।
- छह धार्मिक समुदाय अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी (पारसी) और जैनों को पूरे भारत में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

- अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दोनों अल्पसंख्यकों के लिए एक निर्धारित अधिकार की गारंटी देते हैं।
- अनुच्छेद 29 यह प्रावधान बनाकर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है कि किसी भी नागरिक/ नागरिकों के वर्ग के पास एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है तो उसे समान संरक्षण का अधिकार है।
- अनुच्छेद 29 शासनादेशित करता है कि धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
- अनुच्छेद 30 शासनादेशित करता है कि सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म या भाषा के आधार पर हों, उन्हें अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

महत्वपूर्ण एस.सी. निर्णय:

- बाल पाटिल और ए.एन.आर. बनाम भारत संघ और ऑर्स, 2005 में: एस.सी. ने अवलोकन किया कि भाषाई अल्पसंख्यकों की पहचान भारत के एक विशेष राज्य के भीतर उनकी आबादी के आधार पर की गई है।

- हालांकि, राज्य स्तर पर अल्पसंख्याक आबादी के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जे को मान्यता देना, भारत की अखंडता और धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ होगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नंस

स्रोत- द हिंदू

5. जी.ई.एम. ने राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम- जी.ई.एम.संवाद की शुरुआत की है।

- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय आउटरीच कार्यक्रम, जी.ई.एम.संवाद का शुभारंभ किया है।

जी.ई.एम.संवाद के संदर्भ में जानकारी

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार ई-बाजार (जी.ई.एम.) के बारे में जागरूकता फैलाना है।
- आउटरीच कार्यक्रम पूरे देश में हितधारकों और स्थानीय विक्रेताओं के साथ होगा जिससे कि खरीदारों की विशिष्ट आवश्यकताओं और खरीद आवश्यकताओं को पूरा करते हुए बाजार पर स्थानीय विक्रेताओं के ऑन-बोर्डिंग की सुविधा मिल सके।
- आउटरीच कार्यक्रम 19 दिसंबर, 2019 से 17 फरवरी, 2020 तक आयोजित होगा और देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शामिल करेगा।

सरकारी ई-बाजार के संदर्भ में जानकारी

- यह राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है जो केंद्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों की सभी खरीद आवश्यकताओं के लिए इंड टू इंड समाधान प्रदान करता है।
- 9 अगस्त, 2016 को अपनी शुरुआत के बाद से जी.ई.एम. ने प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और खरीद को संपर्क रहित, कागज रहित और कैशलेस बनाकर देश में सार्वजनिक खरीद को परिवर्तित कर दिया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –कृषि/ व्यापार

स्रोत- द हिंदू

6. **AMRUT मिशन को दो वर्षों के लिए वर्ष 2022 विस्तारित किया गया है।**

- 500 शहरों में शहरी नवीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ केंद्र ने अपनी प्रमुख पहल, अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) की अवधि को दो और वर्षों तक बढ़ाने का फैसला किया है।

अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन के संदर्भ में जानकारी

- इस मिशन को वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने मार्च, 2020 तक 139 लाख पानी के कनेक्शन और 145 लाख सीवर कनेक्शन देने का वादा करते हुए लांच किया था।
- इस योजना ने उस बुनियादी ढांचे को स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है जो शहरी पुनरुद्धार परियोजनाओं को लागू करके शहरी परिवर्तन हेतु पर्याप्त मजबूत सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सके।
- अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन (AMRUT) मिशन के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य राजस्थान था।
- AMRUT, केंद्र द्वारा 80% बजटीय समर्थन के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –ढांचा

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. **आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों की अवधारणा पर विचार किया जा रहा है।**

- हाल ही में, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संकेत दिया है कि लोगों की आकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए राज्य में कुल तीन राजधानियां हो सकती हैं।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन शहर- अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल- सभी पर राजधानियों के रूप में विचार किया जा रहा है और प्रत्येक एक अलग कार्य करेंगी।
- उन्होंने तीन राजधानियां होने के संदर्भ में कहा कि एक विधायी राजधानी और अन्य दो क्रमशः

कार्यकारी राजधानी और न्यायिक राजधानी होंगी।

- विशाखापत्तनम, जिसके पास बुनियादी ढांचा है, इसे कार्यकारी राजधानी माना जा सकता है।
- अमरावती को विधायी राजधानी के रूप में माना जा सकता है।
- संतुलित विकास के लिए कुरनूल को न्यायिक राजधानी माना जा सकता है।

संबंधित जानकारी

दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में जानकारी

- दक्षिण अफ्रीका, दुनिया का एकमात्र देश है जहां तीन अलग-अलग आधिकारिक राजधानियां हैं जो दक्षिण अफ्रीका के 1910 के एकीकरण में वापस आती हैं।
- प्रिटोरिया, प्रशासनिक राजधानी
- केप टाउन, विधायी राजधानी
- ब्लॉम्फोन्टेन, न्यायिक राजधानी

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

20.12.2019

1. **साहित्य अकादमी पुरस्कार - 2019**

- राजनेता-लेखक शशि थूरुर और नाटककार नंद किशोर आचार्य प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी सम्मान 2019 के लिए चुने गए 23 लेखकों में शामिल हैं।
- साहित्य अकादमी ने बुधवार को विजेताओं के नामों की घोषणा की।
- शशि थूरुर को अंग्रेजी में अपनी किताब “एन इरा ऑफ डार्कनेस” के लिए और आचार्य को हिन्दी काव्य श्रेणी में अपनी पुस्तक “छीलते हुए अपने को” के लिए यह सम्मान मिला।

साहित्य अकादमी के बारे में जानकारी -

- यह साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक साहित्य पुरस्कार है। भारतीय साहित्य अकादमी अंग्रेजी सहित चौबिस प्रमुख

भारतीय भाषाओं में लेखकों की असाधारण रचना के लिए यह सम्मान प्रदान करती है।

- इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन् 1954 में की गई थी, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपये का नकद सम्मान दिया जाता है।
- यह भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है।

अन्य साहित्य पुरस्कार

ज्ञानपीठ पुरस्कार

- यह पुरस्कार किसी भी भारतीय नागरिक को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक लेखन के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है।
- इसमें 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
- सन् 1982 के बाद से यह पुरस्कार लेखक के आजीवन योगदान के लिए दिया जाने लगा है, इससे पहले यह पुरस्कार किसी एकल रचना के लिए दिया जाता था।
- इस पुरस्कार की स्थापना सन् 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ की पहली अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीमती रमा जैन ने की थी।
- मलयालम लेखक जी. संकर कुरुप, इसके प्रथम प्राप्तकर्ता थे।

व्यास सम्मान

- व्यास सम्मान के. के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत सन् 1991 में हुई थी।
- इस सम्मान में 2.5 लाख रुपये (सन् 2005 से) का नकद पुरस्कार दिया जाता है।
- यह पुरस्कार पिछले 10 वर्षों में हिंदी भाषा में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है।

सरस्वती सम्मान

- यह पुरस्कार विद्या की भारतीय देवी “सरस्वती” के नाम पर है।
- यह पुरस्कार पिछले दस वर्षों में भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित सर्वोच्च साहित्यिक रचनाकार्य के लिए दिया जाता है, विजेता का चयन भूतपूर्व पुरस्कार विजेता और विद्वानों की एक समिति करती है।
- सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के. के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई थी।

विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1- कला एवं संस्कृति

स्रोत - टाइम्स ऑफ इंडिया

2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - चरण III

- केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तीसरे चरण का शुरुआत कर दी है।
- इस योजना के तीसरे चरण का लक्ष्य सड़कों और प्रमुख ग्रामीण मार्गों के जरिए 1,25,000 किमी का एकीकरण करना है जो लोगों को ग्रामीण कृषि बाजार (GrAM) से जोड़ते हैं।

धन

- इस योजना में केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के बीच हिस्सेदारी 60:40 होगी, वहीं उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों में यह हिस्सेदारी 90:10 की होगी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का परिचय

- इस योजना की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 25 दिसम्बर 2000 को की गई थी।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र गैर-जुड़े अधिवासों को सभी मौसम अनुकूल सड़क मार्ग से जोड़ना है।
- इसका उद्देश्य ग्रामीण संपर्क को सुनिश्चित करना है।
- यह कार्यक्रम समतल क्षेत्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार) 500 या उससे अधिक

व्यक्तियों की जनसंख्या के साथ सभी पात्र गैर-जुड़े अधिवासों को शामिल किया गया है।

- विशेष श्रेणी राज्यों क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड, आदिवासी (अनुसूचि V) क्षेत्रों में 250 या अधिक जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) वाले क्षेत्र शामिल हैं।

वामपंथी विचारधारा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना

- इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से अतिप्रभावित 44 क्षेत्रों में आवश्यक पुलिया और नाला-पुल संरचनाओं के साथ संपर्क प्रदान करने के लिए लागू किया गया है।
- वामपंथी अतिवाद सड़क परियोजना की निधि साझा पैटर्न PMGSY के समान ही होगा।
- इस योजना के तहत शामिल की जाने वाली सड़कों में अन्य जिला सड़कें (ODR), ग्रामीण सड़कें, और मौजूदा प्रमुख जिला सड़कें (MDR) का उन्नतिकरण शामिल होगा जो सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 - महत्वपूर्ण योजनाएँ

स्रोत - PIB

3. हूबारा बस्टर्ड

- पाकिस्तान सरकार ने कतर के अमीर और राजशाही परिवार के नौ अन्य सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से संरक्षित पक्षी प्रजाति हूबारा बस्टर्ड का शिकार करने के लिए विशेष अनुमति जारी की है।

इस पक्षी का परिचय

- ये विशालकाय स्थलीय पक्षी हैं जिसका संबंध कई प्रजातियों से हैं, जिसमें उड़ने वाली सबसे बड़े पक्षी भी शामिल हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पहचान के अनुसार शुष्क जलवायु में रहने वाले हूबारा बस्टर्ड

की दो भिन्न प्रजातियाँ हैं, पहली प्रजाति (क्लैमिडोटिस उन्डुलता) जो उत्तरी अफ्रीका में रहती है और दूसरी प्रजाति (क्लैमिडोटिस मैक्वीनी) एशिया में निवास करती है।

- IUCN की रेड सूची में अफ्रीकी हूबारा को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।
- एशियाई हूबारा को IUCN की रेड सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।
- एशियाई हूबारा बस्टर्ड की प्रजाति उत्तरपूर्व एशिया से मध्य एशिया, मध्य पूर्व और अरब प्रायद्वीप से सिनाई मरुस्थल तक पायी जाती है।

ग्रेड इंडियन बस्टर्ड के बारे में जानकारी

- यह राजस्थान का राज्य पक्षी है।
- इसका मूल स्थान भारतीय उपमहाद्वीप में है और इसे भारत में राजस्थान (डिज़र्ट नेशनल पार्क), गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और पाकिस्तान के कुछ भागों में देखा जाता है।
- इसे IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।

अन्य बस्टर्ड

- लेसर फ्लोरिकन को संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।
- बंगाल फ्लोरिकन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन को भी भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में शामिल किया गया है।

विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 - पर्यावरण एवं जैवविविधता

स्रोत द हिंदू

4. डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम

- भारत में लगभग 90 प्रतिशत गाँवों ने मूल प्राथमिक रिकॉर्ड अर्थात् अधिकार के दस्तावेज

जो भूमि अधिकार और संपत्ति लेनदेन दस्तावेजों को दिखाते हैं, को कंप्यूटरीकृत कर लिया है।

- केंद्र डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के माध्यम से राज्यों को भूमि रिकॉर्ड के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में जानकारी

पृष्ठभूमि

- भूमि सुधार (LR) डिवीजन दो केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा था: भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (CLR) और राजस्व प्रशासन का सुदृढीकरण और भूमि अभिलेखों का अद्यतन (SRA & ULR)।
- बाद में 2008 में, मंत्रिमंडल ने इन योजनाओं को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) नामक एक संशोधित योजना में विलय करने को मंजूरी दी।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण करना है और एक केंद्रीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है।

घटक

इसके 3 प्रमुख घटक हैं

- भूमि रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण
- सर्वेक्षण / पुनः सर्वेक्षण
- पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण।

कार्यक्रम कार्यान्वयन

- राज्य सरकार/संघशासित प्रदेश प्रशासन भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ कार्यक्रम को लागू करेंगे।
- जिले को कार्यान्वयन की इकाई के रूप में लिया जाएगा, जहां कार्यक्रम के तहत सभी गतिविधियां मिलाया जाएगा।

लाभ

- DILRMP के तहत एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली जमीन के किसी भी भूखंड की उचित व्यापक स्थिति देने के लिए सभी उपलब्ध और प्रासंगिक जानकारी के लिए ऑनलाइन, एकल-खिड़की, एक नज़र सुविधा प्रदान करती है।
- यह कदम भूमि विवादों को कम करने में मदद करता है और धोखाधड़ी और बेनामी लेनदेन की जांच करता है। भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए भूस्वामियों से किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं है।
- नोट:
- कर्नाटक भूमि प्रोजेक्ट के तहत भूमि रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने वाला पहला राज्य था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य थे।

विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - प्रशासन

स्रोत - PIB

5. दक्षिण सूडान में भारतीय शांति सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सम्मान प्राप्त हुआ
- दक्षिण सूडान में सेवा करने वाले लगभग 850 भारतीय शांति सैनिकों को संघर्षरत राष्ट्र में शांति बनाने और स्थानीय समुदायों का समर्थन करने के लिए उनकी सेवा और योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा के बारे में जानकारी -

- यह 1948 में बनाया गया था जो देशों को सुरक्षा प्रदान करता है और उनकी संघर्ष से शांति के कठिन, प्रारंभिक संक्रमण में मदद करने के लिए राजनीतिक और शांति स्थापना में सहायता करता है।
- इसके पहले मिशन में संयुक्त राष्ट्र दूध पर्यवेक्षण संगठन (UNTSO) की स्थापना शामिल थी, जो 1948 के अरब-इजरायल युद्ध के दौरान युद्धविराम का पालन करने और उसे बनाए रखने के लिए कार्य करता था।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के तीन बुनियादी सिद्धांत हैं:

1. दलों की सहमति,

2. b. निष्पक्षता और
3. आत्म-रक्षा और जनादेश की रक्षा के अलावा बल उपयोग नहीं।
- यूएन पीसकीपर्स का नेतृत्व डिपार्टमेंट ऑफ पीसकीपिंग ऑपरेशंस (डीकेपीओ) द्वारा किया जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक दुनिया भर के क्षेत्रों से विविध पृष्ठभूमि से हैं।
- इनमें पुलिस, सैन्य और नागरिक कर्मी शामिल हैं।
- उन्हें अक्सर हल्के नीले रंग के हेलमेट या हेलमेट के कारण ब्लू बेरेट या ब्लू हेलमेट के रूप में जाना जाता है।
- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना ने 1988 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीता था।
- संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सामूहिक कार्रवाई करने की शक्ति और जिम्मेदारी देता है।

भारत और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना

- भारतीय सेना स्थिरता बनाए रखने और दुनिया के अशांत क्षेत्रों में शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशनों में सबसे बड़ा संचयी सैन्य टुकड़ी योगदानकर्ता है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़ा सैन्य-योगदान करने वाले देशों में से एक है।
- वर्तमान में, भारत से 6,700 से अधिक सैनिक और पुलिस हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में तैनात किया गया है, जो सैन्य योगदान करने वाले देशों में चौथा सबसे बड़ा है।
- 2007 में, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए एक संपूर्ण महिला टुकड़ी को तैनात करने वाला भारत पहला देश बन गया।

विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - अंतर्राष्ट्रीय संगठन

स्रोत - इंडियन एक्सप्रेस

6. गांधी सिटिजनशिप एजुकेशन पुरस्कार
 - पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने गांधी सिटिजनशिप एजुकेशन पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की।

पुरस्कार के बारे में जानकारी

- गांधी के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए पुर्तगाल इस पुरस्कार की शुरुआत करेगा। हर साल, यह पुरस्कार गांधी के विचारों और उद्धरणों से प्रेरित होगा।
- प्रथम वर्ष का पुरस्कार पशु कल्याण के लिए समर्पित होगा क्योंकि महात्मा गांधी ने हमेशा से कहा था कि किसी भी देश की महानता का मूल्यांकन जानवरों के इलाज के तरीके से किया जा सकता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 1 - कला और संस्कृति

स्रोत - द हिंदू

7. पिनाक मिसाइल प्रणाली

- DRDO ने हाल ही में भारत की स्वदेशी रूप से विकसित पिनाक निर्देशित रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का ओडिशा तट पर एक बेस से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
- इससे पहले मार्च में, राजस्थान में पोखरण परीक्षण रेंज से पिनाक निर्देशित रॉकेट प्रणाली के तीन सफल परीक्षण किए गए थे।
- शस्त्र प्रणाली में, जो टाट्रा ट्रक पर लगाई गई है, में अत्याधुनिक मार्गदर्शन किट है और एक उन्नत नेविगेशन और नियंत्रण प्रणाली है।
- मिसाइल का नेविगेशन सिस्टम भी भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (IRNSS) द्वारा समर्थित है।
- यह एक स्वदेशी रूप से विकसित प्रणाली है जो सटीकता के साथ लक्ष्यों को बेधने के लिए तोपखाने की क्षमता को काफी बढ़ा रही है।

विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 - रक्षा

स्रोत - इंडियन एक्सप्रेस

23.12.2019

1. नीति आयोग जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए रणनीति का मसौदा तैयार करेगा

- नीति आयोग नई दिल्ली में पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है।
- इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का शीर्षक "जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्य को साकार करना: किसी को पीछे न छोड़ना" है।

यह संगोष्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 के भाषण में व्यक्त, भारत के जनसंख्या स्थिरीकरण लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए नीति आयोग की कार्य पेपर में योगदान देगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति - 2000

- 2010 तक कई सामाजिक-जनसांख्यिकीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया था। ये थे:
- शिशु मृत्यु दर (IMR) को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर घटाकर 30 कर देना।
- मातृ मृत्यु दर (MMR) को घटाकर 100 प्रति 1, 00,000 जीवित जन्मों तक ले जाना।
- संस्थागत प्रसवों को 80% तक प्राप्त करना।

जनसंख्या स्थिरता कोष के तहत कदम/उपाय

प्रेरणा रणनीति: -

- जनसंख्या स्थिरता कोष ने इस रणनीति की शुरुआत लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने में मदद करने और पहले बच्चे में देरी और दूसरे बच्चे के जन्म लेने के लिए युवा माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य के हित में बच्चों को पैदा करने के लिए की है।
- इस रणनीति को अपनाने वाले दंपति को उचित रूप से सम्मानित किया जाता है जो समुदाय की मानसिकता को बदलने में मदद करता है।

संतोषी रणनीति: -

- इस रणनीति के तहत, जनसंख्या स्थिरता कोष सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल में नसबंदी

ऑपरेशन करने के लिए निजी क्षेत्र के स्त्री रोग विशेषज्ञों और पुरुष नसबंदी सर्जनों को आमंत्रित करता है।

- निजी अस्पताल / नर्सिंग होम जिन्होंने 10 या उससे अधिक का लक्ष्य प्राप्त किया है, उन्हें रणनीति के अनुसार उपयुक्त रूप से सम्मानित किया गया है।

राष्ट्रीय हेल्पलाइन: -

- जेएसके प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य आदि पर मुफ्त सलाह प्रदान करने के लिए कॉल सेंटर भी चला रहा है।

भारत की जनसंख्या फाउंडेशन के बारे में

- यह एक राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1970 में की गई, जो लैंगिक रूप से संवेदनशील आबादी, स्वास्थ्य और विकास की रणनीतियों और नीतियों के प्रभावी निर्माण और कार्यान्वयन के लिए बढ़ावा देता है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - प्रशासन

स्रोत - PIB

2. ECho नेटवर्क

- भारत सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में EChO नेटवर्क लॉन्च किया।
- यह पहल सरकार, उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों तथा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और प्रो. शैन्नन ओल्सन के मार्गदर्शन में शुरू हुई है।

ECho नेटवर्क के बारे में

- यह भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान, ज्ञान और जागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान के साथ भारत में अंतःविषय नेतृत्व के लिए एक टेम्पलेट प्रदान करने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
- यह भारतीयों की एक नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित करेगा जो अंतःविषय अवधारणाओं को स्थापित कर सकता है और चिकित्सा, कृषि, पारिस्थितिकी

और प्रौद्योगिकी में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से निपट सकता है।

- यह कार्यक्रम अनुसंधान में पोस्टडॉक्टोरल लीडर को प्रशिक्षित करने के साथ और इन विषयों पर पहुंच बनाने के साथ राष्ट्रीय नेटवर्क में मौजूदा सार्वजनिक और निजी प्रयासों को भी शामिल करेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - प्रशासन

स्रोत- PIB

3. उत्तराखंड में गैंडा दुबारा लाया जाएगा

- उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (CTR) में गैंडों लाने के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में क्यों?

- कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में गैंडों के लिए अनुकूल भौगोलिक एवं पर्यावरण स्थितियाँ हैं।
- कॉर्बेट में चुने गए आदर्श स्थल निचले हिमालय (उत्तर), शिवालिक हिल्स (दक्षिण) या रामगंगा अभ्यारण्य (पूर्व) द्वारा दोनों ओर बंधी घाटी के निवास स्थान हैं, जो इस क्षेत्र के बाहर गैंडों की आवाजाही के लिए प्राकृतिक बाधाओं के रूप में भी काम करेंगे, जिससे लोगों के साथ संघर्ष कम होगा।

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में

- यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और 1936 में लुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था।
- यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले और पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है और इसका नाम एक प्रसिद्ध शिकारी और प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है।
- यह पार्क प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत आने वाला पहला पार्क था जिसे अप्रैल 1973 में लॉन्च किया गया था।

- इसमें आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय और उच्चभूमि जलवायु है।

विषय - सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 - विज्ञान

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. ओडिशा ने साफ पानी की आपूर्ति के लिए 'जलसाथी' कार्यक्रम शुरू किया
- ओडिशा के मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी घरों में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 'जलसाथी' कार्यक्रम की शुरुआत की है।

जलसाथी कार्यक्रम के बारे में जानकारी

- इसका उद्देश्य पाइपड वाटर कनेक्शन के माध्यम से उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
- ओडिशा सरकार ने लोगों की सेवा करने के लिए महिला स्वयंसेवकों को 'जलसथियों' के रूप में चुना है।
- इससे राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- जलसाथी पानी की गुणवत्ता के परीक्षण, नए पानी के कनेक्शन की सुविधा और कनेक्शन को नियमित करने, मांगों के पुनर्मूल्यांकन, मीटर की रीडिंग, बिल निर्माण और वितरण, जल शुल्क के संग्रह और शिकायतों के निवारण की सुविधा के लिए जिम्मेदार होगी।

संबंधित जानकारी

- हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने 2024 तक सभी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।
- इसमें 2024 तक मौजूदा 18% से 100% घरों तक पाइपड पानी की कवरेज में वृद्धि शामिल है।

जल शक्ति मंत्रालय के बारे में

- इसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय का पुनर्गठन करके बनाया गया है।
- जल मंत्रालय में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को भी जोड़ा गया है।

- यह मंत्रालय पानी से संबंधित कई समस्याओं को दूर करेगा जैसे किसानों को स्वच्छ पानी और उच्च श्रेणी की सिंचाई पानी की सुविधा सुनिश्चित करना आदि।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - प्रशासन

स्रोत - AIR

5. डब्ल्यूएचओ ने पहले बायोसिमिलर दवा को पूर्वअनुमति दी: ट्रेस्टुजुमैब
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अपनी पहली बायोसिमिलर दवा - ट्रेस्टुजुमैब को प्रीक्वालिफाई किया है।
- यह दवा स्तन कैंसर के रोगी के लिए सहायक है।

ट्रेस्टुजुमैब के बारे में

- यह एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है - जिसे 2015 में डब्ल्यूएचओ आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया गया था जो लगभग 20% स्तन कैंसर के लिए एक अनिवार्य उपचार है।
- इसने शुरुआती चरण के स्तन कैंसर को ठीक करने और कुछ मामलों में बीमारी के अधिक उन्नत रूपों में उच्च प्रभावकारिता दिखाई है।
- ट्रेस्टुजुमैब का बायोसिमिलर संस्करण आमतौर पर मूल दवा की तुलना में 65% सस्ता है।

बायोसिमिलर के बारे में

- यह एक जैविक दवा है जो पहले से ही स्वीकार्य जैविक दवा ('रिफ्रेंस दवा') के समान है।
- बायोसिमिलर को फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के समान मानकों के अनुसार अनुमोदित किया जाता है जो सभी जैविक दवाओं पर लागू होते हैं।
- यूरोपीय चिकित्सा एजेंसी (ईएमए) यूरोपीय संघ (ईयू) में बायोसिमिलर बेचने के लिए उनके अधिकांश अनुप्रयोगों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार है।

जैवउपचार (बायोथेरेप्यूटिक)

- बायोथेरेप्यूटिक्स जैविक और जीवित स्रोतों से प्राप्त दवा उत्पाद हैं।

- इनमें चिकित्सीय टीके, रक्त, रक्त घटक, कोशिकाएं, जीन चिकित्सा, ऊतक और अन्य सामग्री शामिल हैं।
- कई जैविक दवाएं 'विशेष औषधियां' हैं, जो अधिक महंगी और रोगों के उपचार में प्रभावी हैं जिनके लिए कोई अन्य उपचार उपलब्ध नहीं है।
- कुछ बायोथेरेप्यूटिक्स कैंसर के कुछ रूपों, पुरानी बीमारियों जैसे मधुमेह, क्रोहन रोग (एक प्रकार का सूजन आंत्र रोग) के लिए प्रभावी उपचार हैं।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - स्वास्थ्य

स्रोत- डाउन टू अर्थ

6. भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न उत्पादन के लिए "ऑपरेशन ट्विस्ट" के भारतीय संस्करण को लागू किया
- भारतीय रिजर्व बैंक ने खुले बाजार की क्रियाओं (OMO) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री के माध्यम से "ऑपरेशन ट्विस्ट" के भारतीय संस्करण को लागू करने का निर्णय लिया है।

ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में

- यह एक अमेरिकी फेडरल रिजर्व मौद्रिक नीति संचालन को दिया गया नाम है, जिसमें दीर्घकालिक ब्याज दरों को घटाकर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल है।
- ऑपरेशन ट्विस्ट तब होता है जब केंद्रीय बैंक लंबी अवधि के सरकारी ऋण पत्रों को खरीदने के लिए अल्पकालिक प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग करता है, जिससे लंबी अवधि के ऋण पत्रों पर ब्याज दरों में कमी आए।
- ऑपरेशन ट्विस्ट पहली बार 1961 में अमेरिकी डॉलर को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में नकदी प्रवाह को प्रोत्साहित करने के रूप में सामने आया था।

खुले बाजार की क्रियाओं के बारे में -

- भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रिया नामक एक मौद्रिक उपकरण से सरकारी प्रतिभूतियों (G-

Sec) की खरीद और बिक्री के माध्यम से तरलता, रुपये की मजबूती और मौद्रिक प्रबंधन का प्रबंधन और नियंत्रण करता है।

- खुले बाजार की क्रिया बाजार में रुपये की तरलता की स्थिति को एक स्थायी आधार पर समायोजित करने के उद्देश्य से सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के माध्यम से आरबीआई की बाजार क्रियाएं हैं।
- जब आरबीआई को लगता है कि बाजार में अतिरिक्त तरलता है, तो वह प्रतिभूतियों को बेचकर रुपये की तरलता को घटा देती है।
- इसी तरह, जब तरलता की स्थिति कम होती है, तो आरबीआई बाजार से प्रतिभूतियां खरीद कर रुपये की तरलता को बढ़ा देती है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 - अर्थशास्त्र

स्रोत - इंडियन एक्सप्रेस

7. अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सैन्य 'अंतरिक्ष सेना' को लांच किया
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आधिकारिक रूप से वाशिंगटन के पास एक सैन्य अड्डे पर अमेरिकी सेना 'अंतरिक्ष सेना' का शुभारंभ किया।
- 70 से अधिक वर्षों में पहली बार लांच हुई अंतरिक्ष सेना अमेरिकी वायु सेना के अंतर्गत आती है।

सैन्य अंतरिक्ष सेना के बारे में

- अंतरिक्ष सेना का मुख्य लक्ष्य अंतरिक्ष क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व को सुरक्षित रखना और उसका विस्तार करना है।
- सैन्य अंतरिक्ष बल की विशेषताएं हैं:

o अंतरिक्ष में सैनिकों को तैनात करने के बजाय, अंतरिक्ष सेना राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा और उन उपग्रहों और वाहनों को संरक्षित करेगा जो अंतराष्ट्रीय संचार एवं पर्यवेक्षण के लिए समर्पित हैं।

o अंतरिक्ष एक नया युद्ध क्षेत्र हो सकता है और अमेरिका का लक्ष्य सैन्य अंतरिक्ष सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार रहना है।

o अंतरिक्ष सेना अंतरिक्ष में खतरों को रोकने और हराने के लिए जिम्मेदार होगी और सैन्य अंतरिक्ष बलों को व्यवस्थित, प्रशिक्षित और सुसज्जित करेगी।

o अंतरिक्ष सेना अंतरिक्ष में अबाध पहुँच और कार्य करने की आजादी सुनिश्चित करेगा तथा संयुक्त एवं गठबंधन सेनाओं को महत्वपूर्ण क्षमताएँ प्रदान करेगा।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3 -रक्षा (अंतराष्ट्रीय समाचार)

स्रोत - बिजनेस स्टैंडर्ड

8. सिल्वर लाइन परियोजना

- रेल मंत्रालय ने 'सिल्वर लाइन' परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
- यह केरल सरकार का एक प्रस्ताव है जिसमें उत्तर में कासरगोड से दक्षिण में कोचुवेली (तिरुअनंतपुरम) तक मध्यम-उच्च गति वाली रेलगाड़ियों के लिए तीसरी और चौथी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी।
- परियोजना का उद्देश्य दोनों कोनों के बीच यात्रा के समय को 12 घंटे से घटाकर चार घंटे से कम करना है।
- सिल्वर लाइन परियोजना की कल्पना कम से कम एक दशक पहले की गई थी, इसका उद्देश्य प्रमुख जिलों और कस्बों को मध्यम-उच्च गति वाली गाड़ियों से जोड़ना है जो कि अपने स्वयं के ट्रैक पर चलेगी।

परियोजना को कौन कार्यान्वित करेगा?

- रेल मंत्रालय और केरल सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम केरल रेल विकास निगम (K-Rail) परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए एक नोडल एजेंसी होगी।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - प्रशासन

स्रोत - द हिंदू

9. भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला अफगानिस्तान पहला देश बना

- अफगानिस्तान के इस्लामी गणराज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों के विनियमन विभाग ने

भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) को औपचारिक रूप से मान्यता दी है।

- इसका उपयोग दवाओं और स्वास्थ्य उत्पादों की गुणवत्ता की प्रयोगशाला में प्रतिष्ठित फार्माकोपिया की आवश्यकता के आधार पर भी किया जाएगा।

भारतीय फार्माकोपिया के बारे में

- आईपी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और नियम 1945 के अनुसार मानकों की आधिकारिक मान्यता प्राप्त पुस्तक है।
- आईपी भारत में निर्मित और बेची जाने वाली दवाओं के लिए उनकी पहचान, शुद्धता और शक्ति के संदर्भ में मानक निर्धारित करता है।
- स्वास्थ्य देखभाल के दृष्टिकोण से दवाओं की गुणवत्ता, प्रभावकारिता और सुरक्षा महत्वपूर्ण है।
- औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) द्वारा भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) के रूप में कानूनी और वैज्ञानिक मानक प्रदान किए जाते हैं।
- ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की दूसरी अनुसूची के अनुसार, आईपी को भारत में बिक्री या वितरण के लिए आयातित अथवा निर्मित दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में नामित किया गया है।

विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2 - प्रशासन

स्रोत - AIR

24.12.2019

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वर्ष-समाप्ति समीक्षा 2019

भारतीय पोषण कृषि कोष

- केंद्रीय महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यू.सी.डी.) मंत्री और कपड़ा मंत्री के साथ बिल एवं मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष, बिल गेट्स ने 18 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में भारतीय

पोषण कृषि कोष (बी.पी.के.के.) का शुभारंभ किया है।

- बी.पी.के.के., बेहतर पोषण परिणामों के लिए भारत में 128 कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विविध फसलों का भंडार होगा।

सितंबर, 2019 को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है

- पोषण माह, इस वर्ष (2019) सितंबर में मनाया गया था।
- पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए पोषण अभियान के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं है, यह विभिन्न लाइन मंत्रालयों की केवल पोषण संबंधी विभिन्न योजनाओं/ हस्तक्षेपों के सम्मिलन को सुनिश्चित करता है।
- पूरक पोषण प्रदान करना, आंगनवाड़ी सेवा योजना का एक हिस्सा है।

पोषण अभियान के लिए सॉफ्टवेयर और डैशबोर्ड

- पोषण अभियान, आंगनवाड़ी कर्मचारियों और महिला सुपरवाइजर्स को स्मार्टफोन प्रदान करके जैसे सीमांत पदाधिकारियों को सशक्त करता है।
- आई.सी.डी.एस.- कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को पोषण अभियान के अंतर्गत विकसित किया गया है, जो इसे डेटा कैप्चर करने में सक्षम बनाता है, यह जहां भी आवश्यक हो वहां हस्तक्षेपों के लिए असाइन किए गए सेवा वितरण और संकेतों को सुनिश्चित करता है।
- इस डेटा/ जानकारी को वेब-आधारित आई.सी.डी.एस.-सी.ए.एस. डैशबोर्ड पर वास्तविक समय के आधार पर निगरानी के लिए ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए कार्रवाई और निर्णय लेने हेतु उपलब्ध कराया जाता है। ।

पोषण गान

- भारत के उपराष्ट्रपति ने 3 दिसंबर, 2019 को पोषण गान का शुभारंभ किया है।
- पोषण गान का उद्देश्य लोगों को कुपोषण के संकट से लड़ने के लिए आंदोलन में शामिल होने हेतु प्रेरित करना है।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो)

- पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 28 में तेज परीक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है।
- इसके अतिरिक्त, पॉक्सो अधिनियम की धारा 35 में यह प्रावधान है कि बच्चे के सबूत को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने के तीस दिनों की अवधि के भीतर दर्ज किया जाना चाहिए और यदि कोई हो तो, देरी के कारणों को स्पष्ट करते हुए विशेष अदालत के द्वारा रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, धारा 35 यह भी स्थापित करती है कि जहां तक संभव हो विशेष अदालत अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर मुकदमे को पूरा करेगी।

भारत सरकार ने त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018, सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत समयबद्ध तरीके से बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित परीक्षण और निपटान के लिए देश भर में 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफ.सी.एस.) की स्थापना के लिए अगस्त, 2019 में एक योजना को अंतिम रूप दिया है।
- यौन अपराधों के खिलाफ प्रभावी रोक के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 लागू किया गया था। इसके अतिरिक्त, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्कार हेतु मृत्युदंड सहित और भी कड़े दंडात्मक प्रावधानों को निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
- इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ 2 महीने के भीतर जांच और परीक्षण पूरा करने का भी आदेश दिया गया है।

- कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा देश भर में यौन अपराधियों की जांच और निगरानी की सुविधा के लिए 20 सितंबर, 2018 को एक "राष्ट्रीय यौन अपराधी डेटाबेस" को लॉन्च किया गया है।

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम

- यह एक ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) है, जिसे 20 सितंबर, 2018 को जनता को बाल पोर्नोग्राफी/ बाल यौन शोषण सामग्री, बलात्कार/ सामूहिक बलात्कार इमेजरी या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सकने हेतु लांच किया गया था।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

- यह एक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) योजना है, जिसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकद लाभ प्रदान किया जाता है जिससे कि बढ़ी हुई पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके।
- इस 'योजना' के अंतर्गत, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पी.डब्ल्यू. और एल.एम.) को संबंधित शर्तों को पूरा करने पर तीन किस्तों में 5,000 रूपए का नकद लाभ मिलता है:
- गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण
- बच्चे के जन्म के समय पूर्व जांच और पंजीकरण
- परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए टीकाकरण के पहले चक्र को पूरा करना
- पात्र लाभार्थियों को जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है।
- इस प्रकार, औसतन एक महिला को 6,000 रूपए का लाभ मिलता है।

वन-स्टॉप सेंटर (ओ.एस.सी.) योजना

- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) को 31 मार्च, 2017 को बंद कर दिया गया है।
- वन स्टॉप सेंटर (ओ.एस.सी.) योजना एक छत के नीचे एकीकृत तरीके से हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस सुविधा, चिकित्सा सहायता, मनो-सामाजिक परामर्श, कानूनी परामर्श और अस्थायी आश्रय सहित कई सेवाएँ प्रदान करती है।

महिलाओं और लड़कियों के लिए लघु आवास योजना

- इसे 1969 में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक सामाजिक रक्षा तंत्र के रूप में पेश किया गया था।
- यह योजना परिवार की कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक अस्थिरता या वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किए जाने के कारण बेघर हुई महिलाओं और लड़कियों को अस्थायी आवास, रखरखाव और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए है।

स्वाधार योजना

- महिलाओं और लड़कियों के लिए लघु आवास घर के जैसा इसका समान उद्देश्य है, जिसे महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 2001-02 में कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए शुरू किया गया था।
- आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श, प्रशिक्षण, नैदानिक और कानूनी सहायता के प्रावधानों के माध्यम से योजना का उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को पुनर्वास कराना है।

निर्भया फंड

- भारत सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ाने के उद्देश्य से पहलों के कार्यान्वयन हेतु निर्भया फंड नामक एक समर्पित कोष की स्थापना की है।

यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (SHe-बॉक्स)

- भारत सरकार ने सरकारी और निजी कर्मचारियों सहित महिलाओं द्वारा कार्यस्थल पर यौन

उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (SHe-बॉक्स) नामक एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली विकसित की है।

- एक बार SHe-बॉक्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद यह सीधे संबंधित प्राधिकरण तक पहुँच जाता है, जिसके पास अधिकार क्षेत्र है कि वह मामले में कार्रवाई करे।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण की सुविधा के उद्देश्य से SHe-बॉक्स पोर्टल विकसित किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –महिला सशक्तिकरण

स्रोत- पी.आई.बी.

2. पंडालाम में बार-हेडेड हंस देखा गया है।

- हाल ही में, केरल के पंडालाम के पास करिंगली पुंचा की आद्रभूमि में बार-हेडेड हंस (एंसर इंडिकस) देखा गया है।

करिंगली पुंचा के संदर्भ में जानकारी

- यह केरल में स्थित एक आद्रभूमि है।
- यह केरल जिले में एक प्रमुख बर्डिंग स्थल है, जिसने 2015 की एशियाई जलपक्षी जनगणना में सबसे अधिक पक्षी गणना दर्ज की है।

बार-हेडेड हंस के संदर्भ में जानकारी

- ये प्रवासी पक्षी हैं, जो मध्य चीन और मंगोलिया में पाए जाते हैं।
- वे भारत आते हैं और हिमालय पर्वत श्रृंखला को पार करके अपने घरों को लौट जाते हैं।
- आई.यू.सी.एन. रेड लिस्ट में इसे "न्यूनतम चिंताजनक" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

3. दक्षिण में मानसिक विकारों का अधिक प्रचलन है: अध्ययन

- डिसेज बर्डन के पहले व्यापक अनुमान के अनुसार 1990 से मानसिक स्वास्थ्य हेतु जिम्मेदार कारणों पर भारत राज्य-स्तरीय डिसेज

बर्डन पहल द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई है और इसे द लैंसेट साइकेट्री में प्रकाशित किया गया है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (डी.ए.एल.वाई.) के लिए मानसिक विकारों का योगदान- खोए हुए जीवन के कुल वर्षों का योग और विकलांगता के साथ जिए हुए वर्ष- 1990 और 2017 के बीच दोगुने हो गए हैं, जो 2.5% से बढ़कर 4.7% तक हो गए हैं।
- तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, मानसिक विकारों के एक उच्च प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं, जो मुख्य रूप से अवसाद और चिंता में वयस्कता के दौरान प्रकट होते हैं।

राज्यों में परिदृश्य: सामाजिक-जनसांख्यिकी सूचकांक (एस.डी.आई.)

- अपने राज्य-वार विश्लेषण में, अध्ययन ने विभिन्न राज्यों को उनके सामाजिक-जनसांख्यिकीय सूचकांक (एस.डी.आई.) के आधार पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया है,
- निम्न एस.डी.आई.
- मध्यम एस.डी.आई.
- उच्च एस.डी.आई.
- एस.डी.आई. प्रति व्यक्ति आय, औसत शिक्षा और 25 वर्ष से कम आयु की महिलाओं में प्रजनन दर की एक समग्र माप है और इसकी गणना एक के पैमाने पर की जाती है।

विकलांगता-समायोजित जीवन वर्ष (डी.ए.एल.वाई.) के संदर्भ में जानकारी

- यह समग्र स्वास्थ्य बोझ को मापने का एक उपकरण है, जिसे बीमार स्वास्थ्य, विकलांगता या प्रारंभिक मृत्यु के कारण खोए जाने वाले वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है।
- यह 1990 के दशक में विभिन्न देशों के समग्र स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा की तुलना करने के एक तरीके के रूप में विकसित किया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –महत्वपूर्ण रिपोर्ट (स्वास्थ्य मुद्दा)

स्रोत- पी.आई.बी.

4. नागपुर प्रस्ताव को अपनाया गया है।

- हाल ही में, महाराष्ट्र के नागपुर में सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार- सरकार की भूमिका पर आयोजित सत्र के दौरान नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है।
- यह सम्मेलन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं सार्वजनिक शिकायत विभाग (डी.ए.आर.पी.जी.) के सहयोग के साथ महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार राज्य आयोग द्वारा आयोजित किया गया था, जो निम्न में सहयोग हेतु भागीदारी करेगा:
- नागरिकों के विशेषाधिकार के समयबद्ध अपडेशन, अधिनियमितियों के कार्यान्वयन और निरंतर सुधार के लिए मानदंड मानकों के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण के लिए नीतिगत हस्तक्षेप से नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु
- सुधारात्मक मानचित्रण, निगरानी आव्यूह के सूत्रीकरण, डाटा संग्रह और शिकायत निवारण की गुणवत्ता में मूल्यांकन के माध्यम से प्रणालीगत लोक शिकायत सुधारों का समग्र दृष्टिकोण अपनाने हेतु
- शिकायत निवारण की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाने और इसकी समय-सीमा में कमी करके नागरिकों को सशक्त बनाने हेतु
- भारत सरकार के राज्यों और मंत्रालयों/ विभागों को वेब पोर्टल बनाने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने हेतु
- गतिशील नीति-निर्माण और रणनीतिक निर्णयों, कार्यान्वयन की निगरानी, प्रमुख कर्मियों की नियुक्ति, समन्वय और मूल्यांकन पर ध्यान देने हेतु

- एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत युग्मित राज्यों के बीच बेहतर सेवा वितरण के क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता के विनिमय द्वारा सामान्य पहचान की भावना प्राप्त करने हेतु
- 10 क्षेत्रों में, विशेष रूप से संघ, राज्य और जिला स्तर पर कल्याण और बुनियादी ढांचे से संबंधित क्षेत्रों में शासन की गुणवत्ता की पहचान करने के लिए सुशासन सूचकांक का समय पर प्रकाशन सुनिश्चित करने हेतु

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

5. अरुणाचल स्कूलों को 'कठोर' और 'नरम' के रूप में चिह्नित कर रहा है।
- अरुणाचल प्रदेश में जल्द ही स्कूल कठोर, नरम और मध्यम के रूप में चिह्नित किए जाएंगे।
- इस वर्गीकरण का कारण:-
 - भूगोल या स्थलाकृति
 - आधारभूत संरचना की कमी
 - अपने आराम क्षेत्र से परे काम करने की शिक्षकों की अनिच्छा

कठोर स्कूल:

- इसमें कठिन पहुँच और स्थलाकृति वाले क्षेत्र शामिल हैं।
- सभी नए शिक्षकों को अनिवार्य रूप से तीन वर्ष के लिए एक कठिन नियुक्ति दी जाएगी, जिसमें उनकी परिवीक्षा अवधि शामिल होगी।

मध्यम स्कूल:

- इसमें मध्यम पहुँच, कनेक्टिविटी और स्थलाकृति वाले क्षेत्र शामिल हैं।
- कठिन स्कूलों के चरण को पूरा करने के बाद नए शिक्षक मध्यम कठिनाई के स्तर वाले स्कूलों में अगले पांच वर्ष बिताएंगे।

नरम स्कूल:

- इसमें आसान पहुँच और कनेक्टिविटी वाले प्रमुख शहरी क्षेत्र शामिल हैं।

- कठिन और मध्यम स्कूलों के चरण को पूरा करने के बाद शिक्षकों को नरम स्कूल आवंटित किए जाएंगे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत- ए.आई.आर.

6. केंद्र से के.एल.आई.पी. को एक राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मानने का आग्रह किया गया है।
- राज्य सरकार ने केंद्र से एक बार फिर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (के.एल.आई.पी.) को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मानने का अनुरोध किया है।

कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संदर्भ में जानकारी

- यह कालेश्वरेश, भूपालपल्ली, तेलंगाना, भारत में गोदावरी नदी पर एक बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है।
- वर्तमान में यह दुनिया की सबसे बड़ी बहु-चरणीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, इसका सबसे दूरगामी प्रभाव प्राणहिता और गोदावरी नदियों के संगम पर है।
- प्राणहिता नदी स्वयं विभिन्न छोटी सहायक नदियों का संगम है जिसमें वर्धा, पाइनगंगा और वैनगंगा नदियां शामिल हैं, जो उपमहाद्वीप पर सातवीं सबसे बड़ी जल निकासी घाटी को बनाने हेतु मिलती हैं।

मिशन भागीरथ और मिशन काकतीय, दो योजनाएँ हैं जिन्हें नए राज्य में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लाया गया था।

मिशन भागीरथ के संदर्भ में जानकारी

- यह तेलंगाना राज्य के प्रत्येक गांव और शहर के परिवार के लिए सुरक्षित पेयजल हेतु एक परियोजना है।
- इसका उद्देश्य तेलंगाना के शहरी क्षेत्र में 20 लाख घरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में 60 लाख घरों में पाइपलाइन द्वारा पानी उपलब्ध कराकर 2.32 करोड़ लोगों को पानी मुहैया कराना है।

- यह महत्वाकांक्षी परियोजना गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के पानी से राज्य के सभी घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति करेगी।

मिशन काकतीय के संदर्भ में जानकारी:

- इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को सहायता और मदद प्रदान करने के लिए पानी की टंकियों और अन्य जल भंडारण संरचनाओं का कार्याकल्प करना है।

राष्ट्रीय परियोजना के लाभ

- जिस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला है, उसका मुख्य लाभ यह है कि इस परियोजना के लिए 90% धन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- सामान्यतः सिंचाई, बिजली उत्पादन, पानी के भंडारण आदि से संबंधित बड़ी बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाता है क्योंकि राज्य सरकारें इतनी बड़ी पूंजी का खर्च नहीं उठा सकती हैं, इन योजनाओं में निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1-भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

7. 27वां एजुथाचन पुरस्कारम अवार्ड

- केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने लेखक आनंद को तिरुवनंतपुरम में वर्ष 2019 के लिए एजुथाचन पुरस्कार प्रदान किया है।
- लेखक ने आल्फ्रेड, मारनासर्टिसेरिट और मरुभूमिकल उंदाकुन्नाथु जैसे उपन्यास लिखे हैं।

एजुथाचन पुरस्कारम के संदर्भ में जानकारी

- यह केरल साहित्य अकादमी, केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जो 1993 में स्थापित किया गया था।
- इस पुरस्कार का नाम मलयालम भाषा के जनक थुन्चाथु एजुथाचन के नाम पर रखा गया है।
- इसमें 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 - कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

25.12.2019

1. मंत्रिमंडल ने अटल भूजल योजना को मंजूरी प्रदान की है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूजल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन हेतु अटल भूजल योजना नामक एक योजना को मंजूरी प्रदान की है।

अटल भूजल योजना के संदर्भ में जानकारी

- इस योजना का उद्देश्य भूजल को रिचार्ज करना और कृषि उद्देश्यों के लिए पर्याप्त जल भंडारण का निर्माण करना है।
- यह योजना भूजल स्रोतों को रिचार्ज करने पर जोर देगी और स्थानीय स्तर पर लोगों को शामिल करके पानी के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करेगी।
- इस योजना में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 8,350 गांवों को शामिल किया जाएगा।

वित्तपोषण

- भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच वित्तपोषण प्रारूप 50:50 है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 -गवर्नेंस (महत्वपूर्ण योजना)

स्रोत- पी.आई.बी.

2. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2021 का संचालन करने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) को अपडेट करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
- जब कि जनगणना 2021 में की जाएगी, एन.पी.आर. अपडेट असम को छोड़कर सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में अप्रैल से सितंबर 2020 के बीच किया जाएगा।
- 2010 में किए गए अंतिम एन.पी.आर. में डेटा को 15 बिंदुओं पर एकत्र किया गया था और इसमें माता-पिता की जन्मतिथि और जन्म

स्थान और पिछला निवास स्थान शामिल नहीं था।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में जानकारी

- एन.पी.आर., देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है।
- भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए एन.पी.आर. में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसमें भारतीय नागरिकों के साथ-साथ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।
- एन.पी.आर. का उद्देश्य देश में प्रत्येक सामान्य निवासी का एक व्यापक पहचान डेटाबेस तैयार करना है।

पृष्ठभूमि

- पहला राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर वर्ष 2010 में तैयार किया गया था और वर्ष 2015 के दौरान घरों में जाकर सर्वेक्षण करके इस डेटा को अपडेट किया गया था।
- एन.पी.आर. का अगला अपडेट वर्ष 2020 में अप्रैल से सितंबर तक जनगणना 2021 के हाउस लिस्टिंग चरण के साथ आयोजित होगा।
- यह नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थानीय (ग्राम/ उप-कस्बा), उप-जिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जा रहा है।

सामान्य निवासी क्या हैं?

- नागरिकता (नागरिकों के पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियम, 2003 के अनुसार, एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से स्थानीय क्षेत्र में निवास कर रहा है या वह व्यक्ति उस क्षेत्र में अगले 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए निवास करने का इरादा रखता है।

जनगणना 2021 के संदर्भ में विशिष्टता

- ऐसा पहली बार है कि जनगणना 2021 में डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त जनता को स्वगणना के लिए एक सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

एन.पी.आर. और एन.आर.सी. में क्या अंतर है?

- एन.पी.आर., राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से भिन्न है जो विदेशी नागरिकों को बाहर करता है।
- 10 दिसंबर, 2003 को अधिसूचित नागरिकता (नागरिकों के पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमों के अनुसार, एक जनसंख्या रजिस्टर 'एक शहर या शहरी क्षेत्र में एक वार्ड के भीतर क्षेत्र (नागरिक पंजीकरण के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सीमांकित) के एक गाँव या ग्रामीण क्षेत्र या शहर या वार्ड या सीमांकन में रहने वाले व्यक्तियों का विवरण होता है।
- जब कि, भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, एक रजिस्टर है जिसमें भारत और भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों का विवरण है।

एन.पी.आर. और एन.आर.सी. में क्या संबंध है?

- 10 दिसंबर, 2003 को अधिसूचित नागरिकता (नागरिकों के पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमों के अनुसार, केंद्र सरकार इस संबंध में जारी एक आदेश द्वारा एक तारीख तय करेगी जिससे स्थानीय रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी व्यक्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र करके जनसंख्या रजिस्टर तैयार किया जाएगा।
- भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर में जनसंख्या रजिस्टर से किए गए सत्यापन के बाद व्यक्तियों का विवरण होगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

3. मंत्रिमंडल ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन में संशोधन करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बी.ई.एफ.आर.), 1873 में संशोधन करने के लिए अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है।
- बी.ई.एफ.आर. में संशोधन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 372 के खंड (2) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए कानून का अनुकूलन (संशोधन) आदेश, 2019 के लिए कैबिनेट ने कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की है।
- अधिसूचना अपने स्वदेशी लोगों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सी.ए.ए.), 2019 के प्रावधानों से सुरक्षा देने के लिए मणिपुर राज्य में बी.ई.एफ.आर. का विस्तार करेगी और उक्त विनियमन में आवश्यक बदलाव करेगी।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के संदर्भ में जानकारी

- यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न से भागकर आए हिंदुओं, सिखों, जैनियों, पारसियों, बौद्धों और ईसाइयों और 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत आए हुए व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है।

इनर लाइन परमिट प्रणाली के संदर्भ में जानकारी

- यह एक दस्तावेज है जो एक भारतीय नागरिक को आई.एल.पी. प्रणाली के अंतर्गत संरक्षित राज्यों में जाने या रहने की अनुमति प्रदान करता है।
- यह प्रणाली पूर्व में तीन पूर्वोत्तर राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में लागू थी और अब इसे मणिपुर में भी लागू कर दिया गया है।
- इसके अंतर्गत, कोई भी भारतीय नागरिक इन राज्यों में से किसी का भी दौरा नहीं कर सकता है जब तक कि वह उस राज्य से संबंधित नहीं है और न ही वह आई.एल.पी. में निर्दिष्ट अवधि से परे है या नहीं है।

सी.ए.बी. का संबंध

- नागरिकता (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले गैर-मुस्लिम शरणार्थियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करना आसान बनाना है।
- यदि इसे आई.एल.पी. शासन के अंतर्गत राज्यों को इसके दायरे से बाहर करने के प्रावधानों के साथ लागू किया जाता है तो इसका मतलब है कि सी.ए.बी. के अंतर्गत लाभार्थी भारतीय नागरिक बन जाएंगे लेकिन इन तीन राज्यों में बसने में सक्षम नहीं होंगे।
- वास्तविकता में मौजूदा भारतीय नागरिकों पर भी यही प्रतिबंध लागू है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 -गवर्नंस

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड्स

4. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की वार्षिक समीक्षा
- एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने 2019 के लिए अपनी साल के अंत की समीक्षा में कहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) के अंतर्गत, नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं।
- सरकार ने कहा है कि वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) से वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के देश के लक्ष्य में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने की परिकल्पना करती है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.):

- पी.एम.ई.जी.पी., 2008-09 से एम.एस.एम.ई. मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है।

SFURTI समूह:

- पहले स्वीकृत किए गए 51 स्फूर्ति (पारंपरिक उद्योगों के उत्थान हेतु कोष की योजना) समूह पूरे हो चुके हैं और कार्यरत हैं।

सौर चरखा समूह:

- भारत के राष्ट्रपति, राम नाथ कोविंद ने 27 जून, 2018 को सौर चरखा मिशन की शुरुआत की थी।
- सौर चरखा समूहों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान योजना संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है।

क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी पुनः शुरू की गई है:

- सरकार ने फरवरी, 2019 में क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी-टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CLCS-TUS) के अंतर्गत क्रेडिट लिंकड कैपिटल सब्सिडी घटक को जारी रखने के लिए मंजूरी प्रदान की है।

प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टी.सी.एस.पी.):

- एम.एस.एम.ई. मंत्रालय 2200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टी.सी.एस.पी.) को लागू कर रहा है। जिसमें 15 नए टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (टी.सी.एस.) स्थापित करने और देश भर में मौजूदा 18 टी.सी.एस. को अपग्रेड करने के लिए विश्व बैंक की 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता शामिल है।
- भिवाड़ी, भोपाल, पुदुची और तिनसुकिया में चार प्रौद्योगिकी केंद्र संचालन हेतु तैयार हैं।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खादी को अलग एच.एस. कोड मिला है

- खादी को निर्यात में अपने उत्पादों को वर्गीकृत करने के लिए 4 नवंबर, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अद्वितीय एच.एस. कोड प्रदान मिला है। यह खादी के निर्यात को विशेष रूप से कपड़ा उत्पादों की सामान्य लीग से वर्गीकृत बनाएगा।

जम्मू-कश्मीर की उद्यवाद प्रभावित महिलाओं द्वारा बनाई गई खादी रुमाल की बिक्री का शुभारंभ:

- केंद्रीय एम.एस.एम.ई. मंत्री ने 17 दिसंबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर की उद्यवाद प्रभावित महिलाओं द्वारा बनाई गई खादी रुमाल की बिक्री का शुभारंभ किया है।
- खादी रुमाल की बिक्री महिलाओं में आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और पूरे जम्मू और कश्मीर में महिलाओं को एक स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम बनाएगी।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- द हिंदू

5. रोहतांग दर्रे के नीचे सुरंग का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी रखा जाएगा।

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोहतांग दर्रे के नीचे रणनीतिक सुरंग का नाम, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने को मंजूरी प्रदान की है।
- सुरंग का नामकरण वाजपेयी जी की 95वीं जयंती के दिन किया जाएगा।

सुरंग के संदर्भ में जानकारी

- यह रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण सुरंग है जो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रत्येक मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी जो कि सर्दियों के दौरान लगभग छह महीने तक देश के बाकी हिस्सों से अलग हो जाता है।
- यह 8.8 किलोमीटर लंबी सुरंग है, जो 3,000 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है।
- यह मनाली और लेह के बीच की दूरी को कम करेगी।
- यह 10.5 मीटर चौड़ी सिंगल ट्यूब दो-लेन सुरंग है जिसमें मुख्य सुरंग में ही अग्निरोधक इमरजेंसी सुरंग बनाई गई है।

रोहतांग दर्रे के संदर्भ में जानकारी

- यह मनाली से लगभग 51 कि.मी. की दूरी पर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है।
- यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –भूगोल

स्रोत- द हिंदू

6. रक्षा स्टाफ के प्रमुख

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सेवा प्रमुख के समकक्ष वेतन और अनुलाभ के साथ एक चार सितारा जनरल के पद पर रक्षा स्टाफ के प्रमुख का पद बनाने की मंजूरी प्रदान की है।
- रक्षा स्टाफ का प्रमुख, सैन्य मामलों के विभाग (डी.एम.ए.) का भी प्रमुख होगा, जिसे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत बनाया जाएगा और इसके सचिव के रूप में कार्य करेगा।

स्टाफ समिति के प्रमुखों के स्थायी अध्यक्ष के रूप में सी.डी.एस. निम्नलिखित कार्य करेगा:

- सी.डी.एस. तीनों सेनाओं के संगठनों का प्रशासन करेगा। साइबर और अंतरिक्ष से संबंधित तीनों सेनाओं की एजेंसियां/ संगठन/ कमान सी.डी.एस. की कमान के अंतर्गत होंगे।
- सी.डी.एस., रक्षा अधिग्रहण परिषद का सदस्य होगा जिसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री हैं और रक्षा योजना समिति का सदस्य होगा, जिसके अध्यक्ष एन.एस.ए. हैं।
- परमाणु कमान प्राधिकरण के सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।
- पहले सी.डी.एस. के पदभार ग्रहण करने के तीन वर्ष के भीतर तीनों सेनाओं के संचालन, सैन्य तंत्र, परिवहन, प्रशिक्षण, सपोर्ट सर्विसेज, संचार, मरम्मत और रखरखाव आदि में संयुक्तता लाएं।
- बुनियादी ढांचे के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना और सेनाओं के बीच संयुक्तता के माध्यम से इसे तर्कसंगत बनाना।
- एकीकृत क्षमता विकास योजना (आई.सी.डी.पी.) के अनुसरण के रूप में एक पंचवर्षीय रक्षा पूंजी

अधिग्रहण योजना (डी.सी.ए.पी.) और दो वर्षीय रोल-ऑन वार्षिक अधिग्रहण योजना (ए.ए.पी.) को लागू करना।

- प्रत्याशित बजट पर आधारित पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए अंतर-सेवा प्राथमिकता को निर्दिष्ट करना।
- व्यर्थ व्यय को कम करके सशस्त्र बलों की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से तीन सेनाओं के कामकाज में सुधार लाना है।

पृष्ठभूमि

- सी.डी.एस. के लिए प्रस्ताव दो दशकों से चल रहा है जो कि 1999 के कारगिल संघर्ष के बाद नियुक्त के. सुब्रहमण्यम समिति द्वारा पहली बार किया गया था जिससे कि उच्च सैन्य सुधारों की सिफारिश की जा सके।
- हालांकि, सेनाओं के मध्य आम सहमति की कमी और आशंकाओं का मतलब है यह कभी आगे नहीं बढ़ सकती हैं।
- वर्ष 2012 में, नरेश चंद्र समिति ने सी.डी.एस. को लेकर सभी आशंकाओं के मध्य एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में स्टाफ समिति (सी.ओ.एस.सी.) के प्रमुखों के अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश की थी।
- सी.डी.एस. भी लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकाटकर (सेवानिवृत्त) समिति द्वारा की गई 99 सिफारिशों में से एक है, जिसने दिसंबर, 2016 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें तीनों सेनाओं से संबंधित 34 सिफारिशें थीं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- द हिंदू

7. मंत्रिमंडल ने दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 की घोषणा को मंजूरी प्रदान की है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश की घोषणा करने और दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

- संशोधन दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में कुछ अस्पष्टताओं को दूर करेगा और संहिता का सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

प्रस्तावित संशोधन:

- कॉर्पोरेट दिवालियापन संकल्प प्रक्रिया के शुरू होने से पहले किए गए अपराध के लिए कॉर्पोरेट देनदार का दायित्व समाप्त हो जाएगा।
- कॉर्पोरेट देनदार को निर्णयन प्राधिकरण द्वारा संकल्प योजना को मंजूरी प्रदान करने की तारीख से इस तरह के अपराध के लिए मुकदमा चलाने मंजूरी नहीं दी जाएगी।
- यदि संकल्प योजना, किसी व्यक्ति के प्रति कॉर्पोरेट देनदार के प्रबंधन या नियंत्रण में परिवर्तन का परिणाम देती है जो नहीं था:
- एक प्रमोटर या कॉर्पोरेट देनदार के नियंत्रण या प्रबंधन या ऐसे व्यक्ति की संबंधित पार्टी का या
- ऐसा व्यक्ति जिसके संबंध में संबंधित जाँच प्राधिकारी के पास सामग्री है, जो उसके कब्जे में है।
- इसके अतिरिक्त, यह ऐसे अपराधों के संबंध में कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति (जैसे संलग्नक, जब्ती या अधिहरण) के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
- अगर एन.सी.एल.टी. द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना कॉर्पोरेट प्रवर्तक के प्रमोटरों या प्रबंधन के परिणाम में बदल जाती है तो ऐसी प्रतिरक्षा प्रदान की जाएगी।
- हालांकि, कॉर्पोरेट देनदार के प्रभारी या इससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को ऐसे अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –इकोनॉमिक्स टाइम्स

स्रोत- द हिंदू

8. नीति आयोग, एस.डी.जी. इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड 2019-20 लॉन्च करने जा रहा है।

- नीति आयोग, सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) इंडिया सूचकांक का दूसरा संस्करण लॉन्च करेगा।

एस.डी.जी. सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- एस.डी.जी. सूचकांक, 2030 के एस.डी.जी. लक्ष्यों को लागू करने की दिशा में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति का दस्तावेज है।
- एस.डी.जी. इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड 2019-20 को सांख्यिकी मंत्रालय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन (एम.ओ.एस.पी.आई), द यूनाइटेड नेशन इन इंडिया और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है।
- नीति आयोग को राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर देश में एस.डी.जी. के अनुकूलन और निगरानी की देखरेख करने का आदेश है।

यह कैसे काम करता है?

- एस.डी.जी. इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड 2019 सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करता है और एम.ओ.एस.पी.आई. के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से लिए 100 संकेतकों पर उन्हें स्थान प्रदान करता है, इसमें 306 संकेतक शामिल हैं।
- यह इंगित करता है कि देश और उसके राज्य और केंद्रशासित प्रदेश वर्तमान में एस.डी.जी. कार्यान्वयन के संदर्भ में कहां पर हैं और एस.डी.जी. लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए यात्रा की जाने वाली दूरी को चार्ट करता है।
- सूचकांक में 17 एस.डी.जी. में से 16 को शामिल किया गया है और लक्ष्य 17 पर एक गुणात्मक मूल्यांकन शामिल किया गया है। यह 2018 सूचकांक में सुधार को दर्शाता है, जिसमें केवल 13 लक्ष्य शामिल थे।

नोट:

- एस.डी.जी. इंडिया सूचकांक का पहला संस्करण दिसंबर, 2018 में लॉन्च किया गया था।

- यह किसी भी बड़े देश द्वारा उप-राष्ट्रीय स्तर पर एस.डी.जी. प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की निगरानी करने हेतु विकसित किया गया पहला उपकरण था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नंस

स्रोत- द हिंदू

26.12.2019

1. जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.)

- प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) के परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- परिचालन दिशानिर्देश, जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में शामिल विभिन्न अधिकारियों की मदद करेंगे।

जल जीवन मिशन के संदर्भ में जानकारी

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) प्रदान करने के लिए इस वर्ष, जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) को मंजूरी प्रदान की है।
- इस मिशन का उद्देश्य जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल (पाइपड जलापूर्ति) सुनिश्चित कराना है।
- जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, निष्पादन एजेंसी है।
- यह मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की समाकलित मांग और आपूर्ति-पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और कृषि में पुनः उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे स्रोत स्थायित्व के लिए स्थानीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना शामिल है।
- यह मिशन पूरे देश में स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र

और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के साथ जुटेगा।

वित्तपोषण:

- विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग करने के अतिरिक्त सरकार क्षतिपूर्क वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त निधियों का उपयोग करने की संभावना का भी पता लगाएगी।

जे.जे.एम. के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्था प्रस्तावित की गई है:

1. केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय जल जीवन मिशन
2. राज्य स्तर पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.)
3. जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) तथा
4. ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समितियाँ अर्थात् ग्राम जल स्वच्छता समिति (वी.डब्ल्यू.एस.सी.)/ पानी समिति

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नंस

स्रोत- पी.आई.बी.

2. सुशासन सूचकांक

- कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने सुशासन दिवस के अवसर पर सुशासन सूचकांक जारी किया है।
- पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है।

सुशासन सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- सुशासन सूचकांक, राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभावों और शासन की स्थिति का आकलन करने हेतु सभी राज्यों में एक सार्वभौमिक उपकरण है।
- जी.जी.आई. के उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की स्थिति की तुलना करने के लिए मात्रात्मक डेटा प्रदान करना, शासन में सुधार करने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने और लागू करने में राज्यों और केंद्र

शासित प्रदेशों को सक्षम बनाना और और परिणाम-उन्मुख दृष्टिकोणों और प्रशासन की ओर स्थानांतरित करना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

3. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2018 में अदिसाबाबा, इथियोपिया में आयोजित यूनियन के दूसरे असाधारण सम्मेलन द्वारा अपनाई गई यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यू.पी.यू.) के संविधान में दसवें अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन को अपनी मंजूरी प्रदान की है।

यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संदर्भ में जानकारी

- यह 1874 की बर्न की संधि द्वारा स्थापित किया गया था, जो संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक डाक प्रणाली के अतिरिक्त सदस्य देशों के बीच डाक नीतियों का समन्वय करती है।
- यू.पी.यू. में चार निकाय शामिल हैं, जो हैं:
- कांग्रेस
- प्रशासन परिषद (सी.ए.)
- डाक परिचालन परिषद (पी.ओ.सी.)
- अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो (आई.बी.)
- इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है।

भारत के अनुसमर्थन के लाभ

- यह यू.पी.यू. के संविधान के अनुच्छेद 25 से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करेगा और इसकी प्रतिबद्धता, संघ के एक सदस्य देश से अपेक्षा के अनुरूप होगी।
- यह डाक विभाग को भारत में यू.पी.यू. सम्मेलन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई भी प्रशासनिक आदेश लाने में सक्षम बनाएगा।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय संस्थान

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय की वार्षिक समीक्षा

- ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) का शासनादेश, आजीविका के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करके ग्रामीण भारत का स्थायी और समावेशी विकास करना है।
- पांच प्रमुख ग्रामीण विकास विषय हैं, जिनके आसपास एम.ओ.आर.डी. के वर्तमान प्रमुख कार्यक्रम केंद्रित हैं, जो इस प्रकार हैं:
 - ग्रामीण आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के माध्यम से)
 - ग्रामीण रोजगार (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से)
 - ग्रामीण कनेक्टिविटी (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से)
 - ग्रामीण आजीविका (दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से)
 - ग्रामीण कौशल (दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से)
- उपर्युक्त के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन (SPMRM) और सासंद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.), एम.ओ.आर.डी. के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं।
- सामाजिक-आर्थिक जनगणना (एस.ई.सी.सी., 2011) डेटा के अभाव मानदंडों के अनुसार, विभाग, गरीब परिवारों के साक्ष्य-आधारित चयन पर आधारित कार्यक्रम लागू कर रहा है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)

- इसे 25 दिसंबर, 2000 को लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों की आबादी और उत्तर-पूर्व, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, मरुस्थलीय

क्षेत्र, जनजातीय और पिछड़े जिले जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों में 250 से अधिक व्यक्तियों की जनसंख्या के साथ प्रमुख-नेटवर्क के अनुसार योग्य असंबंधित आवास स्थानों को एक एकल ऑल-वेदर रोड के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

- यह कार्यक्रम मौजूदा 'मार्गों के माध्यम से' और 'प्रमुख ग्रामीण लिंक' (एम.आर.एल.) के उन्नयन के लिए भी प्रदान करता है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI)

- ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.) के अंतर्गत ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में दो कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रहा है: -
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.) जो वेतन रोजगार के लिए एक प्लेसमेंट लिंकड कौशल विकास कार्यक्रम है।
- ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) के माध्यम से कौशल विकास, एक प्रशिक्षु को बैंक से ऋण लेने और अपना स्वयं का सूक्ष्म उद्यम शुरू करने में सक्षम बनाता है। इस तरह के कुछ प्रशिक्षु नियमित वेतन की नौकरी चाहते हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.)

- दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.) को वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) में भेजना है और उन्हें दीर्घकालिक समर्थन प्रदान करता है जिससे कि वे अपनी आजीविका में विविधता ला सकें, अपनी आय और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकें।

- सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना (एस.ई.सी.सी.) 2011 के आंकड़ों के अनुसार, सभी "स्वचालित रूप से शामिल" परिवारों और "कम से कम एक अभाव" वाले सभी घरों में डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम. के लक्ष्य समूह का गठन होता है।

डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम. के प्रमुख घटक हैं:

- गरीबों के स्थायी संस्थानों को बढ़ावा देना
- वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना
- कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों में गरीबों के लिए विविध आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना
- कौशल विकास और नौकरियों तक पहुंच को बढ़ावा देना
- सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और मानव विकास को बढ़ावा देना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS)

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है जो भारत के सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के अकुशल मैनुअल काम की गारंटी देती है।
- मनरेगा, वास्तव में ग्रामीण परिवारों को काम करने का अधिकार देता है। यह राज्य के लिए मांग पर काम देना अनिवार्य बनाता है। ऐसा न करने पर एक परिवार वास्तव में राज्यों पर मुकदमा कर सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी.)

- पी.एम.ए.वाई.-जी., एक ग्रामीण आवास योजना है जिसे पहले इंदिरा आवास योजना के रूप में लागू किया जा रहा था।
- इसे प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई.-जी.) में पुनर्गठित किया गया है, जो 1 अप्रैल, 2016 से लागू हुई है।
- पी.एम.ए.वाई.-जी. का उद्देश्य वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन परिवारों और कच्चे और जीर्ण-

शीर्ष घर में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्का घर प्रदान करना है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.):

- पी.एम.ए.वाई.-जी. के अंतर्गत, लाभार्थियों को सहायता आवाससॉफ्ट-पी.एफ.एम.एस. प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित की जाती है।
- यह फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफ.टी.ओ.) के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी के बैंक/ डाकघर खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधियों का निर्बाध हस्तांतरण सुनिश्चित करता है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन (SPMRM)

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन (SPMRM), देश के 29 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 300 समूहों के व्यापक विकास पर केंद्रित है।
- इन समूहों की पहचान ग्रामीण क्षेत्रों में विषयगत आजीविका गतिविधियों, बढ़ती जनसंख्या और गैर-कृषि रोजगार की उपस्थिति के माध्यम से आर्थिक विकास की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए की जाती है।
- इस मिशन को कौशल विकसित करने, आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने और एकसमान और समयबद्ध तरीके से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के प्रावधान पर ध्यान केंद्रित करके इन समूहों को परिवर्तित के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.)

- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.), ग्रामीण विकास में एक पथप्रदर्शक पहल है जिसे वर्ष 2014 में देश भर में आदर्श ग्राम बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- एस.ए.जी.वाई.-I (2014-19) के लिए योजना दिशानिर्देशों ने संसद के माननीय सदस्यों से उनकी पसंद की एक ग्राम पंचायत, 2016 तक

एक आदर्श गांव और 2019 तक दो और नए गांव बनाने का आह्वान किया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) में ऐसे किसी भी व्यक्ति को लक्षित किया जाता है, जिनके पास परिवार के सदस्यों या अन्य स्रोतों से आय के अपने स्वयं के स्रोत या वित्तीय सहायता से निर्वाह का कोई स्थायी या कोई नियमित साधन नहीं है, जिनकी पहचान राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की जाती है।
- वर्तमान में एन.एस.ए.पी. में पाँच उप-योजनाएँ शामिल हैं, जिसके घटक- IGNOAPS, IGNWPS, IGNDPS, NFBS और अन्नपूर्णा हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नंस

स्रोत- पी.आई.बी.

5. **बड़े पैमाने पर टिड्डी आक्रमण से गुजरात के किसानों को खतरा है।**
- हाल ही में गुजरात में हॉपर- नए-नवेले टिड्डियों के हमले हो रहे हैं- जो अंतरराष्ट्रीय सीमा में उड़ गए हैं।
- टिड्डियों को स्थानीय रूप से टिड्डे के रूप में जाना जाता है, ये अरंडी, जीरा, जटरोफा, कपास और आलू और चारा घास की खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं।
- गुजरात ने 1993-94 के बाद से टिड्डियों के इस तरह के आक्रमण को नहीं देखा है।
- स्थानीय विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान और भारत सहित दक्षिण एशिया में बड़े पैमाने पर टिड्डियों के आक्रमण की संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) की चेतावनी के बावजूद राज्य प्रशासन सो रहा है।
- जोधपुर में टिड्डी चेतावनी संगठन (एल.डब्ल्यू.ओ.) ने झुंड पर ध्यान दिया था और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार उनके पथ की भविष्यवाणी की थी।

टिड्डे के संदर्भ में जानकारी

- टिड्डियाँ, छोटे सींग वाले टिड्डों की कुछ प्रजातियों का एक संग्रह हैं।
- ये कीड़े सामान्यतः एकान्त होते हैं लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में वे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और अपने व्यवहार और आदतों को बदल देते हैं, जो कि सामूहिक हो जाता है।
- टिड्डे और टिड्डे की प्रजातियों के बीच कोई करात्मक भेद नहीं किया जाता है।
- टिड्डियों ने पूर्व इतिहास के बाद से प्लेग के दौरान विपत्तियां बनाई हैं।
- मरुस्थलीय टिड्डे कुछ 29 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैले हुए हो सकते हैं, जो 60 देशों के ऊपर या आसपास फैले हुए हैं।
- मरुस्थलीय टिड्डा विपत्तियां 1926-1934, 1940-1948, 1949-1963, 1967-1969 और 1986-1989 में हुई हैं।
- मूल रूप से, टिड्डियां इस साल फरवरी में अफ्रीका के रेड सी कोस्ट पर सूडान और इरिट्रिया से निकलीं और सउदी अरब और ईरान के रास्ते पाकिस्तान में प्रवेश किया था, जहां उन्होंने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था और वहां से वे राजस्थान और गुजरात में चले गए थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण और जैवविविधता

स्रोत- द हिंदू

6. चिल्लाई-कलां, कश्मीर में शुरू हो गई है।
- कश्मीर में 40 दिनों की अत्यधिक ठंड की अवधि, चिल्लाई-कलां 21 दिसंबर से शुरू हो गई है और यह 31 जनवरी तक चलेगा और इसके बाद चिल्लाई-खुर्द और चिल्लाई-बच्चा होगा।
- 20 दिन लंबी चिल्लाई-खुर्द (छोटी ठंड) 31 जनवरी से 19 फरवरी तक चलती है।
- चिल्लाई-बच्चा (शिशु ठंड) 10-दिवसीय होता है जो 20 फरवरी से 2 मार्च के बीच होती है।
- भारत के मौसम विभाग के अनुसार, इस अवधि में ज्यादातर समय गीला रहता है क्योंकि कि घाटी

के ऊपरी हिस्से में भारी बर्फबारी होती है और अधिकतम तापमान में भारी गिरावट आती है।

- इस अवधि के दौरान झीलों, नदी और जलधाराओं जैसे जलनिकायों में बर्फ की चादरों की मोटी परत से जम जाती हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

7. माइक्रोडॉट प्रौद्योगिकी

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों और उनके भागों, घटकों, विधानसभाओं, उप-विधानसभाओं पर चिपकाए गए माइक्रोडॉट पहचानकर्ताओं के संबंध में मोटर वाहन उद्योग मानकों को अधिसूचित किया है।
- यह केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन के माध्यम से किया गया है।

माइक्रोडॉट्स प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जानकारी

- माइक्रोडॉट्स अनपेक्षित प्राप्तकर्ताओं द्वारा पता लगाने से रोकने के लिए बहुत छोटे आकार के टेक्सट या इमेज, लगभग 1 मि.मी. व्यास के होते हैं।
- ये डॉट्स सामान्यतः गोलाकार होते हैं लेकिन इन्हें विभिन्न आकृतियों और आकारों में बनाया जा सकता है और विभिन्न सामग्रियों जैसे कि पॉलिएस्टर या धातु से बनाया जा सकता है।
- माइक्रोडॉट प्रौद्योगिकी, वाहन अंकन का एक बहुत प्रभावी रूप है।
- इसमें एक वाहन या उसके किसी भाग पर एक वाहन पहचान संख्या (वी.आई.एन.) के साथ खोदे गए हजारों माइक्रोडॉट्स लेजर का छिड़काव करना शामिल है।
- इसके छोटे आकार के कारण, माइक्रोडॉट्स का पता लगाना और निकालना असंभव है।
- माइक्रोडॉट्स का उपयोग उपकरण, पुर्जे और घरेलू सामानों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है।

- उन्हें चोरी के खिलाफ सार्वजनिक उद्यानों में पौधों को सुरक्षित करने के लिए भी सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

8. सऊदी अरब, कुवैत ने साझा तेल क्षेत्रों पर विवाद को समाप्त किया है।

- सऊदी अरब और कुवैत ने साझा तेल क्षेत्रों पर लगभग पांच साल लंबे विवाद को समाप्त कर दिया है और विभाजित तटस्थ क्षेत्र से तेल उत्पादन को फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है लेकिन जोर देकर कहा है कि वह अपनी ओपेक प्रतिबद्धताओं को कच्चे तेल उत्पादन में कटौती के लिए नहीं बदलेगा।
- संबद्ध खाड़ी अरब देशों ने कुवैत सिटी में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 2015 की शुरुआत में विवाद से रूकने से पहले क्षेत्र से प्रति दिन लगभग 300,000 बैरल पंप किए जा रहे थे।
- दो पड़ोसी देशों की भूमि सीमाओं के बीच स्थित विभाजित क्षेत्र, प्रति दिन आधा मिलियन बैरल तक उत्पादन कर सकता है।
- राज्य संचालित सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया है कि समझौते से सऊदी अरब की प्रतिबद्धताओं को प्रभावित नहीं किया जाएगा जिससे कि इसकी कच्चा तेल उत्पादन घटकर 9.7 मिलियन बैरल प्रति दिन हो जाए।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –अंतर्राष्ट्रीय मामले

स्रोत- ए.आई.आर.

27.12.2019

1. अनुच्छेद 142: तलाक की अनुमति देने के लिए संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की असाधारण शक्तियों का उपयोग

- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए "विवाह के असाध्य रूप से टूटने" के आधार पर तलाक की अनुमति प्रदान की है, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में शामिल नहीं हैं।

हिंदू कानून के अंतर्गत तलाक का आधार

- हिंदू विवाह अधिनियम 1955, तलाक के लिए कानून स्थापित करता है, जो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिक्ख पर लागू होता है।
- वर्तमान में, हिंदू विवाह कानून में "विवाह के असाध्य रूप से टूटने" के आधार पर तलाक शामिल नहीं है।

अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत तलाक के लिए शामिल आधार हैं:

- "अपने पति या पत्नी के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक संभोग करना"
- "क्रूरता"
- "याचिका की प्रस्तुति के ठीक पहले कम से कम दो वर्ष की निरंतर अवधि के लिए" परित्याग करना
- "किसी दूसरे धर्म में रूपांतरण करवाकर हिंदू होने से रोकना" और "असाध्य रूप से विकृत चित्त का होना"
- इसके अतिरिक्त, धारा 13बी "आपसी सहमति से तलाक" प्रदान करती है।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 27, इस अधिनियम के अंतर्गत सम्पन्न हुए विवाह के मामले में तलाक के अनुदान हेतु आधार प्रदान करती है।
- हालांकि, दोनों में से कोई भी अधिनियम तलाक के आधार के रूप में "विवाह के असाध्य रूप से टूटने" का आधार प्रदान नहीं करता है।

संविधान का अनुच्छेद 142

- अनुच्छेद 142 (1) के अंतर्गत, "सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस तरह के निर्णय को पारित कर सकता है या ऐसा

आदेश दे सकता है क्योंकि लंबित करने से पहले यह किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने से पहले आवश्यक है।

- अनुच्छेद 142 के अनुसार अदालत ने कहा, "दलों के बीच "पूर्ण न्याय" करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करें अर्थात् जहां समय-समय पर कानून या नियम एक उपाय प्रदान नहीं कर सकते हैं।
- न्यायालय उस तरीके से विवाद में अंतिम निर्णय देने के लिए स्वयं का विस्तार कर सकता है जो कि केस के तथ्यों के अनुकूल होगा।

"विवाह के असाध्य रूप से टूटने" पर किस विधि आयोग का सुझाव था?

- भारत के विधि आयोग ने दो बार सिफारिश की है कि हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हिंदुओं को तलाक देने के लिए एक नए आधार के रूप में "विवाह के असाध्य रूप से टूटने" को शामिल किया जाना चाहिए।
- आयोग ने पहली बार 1978 में अपनी 71वीं रिपोर्ट में और 2009 में 217वीं रिपोर्ट में संशोधन का सुझाव दिया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –संविधान

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

2. **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और डी.ई.पी.डब्ल्यू.डी. की वार्षिक समीक्षा**
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का दृष्टिकोण एक समावेशी समाज का निर्माण करना है, जिसमें लक्षित समूहों के सदस्य अपनी वृद्धि और विकास के लिए पर्याप्त समर्थन के साथ उत्पादक, सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।
- इसका उद्देश्य जहां भी आवश्यक हो वहां शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास और पुनर्वास के कार्यक्रमों के माध्यम से अपने लक्षित समूहों का समर्थन करना और उन्हें सशक्त बनाना है।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

- अधिनियम में निहित सिद्धांतों का समर्थन करने हेतु अधिनियम सभी हितधारकों को उत्तरदायी और जवाबदेह बना देगा।
- यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों के प्रति केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की जवाबदेही को बढ़ा देगा।
- यह विधेयक अधिक समावेशिता की ओर ले जाएगा और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज का उत्पादक सदस्य बनाएगा।

प्रमुख वरिष्ठ नागरिकों और संस्थान को वयोश्रेष्ठ सम्मान

- भारत के राष्ट्रपति ने "अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस" (1 अक्टूबर) को चिह्नित करने हेतु वयोवृद्ध व्यक्तियों के कारणों के प्रति उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रख्यात वरिष्ठ नागरिकों और संस्थानों को "वयोश्रेष्ठ सम्मान" से सम्मानित किया है।
- प्रतिष्ठित वयोश्रेष्ठ सम्मान को वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था और वर्ष 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कारों का दर्जा प्रदान किया गया था।

विकलांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण विभाग (डी.पी.ई.डब्ल्यू.डी.)

- डी.पी.ई.डब्ल्यू.डी. का निर्माण नीतिगत मुद्दों पर ध्यान देने और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण और सशक्तीकरण के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों पर सार्थक जोर देने के लिए किया गया था।
- यह विकलांगता से संबंधित मामलों में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, गैर सरकारी संगठनों आदि के विभिन्न हितधारकों के मध्य निकट समन्वय को प्रभावित करने सहित विकलांगता और दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

- इसका दृष्टिकोण एक समावेशी समाज का निर्माण करना है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों की प्रगति और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे कि वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें।

डी.पी.ई.डब्ल्यू.डी. की उपलब्धियां

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (NIMHR)

- यह मध्य प्रदेश के सिहोर में स्थापित किया गया है, जिसे मध्य प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।
- इसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के क्षेत्र में एक एकीकृत बहु-विषयक दृष्टिकोण और विकासशील प्रशिक्षित पेशेवरों का प्रयोग करते हुए मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास को बढ़ावा देना है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 – गवर्नेंस

स्रोत- पी.आई.बी.

3. ग्रहण

- इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर को हुआ है, जो पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध पर हुआ है।

सूर्यग्रहण के संदर्भ में जानकारी

- ग्रहण तब पड़ता है जब पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, जिसके कारण चंद्रमा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकता है, जिससे सूर्य का ग्रहण या सूर्यग्रहण पड़ता है।
- सूर्यग्रहण के दौरान, चंद्रमा पृथ्वी पर दो छायाएं डालता है, पहली छाया को प्रतिछाया कहा जाता है, जो पृथ्वी पर पहुंचते ही छोटी हो जाती है।
- दूसरी छाया को पेनम्ब्रा (खंडछाया) कहा जाता है, जो पृथ्वी पर पहुँचते ही बड़ी हो जाती है।

ग्रहण के तीन प्रकार के होते हैं:

- **पूर्ण सूर्यग्रहण:**
 - पूर्ण सूर्यग्रहण तब पड़ता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं।

- यह केवल पृथ्वी पर एक छोटे से क्षेत्र से दिखाई देता है।

- नासा के अनुसार, जो लोग पूर्ण सूर्यग्रहण देखने में सक्षम हैं, वे तब चंद्रमा की छाया के केंद्र में स्थित होते हैं जब वह पृथ्वी से टकराती है।

- **आंशिक सूर्यग्रहण:** जिसमें चंद्रमा की छाया, सूर्य के एक छोटे हिस्से पर पड़ती है।
- **वार्षिक सूर्यग्रहण,** जो तब होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी से सबसे अधिक दूर होता है, यही कारण है कि यह छोटा दिखाई देता है। इस प्रकार के एक ग्रहण में, चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को अवरुद्ध नहीं करता है लेकिन "रिंग ऑफ फायर" बनाने वाली "सूरज की एक बड़ी डिस्क के ऊपर अंधेरी डिस्क" की तरह दिखाई देता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 – भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

4. ब्रह्मोस मिसाइल

- हाल ही में, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) ने ब्रह्मोस मिसाइल के नवीनतम संस्करण के दो सफल परीक्षण किए हैं, जिनमें से एक भूमि से और दूसरा हवा से किया गया है।

ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) और रूस के एन.पी.ओ.एम. के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
- ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है।
- यह लगभग 300 कि.मी. की उड़ान सीमा के साथ हवा से सतह पर मार करने वाली दो चरणीय (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे चरण में तरल रामजेट इंजन) मिसाइल है।
- ब्रह्मोस एक मल्टीप्लेटफॉर्म है अर्थात् इसे भूमि, वायु और समुद्र से लांच किया जा सकता है और अधिक सटीकता के साथ बहुक्षमता मिसाइल है

जो मौसम की स्थिति के निरपेक्ष दिन और रात दोनों में काम करती है।

- यह "फायर एंड फॉरगेट" सिद्धांत पर कार्य करती है अर्थात् इसे लॉन्च करने के बाद आगे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है।

मिसाइलों की गति

- **सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल-** जब मिसाइल की गति, ध्वनि की चाल (2.8 माच) की 2.8 गुना हो जाती है।
- **हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें:** जब गति 5 माच से अधिक हो जाती है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – रक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

5. मानव संसाधन विकास मंत्री ने यू.जी.सी. द्वारा विकसित पांच दस्तावेजों को लॉन्च किया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यू.जी.सी. द्वारा विकसित पांच दस्तावेजों को लॉन्च किया है, जो नई दिल्ली में गुणवत्ता शासनादेश के 5 कार्यक्षेत्रों को शामिल करते हैं।
- ये पांच दस्तावेज मूल्यांकन सुधार, पर्यावरण अनुकूल और स्थायी विश्वविद्यालय परिसरों, मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता, संकाय प्रेरण और शैक्षणिक अनुसंधान अखंडता को शामिल करते हैं।
- उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम शासनादेश का उद्देश्य पुरस्कृत जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण कौशल, ज्ञान और नैतिकता के साथ देश की अगली पीढ़ी को सुसज्जित करने हेतु उच्च शिक्षा प्रणाली को विकसित करना है।

उच्च शिक्षा हेतु शुरू की गई विभिन्न पहलें

- **सतत-** उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पर्यावरण अनुकूल और स्थायी परिसर विकास हेतु ढांचा है। यह ढांचा विश्वविद्यालयों को परिसर की पर्यावरण गुणवत्ता बढ़ाने और उसके भविष्य में स्थायी हरित और सतत तरीकों को अपनाने हेतु

विचारात्मक नीतियां और अभ्यासों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है।

- **यू.जी.सी. ने एक नीतिगत ढांचा- "मूल्यप्रवाह भी विकसित किया है -** उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवरों की नैतिकता को बढ़ाने हेतु दिशानिर्देश है"।
- **गुरु-दक्षता दिशानिर्देश-** यह संकाय प्रेरण कार्यक्रम हेतु एक मार्गदर्शिका है, जो शिक्षार्थी-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए संकाय को संवेदनशील बनाने और प्रेरित करने के अपने मुख्य उद्देश्य को पूरा करेगी।
- उच्च शिक्षा में शिक्षण-अधिगम, मूल्यांकन उपकरण हेतु आई.सी.टी. एकीकृत शिक्षण और नए शिक्षा-विषयक दृष्टिकोणों को अपनाना।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 – शिक्षा

स्रोत- पी.आई.बी.

6. इंटरसेक्स नाबालिगों की सर्जरी पर प्रतिबंध हेतु समूहों ने आवाहन किया है।
- इंटरसेक्स व्यक्तियों और अधिकार संगठनों ने इंटरसेक्स लक्षणों वाले बच्चों पर की जाने वाली अनावश्यक चिकित्सा सर्जरी पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग की है और केंद्र सरकार से उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने की अपील की है।

सम्बंधित जानकारी

- 22 अप्रैल, 2019 को मद्रास उच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक फैसले के बाद तमिलनाडु के नवजात शिशुओं और बच्चों पर जीवन रक्षक स्थितियों को छोड़कर मानक सर्जरी पर प्रतिबंध लगाने के महीनों बाद राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध की मांग की गई है।
- यदि इसे राष्ट्रीय रूप से अपनाया जाता है तो भारत, माल्टा और ताइवान के बाद केवल तीसरा देश बन सकता है, जिसके पास कानूनी अधिकार है जो इंटरसेक्स बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने सदस्य देशों से आह्वान

किया है कि वे इंटरसेक्स बच्चों पर आक्रामक और अपरिवर्तनीय चिकित्सा सर्जरी और अन्य चिकित्सा उपचार को समाप्त करें।

इंटरसेक्स के संदर्भ में जानकारी

- यह उन लोगों का वर्णन करने के लिए एक छत्र शब्द है, जो प्राकृतिक लिंग विशेषताओं (जननांगों, जननांगों और गुणसूत्र प्रारूप सहित) के साथ पैदा हुए हैं, जो पुरुष या महिला शरीरों के विशिष्ट द्विआधारी धारणाओं के प्रति उपयुक्त नहीं होते हैं।
- इंटरसेक्स व्यक्तियों को हेर्माफ्रोडाइट्स या यौन विकास के विकारों वाले व्यक्तियों के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- विश्व स्तर के विशेषज्ञों का अनुमान है कि इंटरसेक्स व्यक्ति, कुल आबादी का 0.05 से 1.7% हैं।

नोट:

- जब कि इंटरसेक्स शब्द ट्रांसजेंडर के साथ भ्रमित है, दोनों का वास्तविकता में बहुत अलग अर्थ हैं।
- ऐसे व्यक्ति जो ट्रांसजेंडर या ट्रैसेक्सुअल के रूप में पहचाने जाते हैं, उनके पास ऐसा लिंग होता है जो जन्म के समय उन्हें दिए गए लिंग से संबंधित परंपरागत लिंग से भिन्न होता है।
- इंटरसेक्स, जैविक या शारीरिक विशेषताओं के साथ पैदा हुए लोगों को संदर्भित करता है जो रूढ़िवादी पुरुष या महिला शरीरों की तुलना में अधिक विविध होते हैं।

टॉपिक-जी.एस. पेपर 2 –गवर्नंस

स्रोत- द हिंदू

7. आर.बी.आई. ने आपके दैनिक डिजिटल भुगतान के लिए प्रीपेड भुगतान उपकरण लॉन्च किया है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक नए प्रकार का प्रीपेड भुगतान उपकरण (पी.पी.आई.) पेश किया है जिसका उपयोग केवल 10,000 रुपये प्रति माह की सीमा तक वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है।

प्रीपेड भुगतान उपकरण के संदर्भ में जानकारी

- ये वित्तीय उपकरण हैं जो ऐसे उपकरणों पर संग्रहीत मूल्य के खिलाफ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करते हैं।
- पी.पी.आई., बैंक और गैर-बैंक पी.पी.आई. जारीकर्ताओं द्वारा धारक का न्यूनतम विवरण प्राप्त करने के बाद जारी किया जाएगा।
- किसी भी महीने के दौरान ऐसे पी.पी.आई. में रखी गई राशि 10,000 से अधिक नहीं होगी और वित्तीय वर्ष के दौरान रखी गई कुल राशि 1,20,000 से अधिक नहीं होगी।
- परिपत्र के अनुसार, पी.पी.आई. जारीकर्ता को "किसी भी समय उपकरण को बंद करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा और बंद करते समय धन को वापस स्रोत में स्थानांतरित करने की भी अनुमति भी प्रदान की जाएगी"।
- यह निर्देश भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 10 (2) के साथ पढ़े गए धारा 18 के अंतर्गत जारी किया गया है और इस परिपत्र को जारी करने की तारीख से प्रभावी है।

प्रीपेड भुगतान उपकरण के प्रकार

बंद प्रणाली पी.पी.आई.

- इसका उपयोग केवल विशिष्ट स्थानों पर किया जा सकता है और इसका उपयोग धन को एक खाते से दूसरे खाते में स्थानांतरित करने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- एक बंद प्रणाली पी.पी.आई. का सबसे सामान्य उदाहरण एक ब्रांड-विशिष्ट गिफ्ट कार्ड है।

सेमी-क्लोज सिस्टम भुगतान उपकरण

- ये भुगतान उपकरण स्पष्ट रूप से पहचाने गए व्यापारियों के एक समूह पर रिडीम किए जाते हैं जो विशेष रूप से भुगतान उपकरण को स्वीकार करने के लिए जारीकर्ता के साथ अनुबंध करते हैं।
- ये उपकरण धारक द्वारा नकद निकासी या ऋणमुक्ति की अनुमति नहीं देते हैं।

- सेमी-क्लोज पी.पी.आई. के उदाहरण ऑक्सिजन और मोबिक्विक् जैसे ई-वॉलेट हैं।

सेमी-ओपन सिस्टम भुगतान उपकरण

- ये भुगतान उपकरण हैं जिनका उपयोग किसी भी कार्ड-स्वीकार करने वाले व्यापारी स्थानों (बिक्री टर्मिनलों के प्वाइंट) पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए किया जा सकता है।
- ये उपकरण धारक द्वारा नकद निकासी या ऋणमुक्ति की अनुमति नहीं देते हैं।

ओपन सिस्टम पी.पी.आई.

- ओपन सिस्टम पी.पी.आई. केवल बैंकों द्वारा जारी किया जा सकता है और किसी भी खरीद या नकद निकासी के लिए किसी भी व्यापारी आउटलेट पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- एक यात्रा कार्ड एक प्रकार का ओपन सिस्टम पी.पी.आई. है।
- इसका उपयोग सभी प्रकार के खर्चों और ए.टी.एम. से नकद निकासी के लिए किया जा सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

30.12.2019

1. आदित्य या आदित्य-एल 1

- हाल ही में, आकाशवाणी के अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसरो, सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य नामक उपग्रह लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

आदित्य-एल 1 के संदर्भ में जानकारी

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2020 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु अपना पहला मिशन आदित्य-एल 1 लॉन्च किया है।
- इस मिशन का उद्देश्य बिना किसी गड़बड़ी के सूर्य पर स्थायी नजर बनाए रखना है।
- आदित्य-एल 1 का काम सौर कोरोना का निरीक्षण करना है।

- आदित्य-एल 1 मिशन के लैंग्रान्जियन बिंदु 1 (एल1)- जो पृथ्वी से 1.5 मिलियन किमी दूर है, के चारों ओर एक खोखली कक्षा की कक्षा में प्रवेश करने की उम्मीद है।

लैंग्रान्जियन बिंदु के संदर्भ में जानकारी

- लैंग्रान्ज बिंदु, अंतरिक्ष में एक स्थान है जहां दो बड़े पिंडों जैसे पृथ्वी और सूर्य या पृथ्वी और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल, जो अधिक छोटे तीसरे पिंड द्वारा महसूस किए गए अपकेंद्र बल के बराबर है।
- बलों की पारस्परिक क्रिया एक बिंदु का निर्माण करती है, जहां एक अंतरिक्ष यान को अवलोकन दर्ज करने हेतु "खड़ा" किया जा सकता है।
- इस बिंदु का नाम 18वीं शताब्दी के गणितज्ञ जोसेफ-लुई लैंग्रान्ज के नाम पर रखा गया है।

सूर्य की संरचना के संदर्भ में जानकारी

- नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार, सूर्य के अंतर्भाग तापमान लगभग 27 मिलियन डिग्री फारेनहाइट है और इसकी सतह का तापमान 10,000 डिग्री फारेनहाइट है।

परतें

- सूर्य की सात आंतरिक और बाहरी परतें हैं।
- आंतरिक परतें अंतर्भाग, विकिरण क्षेत्र और संवहन क्षेत्र हैं, जब कि बाहरी परतें बाह्य प्रभामंडल, वर्णमंडल, संक्रमण क्षेत्र और कोरोना हैं।

बाहरी परतें

बाह्य प्रभामंडल:

- यह सूर्य की सबसे आंतरिक परत है और यह परत पृथ्वी से सीधे मानव आंखों को दिखाई देती है।
- इसे सौर सतह भी कहा जाता है।
- प्रभामंडल का तापमान लगभग इसके निचले भाग से ऊपरी भाग तक 6500 डिग्री केल्विन से 4000 डिग्री केल्विन तक बदलता रहता है।

वर्णमण्डल:

- सूर्य की यह परत प्रभामंडल से 250 मील और 1300 मील के बीच स्थित है।
- वर्णमंडल का तापमान आधार पर लगभग 4000 डिग्री केल्विन होता है और शीर्ष पर 8000 डिग्री केल्विन होता है।
- परिणामस्वरूप, इस परत में और सूर्य की अन्य उच्चतर परतों में तापमान बढ़ जाता है यदि कोई परत सूर्य से दूर चली जाती है तो निचली परतों के विपरीत है जहां यह सूर्य के केंद्र के निकट होने पर गर्म हो जाती है।

संक्रमण क्षेत्र:

- यह परत लगभग 60 मील के आकार के साथ बहुत पतली है और यह कोरोना और वर्णमंडल के बीच सिकुड़ जाती है।
- संक्रमण क्षेत्र की परत में, तापमान लगभग 8000 से 500,000 डिग्री केल्विन तक तेजी से बढ़ता है।

कोरोना:

- यह परत सूर्य की सबसे बाहरी परत है।
- यह प्रभामंडल के ऊपर लगभग 1300 मील से शुरू होती है और इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
- इसका तापमान 500,000 डिग्री केल्विन से 1 मिलियन डिग्री केल्विन के बीच होता है।
- कोरोना को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है लेकिन पूर्ण सूर्यग्रहण के दौरान इसे देखने के लिए व्यक्ति कोरोनोग्राफ टेलीस्कोप का उपयोग कर सकता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –विज्ञान एवं तकनीक

स्रोत- ए.आई.आर.

2. 'वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020

- 'वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2020' की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के वर्ष 2026 में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जर्मनी से आगे निकलने की संभावना है।
- इसके अतिरिक्त भारत वर्ष 2024 के सरकार के लक्ष्य से 2 वर्ष बाद वर्ष 2026 तक 5

ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि जापान, जर्मनी और भारत में अगले 15 वर्षों में तीसरे स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा होगी।

'वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल के संदर्भ में जानकारी

- वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, यू.के.-आधारित अर्थव्यवस्था एवं व्यापार अनुसंधान केंद्र (सी.ई.बी.आर.) द्वारा की जाने वाली एक वार्षिक गणना है।
- यह सी.बी.ई.आर. और ग्लोबल कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव्स द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की जाती है।
- वर्ष 2019 के लिए आधार डेटा आई.एम.एफ. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से लिया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- पी.आई.बी.

3. दादासाहेब फाल्के पुरस्कार

- भारत के राष्ट्रपति ने श्री अमिताभ बच्चन को दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया है।

दादासाहेब फाल्के पुरस्कार के संदर्भ में जानकारी

- यह सिनेमा जगत में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे फिल्म महोत्सव निदेशालय (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित एक संगठन) द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है।
- इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल, 10 लाख का नकद पुरस्कार और एक शाल शामिल है।
- यह पुरस्कार लोगों को "भारतीय सिनेमा की प्रगति और विकास में उत्कृष्ट योगदान" के लिए प्रदान किया जाता है।

इतिहास

- इसे पहली बार 1969 में प्रस्तुत किया गया था।
- इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता अभिनेत्री देविका रानी, "भारतीय सिनेमा की पहली महिला" थीं।

नोट:

- दादासाहेब फाल्के एक भारतीय फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र (1913) का निर्देशन किया था।
- उन्हें "भारतीय सिनेमा का जनक" माना जाता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

4. प्रधानमंत्री वया वंदना योजना, पेंशन योजना के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है।
- सरकार ने प्रधानमंत्री वया वंदना योजना (PMVVY) के ग्राहकों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है।

प्रधानमंत्री वया वंदना योजना (PMVVY) के संदर्भ में जानकारी

- यह भारत सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से घोषित पेंशन योजना है, जो 4 मई, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक उपलब्ध है।
- इसका उद्देश्य वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों को उनकी आय के ब्याज में भविष्य में अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण होने वाली गिरावट से संरक्षण प्रदान करना है।
- यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) द्वारा लागू की जा रही है, जो सालाना 8% की रिटर्न की सुनिश्चित दर की परिकल्पना करती है।

पात्रता की शर्तें और अन्य सीमाएं

- न्यूनतम प्रवेश आयु: 60 वर्ष (पूर्ण)
- अधिकतम प्रवेश आयु: कोई सीमा नहीं
- पॉलिसी अवधि: 10 वर्ष

नोट:

- बजट 2018 में, सरकार ने प्रति वरिष्ठ नागरिक 7 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

5. फाइलों के माध्यम से संचालन

- हरियाणा ने केंद्रीकृत फाइल मूवमेंट एवं ट्रेकिंग सूचना प्रणाली (सी.एफ.एम.एस.) में रन थ्रो फाइल्स नामक योजना शुरू की है।

योजना के संदर्भ में जानकारी

- यह योजना यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि महत्वपूर्ण सरकारी मामले, विवादास्पद पदानुक्रम और विभागीय प्राथमिकताओं के कारण विलंबित नहीं होंगे।
- एक फाइल को केवल सी.एफ.एम.एस. में मुख्यमंत्री द्वारा रन थ्रू फाइल्स के रूप में चिह्नित किया जाएगा।
- आर.टी.एफ. के रूप में चिह्नित प्रत्येक फाइल को वर्तमान में शीर्ष प्राथमिकता के रूप में चिह्नित की जा रही फाइलों से अधिक प्राथमिकता से निपटाया जाएगा।
- एक सिस्टम जनरेटेड एस.एम.एस. और ईमेल फाइल के प्रत्येक डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट पर भेजा जाएगा।
- मुख्य सचिव कार्यालय से सभी विभागीय प्रमुखों और संबंधित अन्य को भेजे गए संचार में तत्काल फाइलों से संबंधित तंत्र पर निर्देश जारी किए गए थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नंस

स्रोत- द हिंदू

6. आंध्र प्रदेश में दक्षिण भारत के प्रारंभिक संस्कृत शिलालेख पाए गए हैं।

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की पूरालेख शाखा ने आंध्र प्रदेश में सप्तमातृका पंथ के लिए अब तक के सबसे प्रारंभिक पुरालेखित सबूतों की खोज की है।
- यह आज तक दक्षिण भारत में खोजा जाने वाला सबसे पहला संस्कृत शिलालेख भी है।

संस्कृत शिलालेख के संदर्भ में जानकारी

- यह शिलालेख, संस्कृत और ब्राह्मी अक्षरों में है और इसे सतवाहन राजा विजया ने 207 ई.पू. में जारी किया था।
- चेन्नै शिलालेख, ब्राह्मी अक्षरों में लिखित संस्कृत भाषा में है।
- सप्तमातृका, हिंदू धर्म में पूजी जाने वाली सात महिलाओं का एक समूह है, जो अपने अपने सापेक्षिक पति/ पत्नी की ऊर्जा का प्रतीकत्व प्रदान करती हैं।
- सप्तमातृका के सदस्यों की पूजा, कदंबा तांबे की प्लेटों और आरंभिक चालुक्यों और पूर्वी चालुक्य तांबे की प्लेटों में की जाती है।

नोट:

- नागार्जुनकोंडा में खोजे गए इक्ष्वाकु वंश के राजा अहवल्लचंतमूला के चौथी शताब्दी ईस्वी के शिलालेख गुंटूर जिले में स्थित है, जिसे दक्षिणी भारत का सबसे प्राचीन संस्कृत शिलालेख माना जाता था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 –कला एवं संस्कृति

स्रोत- ए.आई.आर.

7. पूंजीगत उत्पाद क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई है।

- भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारतीय पूंजीगत उत्पाद क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए योजना लागू कर रहा है।

पूंजीगत उत्पाद क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना के संदर्भ में जानकारी

- भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय ने भारतीय पूंजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए इस योजना को नवंबर, 2014 में परीक्षण आधार पर शुरू किया गया था।
- यह योजना भारतीय पूंजीगत उत्पाद क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने पर केंद्रित है और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा प्रदान करता है।
- यह योजना सामान्य औद्योगिक सुविधा केंद्र बनाने के अतिरिक्त पूंजीगत उत्पाद क्षेत्र में

तकनीकी गहराई के निर्माण के मुद्दे को संबोधित करती है।

- इस योजना में पाँच घटक शामिल हैं:
- उन्नत उत्कृष्टता केंद्र
- एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना सुविधाएं (आई.आई.एफ.सी.)
- सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सी.ई.एफ.सी.)
- परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र (टी एंड सी.सी.)
- प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टी.ए.एफ.पी.)

पूंजीगत उत्पाद उद्योग के संदर्भ में जानकारी

- पूंजीगत उत्पाद, उन उत्पादों को संदर्भित करते हैं जो अन्य उत्पादों के उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं लेकिन नए उत्पाद में शामिल नहीं होते हैं।
- इनमें मशीन टूल्स, औद्योगिक मशीनरी, प्रोसेस प्लांट उपकरण, निर्माण और खनन उपकरण, विद्युत उपकरण, कपड़ा मशीनरी, प्रिंटिंग और पैकेजिंग मशीनरी आदि शामिल हैं।
- पूंजीगत उत्पाद उद्योग, सभी विनिर्माण उद्योग की "माँ" है और राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है।
- पूंजीगत उत्पाद उद्योग भारत में कुल विनिर्माण गतिविधि का लगभग 12% योगदान देता है जो कि जी.डी.पी. का लगभग 2% है।

नोट:

- डेटा एनालिटिक्स, 3 डी प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, लिगेसी मशीन की स्मार्टिंग जैसी 4.0 उद्योग प्रौद्योगिकी को अपनाने और आत्मसात करने हेतु भारतीय विनिर्माण का समर्थन करने के लिए आई.आई.एस.सी. बेंगलूर में एक उद्योग 4.0 समर्थ उद्योग केंद्र भी खोला जा रहा है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –अर्थव्यवस्था

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

8. लोसार: एक लद्दाखी नववर्ष महोत्सव

- केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख अपना पहला लोसार महोत्सव मना रहा है।

लोसार महोत्सव के संदर्भ में जानकारी

- यह लद्दाख में तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव है, जो नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है।
- यह तिब्बत, नेपाल और भूटान में मनाया जाता है और प्रत्येक की अपनी परंपराएँ हैं।
- यह त्योहार प्रत्येक वर्ष तिब्बती कैलेंडर के ग्यारहवें महीने के पहले दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक तारीख को आयोजित किया जाता है।
- त्योहार के दौरान, लद्दाखी बौद्ध अपने देवताओं से पहले घरेलू मंदिरों में या गोम्पा में एक धार्मिक भेंट चढ़ाते हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1 -कला एवं संस्कृति

स्रोत- द हिंदू

9. सेक्स-सॉर्टिंग वीर्य तकनीक

- हाल ही में, केंद्र ने कृत्रिम गर्भाधान के लिए सेक्स-सॉर्टिंग वीर्य तकनीक को लागू किया है, जो केवल मादा जानवरों का उत्पादन करेगा।
- इससे उन नर बछड़ों की संख्या कम हो जाएगी जो किसानों द्वारा छोड़ दिए गए हैं।

सेक्स वीर्य तकनीक के संदर्भ में जानकारी

- सेक्सड वीर्य तकनीक, एक्स-शुक्राणुओं को वाई-शुक्राणुओं से अलग करने या अलग करने से होने वाली संतानों के लिंग का लगभग पूर्व-चयन है।
- इसका उद्देश्य नर बछड़ों को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि गायें केवल एक्स-गुणसूत्र-रखने वाले शुक्राणुओं द्वारा निषेचित की जा रही हैं।
- यह सुनिश्चित करेगा कि केवल एक मादा बछड़ा पैदा हो।

नोट:

- केंद्र यह भी चाहता है कि राज्यों को मवेशियों को छोड़ने के लिए पशु क्रूरता निवारण

अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत किसानों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

इन पशुओं के लिए संवैधानिक प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के अनुसार, सातवीं अनुसूची की सूची II में पशुधन का संरक्षण, सुरक्षा और सुधार और पशु रोगों की रोकथाम, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिस पर कानून बनाने का राज्य को विशेष अधिकार प्राप्त है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 -गवर्नेंस

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

10. व्याख्या: हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास में ईरान, चीन, रूस का महत्व

- हाल ही में ईरान, चीन और रूस ने हिंद महासागर और ओमान की खाड़ी में एक संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास शुरू किया है।
- यह एक चार दिवसीय युद्धाभ्यास है जिसे दक्षिण-पूर्वी ईरान के बंदरगाह शहर चाबहार से लॉन्च किया गया है।
- चाबहार बंदरगाह, जो पाकिस्तान के साथ ईरान की सीमा के पास है, भारतीय सहायता से बनाया गया था और भारत द्वारा संचालित है।
- इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वाणिज्य की सुरक्षा को बढ़ावा देना, समुद्री डकैती और आतंकवाद का मुकाबला करना और जानकारी और अनुभव साझा करना है।

महत्व

- ओमान की खाड़ी, जहां युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है, एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है क्योंकि यह अरब सागर को होर्मुज जलसंधि से जोड़ता है।
- यह फ़ारस की खाड़ी में खुलता है- जो ऊर्जा उत्पादकों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान (मुसंडम का बहिष्कार) और संयुक्त अरब अमीरात (यू.ए.ई.) के बीच स्थित है

- यह दुनिया के तेल निकासों में पाँचवाँ है और वैश्विक स्तर पर लगभग कुल समुद्री तेल के 30% कच्चे तेल का प्रतिनिधित्व करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

1.1. बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व

- मध्य प्रदेश को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अपनी पहली हाथी कॉलोनी मिली है।

बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में जानकारी

- यह मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है।
- इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और फिर 1993 में टाइगर रिजर्व बनाया गया था।

नोट:

- मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि 2019 की जनगणना में राज्य ने सबसे अधिक 526 अनुमानित बाघ दर्ज किए हैं।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- द हिंदू

31.12.2019

1. नीति सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019

- हाल ही में, नीति आयोग ने नीति आयोग का एस.डी.जी. इंडिया सूचकांक 2019 जारी किया है।

एस.डी.जी. इंडिया सूचकांक के संदर्भ में जानकारी

- इसे 2018 में संयुक्त राष्ट्र की मदद से नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है, इसमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा एस.डी.जी. के रूप में निर्दिष्ट 17 लक्ष्यों में से 16 को शामिल किया गया है।
- इस वर्ष सूचकांक में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 306 में से 100 संकेतकों पर आधारित 54 लक्ष्यों के आधार पर राज्यों को स्थान प्रदान किया गया है।
- पहली रिपोर्ट 2018 में लॉन्च की गई थी, इसमें 13 गोल और 39 संकेतक थे।

- इस वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 देशों द्वारा एस.डी.जी. को अपनाने की पांचवीं वर्षगांठ होगी।
- एक अभूतपूर्व परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से गठित एस.डी.जी. में 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले 17 लक्ष्य और 169 संबंधित लक्ष्य शामिल हैं।

सूचकांक की मुख्य विशेषताएं

- एस.डी.जी. इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम ने अधिकतम सुधार दर्शाया है।
- केरल ने 70 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जब कि बिहार को सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शनकर्ता के रूप में घोषित किया गया है।
- चंडीगढ़ ने 70 के स्कोर के साथ केंद्रशासित प्रदेशों के बीच अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है।
- हिमाचल प्रदेश ने दूसरा स्थान हासिल किया है, जब कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने तीसरा स्थान साझा किया है।
- बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश इस वर्ष के सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के लिए सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, पानी और स्वच्छता, उद्योग और नवाचार में बड़ी सफलता के साथ वर्ष 2018 में भारत का समग्र स्कोर 57 से बढ़कर वर्ष 2019 में 60 हो गया है।
- हालांकि, पोषण और लिंग भारत के लिए समस्या क्षेत्र बने हुए हैं, इसके लिए सरकार से अधिक केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
- फ्रंट रनर श्रेणी: इस श्रेणी में, वर्ष 2018 में केवल तीन राज्यों- हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु को फ्रंट रनर की श्रेणी में रखा गया (65-99 की श्रेणी में दोनों सहित) था।
- गरीबी में कमी के संबंध में जिन राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनमें तमिलनाडु, त्रिपुरा, आंध्र

प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम शामिल हैं।

- रिपोर्ट के अनुसार, " जीरो हंगर" मानकों पर गोवा, मिजोरम, केरल, नागालैंड और मणिपुर फ्रंट रनर थे।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू

2. ड्रेक दर्रा

- हाल ही में, 25 दिसंबर को चार देशों के छह मल्लाहों ने दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे से चलने के बाद सिर्फ दो हफ्तों के भीतर ड्रेक दर्रे को पार कर लिया है।
- इस परियोजना को "द इंपॉसिबल रो" के रूप में करार दिया गया था।

ड्रेक दर्रे के संदर्भ में जानकारी

- इस दर्रे का नाम सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर रखा गया है, जो दुनिया का जहाज द्वारा भ्रमण करने वाला पहला अंग्रेज था।
- यह दर्रा, दक्षिण अमेरिका के शीर्ष पर केप हॉर्न और अंटार्कटिक प्रायद्वीप के मध्य स्थित है।
- ड्रेक दर्रे को दुनिया के सबसे खराब जलमार्गों में से एक माना जाता है।
- राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान केंद्र के अनुसार, यह दक्षिणी महासागर में सबसे संकरा विस्तार है और दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे और पश्चिम अंटार्कटिक प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे के बीच लगभग 800 कि.मी. तक फैला हुआ है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 1-भूगोल

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

3. रूस अवंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल

- हाल ही में, रूसी सेना ने एक नया अंतरमहाद्वीपीय हथियार, अवंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली तैनात की है, जो ध्वनि की चाल से 27 गुना तेज उड़ सकती है।
- यह रूसी सेना की पहली अवंगार्ड हाइपरसोनिक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आई.सी.बी.एम.) होगी।

अवंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल के संदर्भ में जानकारी

- इसे पहले प्रोजेक्ट 4202 के रूप में संदर्भित किया जाता था, अवंगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली एक पुनः प्रवेश निकाय है जिसे मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइलों के ऊपर रखा गया है जो युद्धाभ्यास करने की क्षमता रखती है।
- इसकी युद्धाभ्यास क्षमता के कारण इसके प्रक्षेपवक्र की भविष्यवाणी करना मुश्किल है और उदाहरण के लिए इसे यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के समान लक्ष्य के समक्ष परमाणु वारहेड छोड़कर स्वयं को हवाई और बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाने की क्षमता प्रदान करती है।
- अवंगार्ड मिसाइलों की मारक क्षमता 6,000 कि.मी. से अधिक है, इसका वजन लगभग 2,000 किलोग्राम और यह 2000 से अधिक डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी काम कर सकती है।

अन्य रूसी हाइपरसोनिक मिसाइलें

किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल

- इसे रूस द्वारा विकसित किया गया है जिसका मतलब दोधारी रूसी तलवार है।
- यह ध्वनि की चाल से 10 गुना तेज उड़ सकती है और इसकी सीमा 2,000 कि.मी. है।
- यह दुश्मन के वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किए बिना हवाई हमले का समर्थन करने वाली उच्च-परिशुद्धता एयरोबैलिस्टिक एयरस्ट्राइकों से सुसज्जित है।
- किंजल प्रणाली से सुसज्जित पहली वायु इकाई को दिसंबर, 2017 में रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में तैनात किया गया था।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –रक्षा

स्रोत- बिजनेस स्टैंडर्ड

- 4. नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र की बिक्री में 10 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
- हाल ही में, कम आपूर्ति के कारण नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों की बिक्री में दिसंबर, 2019 में लगभग 10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है,

जो पिछले वर्ष दिसंबर महीने में 5.59 लाख से घटकर इस वर्ष दिसंबर महीने में 5.04 रह गई है।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र के संदर्भ में जानकारी

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आर.ई.सी.), नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को उत्प्रेरित करने हेतु एक नीति साधन है।
- इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आई.ई.एक्स) और भारतीय ऊर्जा विनिमय (पी.एक्स.आई.एल.) देश के दो ऊर्जा बाजार हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आर.ई.सी.) और ऊर्जा के व्यापार में संलग्न हैं।
- आर.ई.सी. एक बाजार आधारित तंत्र है जो विभिन्न राज्यों में मौजूदा नवीकरणीय क्षमता पर भौगोलिक बाधाओं को दूर करके राज्यों की विनियामक आवश्यकताओं (जैसे नवीकरणीय खरीद दायित्व (आर.पी.ओ.)) को पूरा करने में उनकी मदद करेगा।
- आर.ई.सी., नवीकरणीय स्रोतों से उत्पन्न ऊर्जा के हरित/ पर्यावरणीय गुणों से बिजली के घटक (वस्तु) को खोलता है।
- फिर दोनों घटकों को अलग-अलग कारोबार किया जा सकता है।
- इस प्रकार आर.ई.सी., आर.पी.ओ. राज्य सीमा के अधिक और अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद करता है क्योंकि कमोडिटी बिजली की भौगोलिक सीमाओं द्वारा व्यापारिक प्रमाण पत्र बाधित नहीं हैं।

नोट:

- नवीकरणीय खरीद दायित्व (आर.पी.ओ.) के अंतर्गत, आर.ई.सी. के एक निश्चित अनुपात को खरीदने के लिए डिस्कॉम जैसे समूह खरीदारों, खुली पहुँच वाले उपभोक्ताओं और कैपेसिटिव उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता होती है।
- वे आर.पी.ओ. मानदंडों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों से आर.ई.सी. खरीद सकते हैं। उपयोगिताओं के लिए नवीकरणीय

ऊर्जा का अनुपात, केंद्रीय और राज्य बिजली विनियामक आयोगों द्वारा निर्धारित किया गया है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –पर्यावरण

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

5. वित्त मंत्री ने बैंकों द्वारा संलग्न परिसंपत्तियों के लिए 'एबक्रे' नीलामी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।

- वित्त मंत्री ने बैंकों द्वारा संलग्न परिसंपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी को सक्षम करने हेतु एक ई-नीलामी प्लेटफॉर्म, एबक्रे लॉन्च किया है।

एबक्रे प्लेटफॉर्म के संदर्भ में जानकारी

- यह सभी पी.एस.बी. ई-नीलामी साइटों, संपत्ति खोज सुविधा के लिए नेविगेशनल लिंक प्रदान करता है और ई-नीलामी के लिए उपलब्ध संपत्तियों की जानकारी के लिए एकल खिड़की पहुँच प्रदान करता है, समान संपत्तियों की तुलना करता है और अपलोड की गई संपत्तियों के वीडियो और तस्वीरें भी प्रस्तुत करता है।
- इस पोर्टल का उद्देश्य भारत में बैंकों द्वारा ई-नीलामी के लिए रखी गई संपत्ति के प्रकार और स्थान के आधार पर खोज द्वारा जानकारी तक सहज पहुँच के माध्यम से उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाना है।
- यह प्लेटफॉर्म खरीदार को एक अधिसूचित संपत्ति के चयन के बाद आसानी से बैंक ई-नीलामी साइट पर नेविगेट करने में मदद करता है।
- यह उपयोगकर्ता की राज्य-वार, जिले-वार और बैंक-वार विवरणों का उपयोग करके संपत्ति खोजने में भी मदद करता है।

संबंधित जानकारी

- भारतीय बैंकों की गिरवी संपत्ति नीलामी जानकारी (आई.बी.ए.पी.आई.) पोर्टल, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डी.एफ.एस.) की नीति के अंतर्गत भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) की एक पहल है।

- यह पी.एस.बी. से शुरू करते हुए बैंकों द्वारा ऑनलाइन नीलाम की जाने वाली गिरवी संपत्तियों का ब्योरा प्रदान करता है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 3 –अर्थशास्त्र

स्रोत- इकोनॉमिक्स टाइम्स

6. संयुक्त राष्ट्र ने साइबर अपराध से निपटने के लिए एक मसौदा संधि को मंजूरी प्रदान की है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, जो साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नई अंतरराष्ट्रीय संधि का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।

अंतराष्ट्रीय संधि प्रस्ताव के संदर्भ में जानकारी

- यह प्रस्ताव "आपराधिक उद्देश्यों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक अंतराष्ट्रीय सम्मेलन का विस्तार करने हेतु" दुनिया के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली विशेषज्ञ समिति की स्थापना करता है।
- यह कहता है कि समिति अपनी गतिविधियों की रूपरेखा पर सहमत होने के लिए अगस्त, 2020 में बैठक करेगी।
- यह प्रस्ताव ऐसे समय में साइबर अपराध से निपटने के लिए अंतराष्ट्रीय सहयोग को कमजोर करेगा जब अधिक समन्वय आवश्यक है।

बुडापेस्ट सम्मेलन

- साइबर अपराध पर सम्मेलन को साइबर अपराध पर बुडापेस्ट सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, जो इंटरनेट और कंप्यूटर अपराध (साइबर अपराध) को संबोधित करने की मांग करने वाली पहली अंतराष्ट्रीय संधि है।
- इसे यूरोप के पर्यवेक्षक राज्यों कनाडा, जापान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका की परिषद की सक्रिय भागीदारी के साथ फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोप की परिषद द्वारा तैयार किया गया था।
- सम्मेलन और इसकी व्याख्यात्मक रिपोर्ट को 8 नवंबर, 2001 को यूरोप की परिषद के 109वें

सत्र में मंत्रिपरिषद की समिति द्वारा अपनाया गया था।

- यह 1 जुलाई, 2004 को लागू किया गया था।

नोट:

- भारत ने बुडापेस्ट सम्मेलन को इस आधार पर अपनाने से मना कर दिया है कि उसने इसके प्रारूपण में भाग नहीं लिया था।
- वर्ष 2018 से, साइबर अपराध में वृद्धि के बाद से भारत सम्मेलन पर अपने रुख पर पुनर्विचार कर रहा है, हालांकि विदेशी एजेंसियों के साथ डेटा साझा करने के बारे में चिंता बनी हुई है।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –सुरक्षा मुद्दे

स्रोत- लाइवमिंट

7. एम.ओ.एस.पी.आई. ने आर्थिक आंकड़ों पर एक समिति का गठन किया है।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आर्थिक सांख्यिकी (एस.सी.ई.एस.) पर एक एकल स्थायी समिति का गठन किया है।
- यह इन मुद्दों पर कई पैनेलों के स्थान पर उद्योग, सेवाओं और रोजगार पर सर्वेक्षण के लिए कार्यप्रणाली पर विचार करने और विकसित करने में मदद करता है।

समिति के संदर्भ में जानकारी

- इस पैनेल का गठन भारत के पहले मुख्य सांख्यिकीविद् प्रोनब सेन की अध्यक्षता में किया गया है।
- वे आधिकारिक आँकड़ों की आलोचना के बीच रोजगार, उद्योग और सेवा क्षेत्र पर देश के सर्वेक्षणों की समीक्षा और विकास करेंगे।
- एस.सी.ई.एस. इसमें श्रम बल सांख्यिकी, औद्योगिक सांख्यिकी, सेवा क्षेत्र और अनिगमित क्षेत्र उद्यमों पर चार स्थायी समितियों को शामिल करेगा।
- यह डेटा स्रोतों, संकेतकों और औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की परिभाषाओं, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, समय के उपयोग का सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना और असंगठित क्षेत्र की

सांख्यिकी और अन्य के आँकड़ों की मौजूदा रूपरेखा की समीक्षा करेगा।"

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत-अर्थशास्त्र

8. चोरी हुए फोन को रिकवर करने में मदद करने हेतु केंद्र ने पोर्टल लॉन्च किया है।

- केंद्र ने एक नया पोर्टल सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर लॉन्च किया है, जो उपभोक्ताओं की शहर में फोन को ब्लॉक कराने के साथ ही खोए अथवा चोरी हुए फोनों का पता लगाने में भी मदद करेगा।

पोर्टल के संदर्भ में जानकारी

- उपयोगकर्ता चोरी या खोए हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक करने, पुलिस के साथ पता लगाने योग्य

डेटा साझा करने और बरामद किए गए फोन को अनब्लॉक करने का अनुरोध कर सकेंगे।

- शिकायतकर्ता को पुलिस की शिकायत और अपना आई.डी. प्रूफ अपलोड करना होगा।
- इसके आधार पर, खोया हुआ मोबाइल ब्लॉक हो जाएगा।
- इसके अतिरिक्त यदि कोई इसका इस्तेमाल करता है तो टॉवर सिग्नल के आधार पर उसी का पता लगाया जा सकता है जिससे कि पुलिस डिवाइस को रिकवर भी कर सके।

टॉपिक- जी.एस. पेपर 2 –गवर्नेंस

स्रोत- द हिंदू